



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112025-267666
CG-DL-E-14112025-267666

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2025/कार्तिक 21, 1947

No. 333]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2025/KARTIK 21, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025

अंतिम निष्कर्ष

मामला संख्या एडी (एसएसआर) - 05/2024

विषय: यूरोपीय संघ और सऊदी अरब से टोल्यूइन डाइ-आइसोसाइनेट (टीडीआई) के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा के संबंध में जारी अंतिम निष्कर्ष।

फा. सं. 7/14/2024 - डीजीटीआर - समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनपर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए

क. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) को गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) से एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें यूरोपीय संघ

और सऊदी अरब (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'टोल्यूइन डाइ-आइसोसाइनेट' (टीडीआई) (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है) के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के समय विस्तार और उसमें वृद्धि के लिए एक निर्णायक समीक्षा शुरू करने का अनुरोध किया गया था।

- ख. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 7/14/2024-डीजीटीआर दिनांक 30 दिसंबर 2024 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसके अनुसार संबद्ध जाँच शुरू की गई। यह जाँच अधिनियम की धारा 9क (5) के साथ नियम 23 के अनुसार शुरू की गई थी ताकि इस बात की जाँच की जा सके कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और क्या पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, चीनी ताइपेई और संयुक्त अरब अमीरात से विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में मूल पाटनरोधी जाँच प्राधिकारी द्वारा 31 जनवरी 2020 को शुरू की गई थी। आवेदक के अनुरोध और विस्तृत प्रारंभिक जाँच के बाद, प्राधिकारी ने 4 सितंबर 2020 को अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। इसके बाद, वित्त मंत्रालय ने 2 दिसंबर 2020 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 43/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से 6 महीने की अवधि के लिए अनंतिम शुल्क लगाया था।
2. विस्तृत जाँच के बाद, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विचाराधीन उत्पाद के संबद्ध देशों से आयात से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और 28 जनवरी, 2021 के अंतिम जाँच परिणाम के माध्यम से प्रारंभिक जाँच परिणाम की पुष्टि की और 5 वर्षों की अवधि के लिए उपाय लागू करने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय ने 27 अप्रैल 2021 की अधिसूचना संख्या 28/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से शुल्क लगाया था।
3. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाया गया कोई भी पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि उसे पहले ही हटाया नहीं जाता, तो उसे लगाए जाने की तारीख से पाँच वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:

"अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई भी निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क, उसके लागू होने की तारीख से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा, बशर्ते कि निर्दिष्ट प्राधिकारी उस अवधि से पहले स्वयं की पहल पर या घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत साक्ष्यांकित अनुरोध पर, उस अवधि की समाप्ति से पूर्व उचित समयावधि के भीतर, इस निष्कर्ष पर न पहुँच जाए कि उक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।"

4. उपरोक्त के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करनी होगी कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

5. वर्तमान समीक्षा का कार्यक्षेत्र अंतिम जाँच परिणाम संख्या 06/43/2019-डीजीटीआर दिनांक 28 जनवरी 2021, और अधिसूचना संख्या 28/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 27 अप्रैल 2021 के सभी पहलुओं को शामिल करता है।
6. केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 28/2025-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 19 अगस्त, 2025 के माध्यम से यूरोपीय संघ और सऊदी अरब से टोल्यूइन डाइ-आइसोसाइनेट (टीडीआई) के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू रहने की अवधि बढ़ा दी है। उक्त शुल्क 1 मार्च, 2026 तक लागू रहेंगे। उपरोक्त के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के संबंध में निर्णायक समीक्षा जाँच पूरी करने की समय-सीमा को संशोधित किया है। अब यह जाँच 30 नवंबर, 2025 को या उससे पहले पूरी कर ली जाएगी।

ख. प्रक्रिया

7. इस जाँच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
 - i. नियमावली के नियम 5 के अनुसार, जाँच आरंभ करने से पहले, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास को वर्तमान निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी आवेदन प्राप्त होने की सूचना दी थी।
 - ii. नियमावली के नियम 6 के अनुसार, प्राधिकारी ने 30 दिसंबर 2024 को अधिसूचना संख्या 7/14/2024-डीजीटीआर जारी की, जिसे भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया, जिसके अंतर्गत संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जाँच की शुरुआत की गई।
 - iii. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 (15 महीने) की है। जाँच के लिए क्षति अवधि में 2020-21, 2021-22, 2022-23 और जाँच की अवधि शामिल होगी।
 - iv. क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के सौदा-वार आयात आंकड़ों के लिए प्रणाली और आकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय (डीजी सिस्टम) से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को आंकड़े प्राप्त हुए और उन्होंने सौदों की उचित जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए इन आंकड़ों पर भरोसा किया है।
 - v. नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने 30 दिसंबर 2024 की जाँच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए ईमेल पत्तों के अनुसार भेजी।
 - vi. नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को प्रदान की।
 - vii. भारत में संबद्ध देशों के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। दूतावासों को संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते के साथ पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भेजी गई।
 - viii. नियम 6(4) के अनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

क्र सं	संबद्ध देशों में उत्पादक/निर्यातकों के नाम।
1	बोरसोड केम ज़ेडआरटी, यूरोपीय संघ
2	बीएसएफ श्वार्जहाइड जीएमबीएच, यूरोपीय संघ
3	बोर्सोडकेम ज़ेडआरटी कोवेस्ट्रो ड्यूशलैंड एजी, यूरोपीय संघ
4	डॉव केमिकल कंपनी, सऊदी अरब
5	सदारा केमिकल कंपनी, सऊदी अरब
6	एसएबीआईसी एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड, सऊदी अरब

ix. वर्तमान जांच में निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने पंजीकरण कराया है।

क्र सं	संबद्ध देश में उत्पादक/निर्यातकों का नाम।
1	बोर्सोडकेम ज़ेडआरटी, यूरोपीय संघ
2	कोवेस्ट्रो ड्यूशलैंड एजी, यूरोपीय संघ
3	सदारा केमिकल कंपनी, सऊदी अरब ('सदारा')
4	सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ('सबीआईसी')
5	सबीआईसी एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर ('एसएपीपीएल')
6	डॉव सऊदी अरब प्रोडक्ट मार्केटिंग बीवी ('डॉव मार्केटिंग')
7	डॉव केमिकल पैसिफिक सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड ('डॉव सिंगापुर')

x. नियम 6(4) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए आयातक प्रश्नावली भेजी:

क्र सं	भारत में विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं/आयातकों के नाम
1	कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2	वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3	मोका बिज़नेस प्राइवेट लिमिटेड
4	फ्लेक्सिपोल फोम्स प्राइवेट लिमिटेड
5	डॉव केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
6	ड्यूरोफ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रसं	भारत में विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं/आयातकों के नाम
7	प्राइम कम्फर्ट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
8	शीला फोम लिमिटेड

- xi. वर्तमान जाँच में निम्नलिखित प्रयोक्ताओं/आयातकों ने पंजीकरण कराया है।

क्रसं	प्रयोक्ताओं और आयातकों के नाम
1	डॉव केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ('डीसीआईपीएल')
2	वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यूआईपीएल)
3	कोवेस्ट्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीआईपीएल)
4	शीला फोम लिमिटेड ('एसएफएल')

- xii. प्राधिकारी ने निम्नलिखित एसोसिएशन को भी जाँच शुरूआत अधिसूचना की प्रतियां भेजीं और उनकी टिप्पणियां मांगीं:

क्रसं	संबद्ध देशों में उत्पादक/निर्यातकों का नाम .
1	इंडियन पालीयूरेथेन एसोसिएशन ('आईपीयूए')

- xiii. उपरोक्त एसोसिएशन ने जाँच शुरूआत अधिसूचना का उत्तर दिया है और वर्तमान जाँच में भाग लिया है।
- xiv. निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीकरण कराने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे वर्तमान जाँच में अपने सभी अनुरोधों का अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ परिचालित करें।
- xv. प्राधिकारी ने सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को एक आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली को प्रशासनिक मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया। निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आर्थिक हित प्रश्नावली दायर की गई।

क्रसं	हितबद्ध पक्षकारों का नाम
1	सदारा केमिकल कंपनी, सऊदी अरब
2	सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, सऊदी अरब (एसएबीआईसी) और एसएबीआईसी एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड (एसएपीपीएल)

3	कोवेस्ट्रो ड्यूशलैंड एजी
4	बोर्सोडकेम जेडआरटी
5	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड

- xvi. ऐसे विदेशी उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने प्राधिकारी को कोई उत्तर नहीं दिया है, या इस जांच से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, उन्हें हितबद्ध पक्षकारों के साथ असहयोगी के रूप में माना गया है।
- xvii. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों का अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।
- xviii. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 13 जून 2025 को हाइब्रिड मोड में आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। निर्दिष्ट प्राधिकारी में परिवर्तन के कारण, 29 जुलाई 2025 को दूसरी मौखिक सुनवाई आयोजित की गई। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप में व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें, उसके बाद यदि कोई हो, तो प्रत्युत्तर अनुरोध करें। पक्षकारों ने अपने अगोपनीय अनुरोध अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किए और उन्हें अपने खंडन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।
- xix. नियम 6(8) के अनुसार, जहाँ कहीं किसी हितबद्ध पक्षकारकार ने वर्तमान जाँच के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया है या उसे समय पर उपलब्ध नहीं कराया है, या जाँच में अत्यधिक बाधा डाली है, तो प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जाँच परिणाम दर्ज किए हैं।
- xx. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहाँ कहीं आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहाँ तक संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रदान करने का निर्देश दिया गया।
- xxi. नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने जांच के दौरान घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना की सटीकता से स्वयं को संतुष्ट किया, जो इस प्रकटन विवरण का आधार हैं। सूचना का यथासंभव सत्यापन किया गया और घरेलू उद्योग तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आकड़ा दस्तावेजों का, संगत, व्यावहारिक और आवश्यक समझे जाने की सीमा तक सत्यापन किया गया।
- xxii. नियम 8 के अनुसार, प्राधिकरण ने जाँच की प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित किया कि घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी सटीक है, जो इस अंतिम निष्कर्ष का आधार बनती है। प्रस्तुत की गई जानकारी का यथासंभव सत्यापन किया गया और घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षों द्वारा जमा किए गए आंकड़ों और दस्तावेजों की समीक्षा उन सीमाओं तक की गई, जिन्हें संबंधित, व्यवहारिक और आवश्यक माना गया।

- xxiii. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति-रहित कीमत (एनआईपी) की गणना की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क घरेलू उद्योग को हो रही क्षति की भरपाई के लिए पर्याप्त होगा। एनआईपी की गणना उत्पादन की इष्टतम लागत और भारत में घरेलू समान वस्तु के उत्पादन एवं बिक्री की लागत के आधार पर, आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर और सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए की गई है।
- xxiv. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों और उपलब्ध कराई गई सूचनाओं पर, जहाँ तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जाँच के लिए संगत मानी जाती हैं, विचार किया है। प्राधिकारी प्रकटन विवरण के बाद हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यांकित दस्तावेजों की आगे जाँच करेंगे, जो अंतिम जाँच परिणाम के समय निष्कर्षों का आधार बनेंगे।
- xxv. प्राधिकारी ने सभी आवश्यक तथ्यों वाला प्रकटीकरण विवरण 31 अक्टूबर 2025 को सभी हितबद्ध पक्षों को परिचालित किया। प्राधिकारी ने इन अंतिम निष्कर्षों में हितबद्ध पक्षों द्वारा की गई सभी प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियों की, जहाँ तक प्रासंगिक समझा गया, जाँच की है। कोई भी निवेदन, जो केवल पूर्व प्रस्तुतिकरण की पुनरावृत्ति मात्र था, और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जाँच की गई थी, संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।
- xxvi. इस अंतिम निष्कर्ष में “****” चिह्न किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- xxvii. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जाँच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 83.82 रुपये है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

8. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं: -
- घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद में बीएचटी सहित एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित स्तर से अधिक है।
 - घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित टीडीआई में ऐसे विनिर्देशन हैं जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों द्वारा प्रस्तुत और अंतरराष्ट्रीय मानकों पर स्वीकृत टीडीआई गुणवत्ता से निम्नतर हैं।
 - घरेलू उद्योग पर्याप्त मात्रा में ओडीसीबी-मुक्त टीडीआई या बीएचटी-मुक्त टीडीआई का उत्पादन नहीं करता है। घरेलू उद्योग ने इन ग्रेडों का उत्पादन नहीं किया। उन्होंने हाल ही में अपने एक संयंत्र में इनका उत्पादन शुरू किया है, किंतु इनकी मात्रा मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।
 - घरेलू उद्योग बीएचटी-मुक्त या ओडीसीबी-मुक्त टीडीआई जैसे विशिष्ट प्रकारों की संगतता को कम करके आंकने की कोशिश कर रहा है, और वह उनकी मांग को गैर-आवश्यक बता रहा है।

- v. प्राधिकारी को यह मूल्यांकन करना होगा कि क्या घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तु आयातित उत्पाद से तुलनीय है, विशेष रूप से तब जब आयातित किस्म को तकनीकी और विनियामक मानकों को पूरा करना आवश्यक हो, जिन्हें घरेलू किस्म पूरा करने में विफल रहता है।
- vi. भारत में बीएचटी-मुक्त टीडीआई का सीमित उत्पादन सीमित मांग का संकेत नहीं है, बल्कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रचालन संबंधी बाधाओं और वाणिज्यिक विकल्पों को प्रदर्शित करता है। यह तथ्य कि इसका निर्माण कम मात्रा में किया जाता है, यह दर्शाता है कि ऐसी मांग मौजूद है, किंतु पर्याप्त रूप से पूरी नहीं हो रही है।
- vii. ओडीसीबी-मुक्त टीडीआई, जो आरईएसीएच-अनुपालक अनुप्रयोगों और कुछ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात के लिए आवश्यक है, घरेलू उद्योग द्वारा बिल्कुल भी निर्मित नहीं किया जाता है और इसे पूरी तरह से आयात करना पड़ता है।

ग.2. घरेलू उद्योग के अनुरोध

9. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जैसा मूल जाँच में परिभाषित किया गया था।
 - ii. उत्पाद में कोई प्रगति नहीं हुई है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद आयातित उत्पाद के समान वस्तु बना हुआ है।
 - iii. घरेलू उद्योग ने बीएचटी और ओडीसीबी मुक्त टीडीआई का उत्पादन और आपूर्ति की है।
 - iv. प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य, जापान और कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा में पहले ही यह सिद्ध कर दिया है कि बीएचटी मुक्त सामग्री की मांग बहुत कम है।
 - v. घरेलू उद्योग ने यह उत्पाद उन प्रयोक्ताओं को आपूर्ति किया है जिन्होंने इसे आईकिया को बेचा है, जो इसके सबसे बड़े प्रयोक्ताओं में से एक है। आईकिया ने स्वीकार किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है।
 - vi. घरेलू उद्योग ने 60 देशों को निर्यात भी किया है। गुणवत्ता संबंधी कोई समस्या नहीं पाई गई है।
 - vii. विचाराधीन उत्पाद के लिए भारत में बीआईएस प्रमाणन अनिवार्य नहीं है। तथापि, घरेलू उद्योग ऐसा प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला उद्योग है।
 - viii. शीला फोम ने स्वयं घरेलू उद्योग से पर्याप्त मात्रा में संबद्ध वस्तु खरीदी हैं। वास्तव में, घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति स्पेन स्थित शीला फोम की एक सहयोगी इकाई को की है।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

10. वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है और विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जाँच में परिभाषित दायरे के अनुसार ही बना रहेगा। मूल जाँच में यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है -
- "9. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद टोल्यूइन डाइ-आइसोसाइनेट (टीडीआई) है, जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 के अनुपात में है। वर्तमान जाँच में पीयूसी का दायरा टीडीआई तक सीमित है, जिसमें आइसोमर की मात्रा (80:20) के अनुपात में है और अन्य सभी ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। पीयूसी का उपयोग लचीले पॉलीयूरेथेन फोम, गद्दे, तकिए और रजाई आदि में किया जाता है।*
- 10. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद पर निम्नानुसार विचार किया है: - "वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद "टोल्यूइन डाइआइसोसाइनेट (टीडीआई) है जिसमें आइसोमर सामग्री 80:20 के अनुपात में है"। टोल्यूइन डाइ-आइसोसाइनेट (टीडीआई) एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र सीएच₃सी₆एच₃ (एनसीओ)₂ है। छह संभावित आइसोमरों में से दो व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण हैं: 2,4-टीडीआई (सीएएस: 584-84-9) और 2,6-टीडीआई (सीएएस: 91-08-7)। 2,4-टीडीआई शुद्ध अवस्था में उत्पादित होता है, किंतु टीडीआई को अक्सर क्रमशः 2,4 और 2,6 आइसोमरों के 80/20 और 65/35 मिश्रण के रूप में विपणन किया जाता है। वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद ऐसे टीडीआई से संबंधित है जिसमें आइसोमर सामग्री (80:20) के अनुपात में है। अन्य सभी ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।*
- 11. विचाराधीन उत्पाद एचएस कोड 2929 10 20 के अंतर्गत अध्याय शीर्षक 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और पीयूसी के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"*
11. प्राधिकारी ने उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क का विश्लेषण किया है। घरेलू उद्योग ने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो दर्शाते हैं कि विचाराधीन उत्पाद में प्रयुक्त एंटीऑक्सीडेंट निर्धारित सीमा के भीतर हैं और इसने गुणवत्ता के लिए बीआईएस प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है। घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति उपभोक्ताओं को बड़ी मात्रा में की है और 60 से अधिक देशों को उत्पाद का निर्यात किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने रिकॉर्ड में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो दर्शाते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की गुणवत्ता आयातित उत्पाद के समतुल्य है।
12. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग विचाराधीन ओडीबीसी-मुक्त उत्पाद का उत्पादन नहीं करता है, घरेलू उद्योग ने रिकॉर्ड में परीक्षण प्रति प्रस्तुत की है जो दर्शाती है कि विचाराधीन उत्पाद ओडीबीसी-मुक्त उत्पादित है। घरेलू उद्योग ने शीला फोम की एक संबंधित इकाई को यूरोपीय संघ में की गई आपूर्ति की प्रतियां भी प्रदान की हैं। अतः, प्राधिकारी का मानना है कि प्रयोक्ता उद्योग का तर्क सत्य नहीं है।
13. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकरण विचाराधीन उत्पाद के उसी दायरे की पुष्टि करता है जैसा कि पहले अधिसूचित किया गया था। विचाराधीन उत्पाद है -
- "टोल्यूइन डाइआइसोसाइनेट (टीडीआई) जिसमें आइसोमर मात्रा 80:20 के अनुपात में है"।*
14. यह उत्पाद सीमा शुल्क कोड 29291020 के अंतर्गत अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत है।
15. यह भी नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से संबद्ध जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देशनों, तकनीकी विनिर्देशनों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन, तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के समतुल्य हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जा सकते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार, संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के 'समान वस्तु' है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

घ. 1 अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध

17. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

घ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

18. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है।
- घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देशों में किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातक से संबंधित नहीं है।
- घरेलू उद्योग नियम 2(ख) की अपेक्षा को पूरा करता है, और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करता है।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान आवेदन गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। भारत में विचाराधीन उत्पाद का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड ने प्रमाणित किया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के सौदा-वार आंकड़ों की जाँच की है और पाया है कि गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं किया गया है।

20. नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग की परिभाषा इस प्रकार दी गई है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' से तात्पर्य समग्र रूप से ऐसे घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे संबंधित किसी भी गतिविधि में संलग्न हैं या जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, बशर्ते कि ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित नहीं हों या स्वयं उसके आयातक नहीं हों, ऐसी स्थिति में 'घरेलू उद्योग' शब्द का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

21. यह नोट किया जाता है कि आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग है, और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार पात्रता के मानदंडों को पूरा करता है।

ड. विविध अनुरोध और गोपनीयता संबंधी टिप्पणियाँ

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

22. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:
- घरेलू उद्योग को विभिन्न देशों से आयातों के विरुद्ध एक विस्तारित अवधि में व्यापार सुधारात्मक उपायों के माध्यम से पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हुआ है।
 - घरेलू उद्योग द्वारा रिपोर्ट की गई आयात मात्रा चीन, जापान और कोरिया से पिछली जाँच में रिपोर्ट की गई मात्रा के अनुरूप नहीं है।
 - घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के विपरीत, आरंभिक और अंतिम स्टॉक के लिए सूचीबद्ध आंकड़ों को गोपनीय बताया है।
 - घरेलू उद्योग ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तरों में दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता के संबंध में निराधार आरोप लगाए हैं।
 - प्रयोक्ता द्वारा अनुबंध 1 के रुझानों में आंकड़े उपलब्ध नहीं कराने पर घरेलू उद्योग की आपत्ति का कोई कानूनी या तार्किक आधार नहीं है। पीयूसी का उपयोग करने वाले अंतिम उत्पादों का कुल लागत विवरण लागू नहीं है क्योंकि जानकारी केवल जाँच की अवधि से संबंधित है।
 - घरेलू उद्योग का यह दावा कि डाउनस्ट्रीम उद्योग ने व्यापक चरण-वार उत्पादन प्रक्रिया का खुलासा नहीं किया है, स्वाभाविक रूप से विरोधाभासी है, क्योंकि घरेलू उद्योग ने स्वयं चरण-वार उत्पादन प्रक्रिया का कोई विवरण नहीं बताया है।
 - व्यापार सूचना संख्या 10/2018 में उत्पाद सूची या ब्रोशर प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।

इ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

23. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं।

- विभिन्न स्रोतों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग ने व्यापार सुधारात्मक उपायों का सहारा लिया है।
- एक स्रोत से दूसरे स्रोत में पाटन के स्थानांतरण ने घरेलू उद्योग को उचित लाभ के साथ यथोचित लंबी अवधि तक प्रचालन करने का अवसर नहीं दिया है। घरेलू उद्योग अभी भी पाटन के प्रति संवेदनशील है।
- व्यापार सूचना 10/2018 में आरंभिक या अंतिम सूची के प्रकटन की आवश्यकता नहीं है। व्यापार सूचना में केवल औसत सूची के प्रकटन की आवश्यकता है।
- संबद्ध देशों के उत्पादकों और निर्यातकों तथा आयातकों और प्रयोक्ताओं ने अत्यधिक और अनुचित गोपनीयता का दावा किया है, जिसने घरेलू उद्योग को कोई भी सार्थक टिप्पणी करने से अवरुद्ध किया है।
- सदारा समूह ने निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रिया के अपने अगोपनीय संस्करण में प्रदर्शक-5, परिशिष्ट-2, परिशिष्ट-3ख, परिशिष्ट-4क, भारत में निर्यात में शामिल संबंधित पक्षों पर विवरण और व्यापक विनिर्माण प्रक्रिया में सूचना के रुझान प्रदान नहीं किए हैं। सदारा द्वारा दायर प्रतिक्रिया के भाग II में स्थापित क्षमता, उत्पादन मात्रा-पीयूसी, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा पर रुझान प्रदान नहीं किए गए हैं।

- vi. सदारा केमिकल कंपनी के एक उपयोगकर्ता और संबंधित आयातक, डॉव केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने अनुबंध 1, अनुबंध 2, अनुबंध 3 और अनुबंध 5 में सूचना के रुझान प्रदान नहीं किए हैं। उत्पादन प्रक्रिया पर विवरण का सारांश भी प्रदान नहीं किया गया है।
- vii. एसएपीपीएल ने परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 3क और परिशिष्ट 1क में सूचना के रुझान प्रदान नहीं किए हैं। जबकि एसएबीआईसी ने परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 3ख और परिशिष्ट 1क में सूचना के रुझान प्रदान नहीं किए हैं।
- viii. कोवेस्ट्रो ड्यूशलैंड एजी ने परिशिष्ट 3क और परिशिष्ट 4क में सूचना के रुझान प्रदान नहीं किए हैं। उत्पादन प्रक्रिया संबंधी व्योरे का सारांश भी प्रदान नहीं किया गया है।
- ix. कोवेस्ट्रो ड्यूशलैंड एजी के प्रयोक्ता और संबंधित आयातक कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने अनुबंध 1, अनुबंध 2, अनुबंध 3 और अनुबंध 5 में सूचना के रुझान प्रदान नहीं किए हैं।
- x. बोरसोडकेम जेडआरटी ने परिशिष्ट 3क, परिशिष्ट 4क और परिशिष्ट 13 में सूचना के रुझान उपलब्ध नहीं कराए हैं। निर्यातक ने उत्पाद सूची और ब्रोशर तथा व्यापक चरणवार विनिर्माण प्रक्रिया संबंधी विवरण भी उपलब्ध नहीं कराया है।
- xi. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से यह सिद्ध होता है कि संबद्ध देशों से पाटन में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग को लगातार क्षति हुई है। शुल्कों में वृद्धि की आवश्यकता है।

इ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

- 24. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क से पर्याप्त संरक्षण प्राप्त है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क अपने आप में कोई संरक्षण नहीं है। पाटनरोधी शुल्क क्षतिकारी पाटन से निपटने का एक उपाय है। वर्तमान जाँच, संबद्ध देशों के लिए पहली निर्णायक समीक्षा जाँच है। पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिशें प्राधिकारी द्वारा जाँच के बाद और अपेक्षित कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ण पूर्ति के बाद ही की जाती हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन एक अनुचित व्यापार व्यवहार है और यदि इससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है या होने की संभावना है, तो इसका समाधान किया जाना चाहिए। विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों की अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग कितनी बार निवारण मांग सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है और न ही पाटनरोधी शुल्क लगाने की संख्या पर कोई प्रतिबंध है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिनियम की धारा 9(क)(5) और नियमावली के नियम 23 के अनुसार, शुल्क के लागू रहने की अधिकतम अवधि पर कोई प्रतिबंध नहीं है। शुल्कों के विस्तार के लिए आवश्यक एकमात्र शर्त यह है कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। पाटन और क्षति की संभावना का प्रतिरोध करने के लिए पाटनरोधी शुल्क को आवश्यकतानुसार अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि शुल्क जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, तो पाटनरोधी शुल्क को हटाया जा सकता है, चाहे शुल्क कितनी भी अवधि के लिए लागू रहा हो।
- 25. वर्तमान मामले में आवेदक ने पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने तथा इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति का दावा करते हुए आवेदन दायर किया है। नियम 23 (1ख) के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार, एक समीक्षा शुरू की गई है और प्राधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति जारी रहने की संभावना है।

26. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़े अविश्वसनीय हैं, प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा और कीमत की जांच के लिए डीजी सिस्टम्स के सौदा-वार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है।
27. सूचना की गोपनीयता के अनुरोध के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहाँ भी आवश्यक हो, स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां तक संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय अंश सार्वजनिक फ़ाइल के रूप में उपलब्ध कराया है। घरेलू उद्योग के आयात, निष्पादन मानदंडों और क्षति मानदंडों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक फ़ाइल में उपलब्ध करा दी गई है। व्यापार-संवेदनशील जानकारी को परिपाटी के अनुसार गोपनीय रखा गया है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

28. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं
- घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़े अविश्वसनीय हैं क्योंकि सूचित की गई निर्यात कीमत कम बताई गई है और रिपोर्ट की गई आयात मात्रा पिछली जाँचों में रिपोर्ट की गई मात्रा के अनुरूप नहीं है।
 - निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में रिपोर्ट की गई औसत निर्यात कीमत आवेदन में अनुमानित कीमत से काफी अधिक है।
 - घरेलू उद्योग द्वारा रिपोर्ट किए गए आयात आंकड़ों की सत्यता की जाँच प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।
 - पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए, प्राधिकारी को निर्यातक द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पहुँच कीमत पर भरोसा करना चाहिए।
 - प्रतिवादी निर्यातकों ने भारत को निर्यात कीमत और घरेलू बाजार में पुनर्विक्रय कीमत के संबंध में पूरी जानकारी प्रदान की है।
 - निर्णायक समीक्षा जांच में, यदि पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहती है या इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होती है, तो मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया रही है।
 - यदि प्राधिकारी को लगता है कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा में पाटनरोधी शुल्क को संशोधित किया जाना चाहिए, तो प्रतिवादियों के लिए पाटनरोधी शुल्क की अलग-अलग दर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन पर आधारित होनी चाहिए।
 - भारत को निर्यात एसएबीआईसी समूह के माध्यम से किया जाता है और स्वतंत्र एवं असंबंधित भारतीय आयातकों को बेचा जाता है और डीसीआईपीएल ने जांच अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के व्यापार या पुनः बिक्री गतिविधि में भाग नहीं लिया है।
 - आवेदन में सऊदी अरब से निर्यात के लिए पहुँच कीमत गलत है और वास्तविक सौदा मूल्यों को प्रदर्शित नहीं करता है।

- x. घरेलू उद्योग द्वारा सूचित पहुँच कीमत असामान्य रूप से कम है और वास्तविक बाजार स्थितियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।
- xi. भारत में सीमाशुल्क को सूचित आयात कीमत के बारे में घरेलू उद्योग का यह आरोप वास्तविक आयात कीमत नहीं है जिस पर उत्पाद भारतीय बाजार में बेचा जाता है, जहां तक एसएबीआईसी और एसएपीपीएल का संबंध है, पूरी तरह से गलत है।
- xii. घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन में बताए गए आयात आंकड़ों में भारी संशोधन किया गया है।
- xiii. यह तर्क कि मूल जांच से पाटन मार्जिन में वृद्धि हुई है, आयात आंकड़ों पर आधारित है जो स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय है।
- xiv. प्रतिवादियों के लिए पाटन मार्जिन में वृद्धि के बारे में घरेलू उद्योग का दावा एक निर्णायक समीक्षा जांच में बोरसोड के लिए अलग दर निर्धारित करने के लिए सार्थक नहीं है।
- xv. घरेलू उद्योग का यह दावा कि सदारा ने तीसरे देशों के निर्यात विवरण प्रदान नहीं किए हैं, गलत है। सदारा ने पहले ही कहा है कि उसने तीसरे देशों को निर्यात के लिए एसएबीआईसी और डाव को बिक्री की है।
- xvi. जब संबंधित आयातक/प्रयोक्ता द्वारा आयातित वस्तु का पुनर्विक्रय नहीं किया जाता है, तो निर्यात कीमत के पुनर्निर्माण के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। प्राधिकारी ने संबंधित आयातक/प्रयोक्ता को वास्तविक निर्यात कीमत को भी सतत रूप से स्वीकार किया है।
- xvii. निर्यात कीमत सीमाशुल्क कानून और आयकर कानून के अंतर्गत अनेक जाँचों और संतुलनों से गुजरती है। विशेष मूल्यांकन शाखा आयातक और संबंधित विदेशी आपूर्तिकर्ता के बीच लेनदेन की जाँच करती है। इसलिए, भारत को कोवेस्ट्रो डॉयचलैंड एजी की निर्यात कीमत पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।
- xviii. प्रतिवादियों को स्थानांतरण कीमत निर्धारण विनियमन का भी पालन करना आवश्यक है, जो संबंधित पक्षकारों के बीच लेनदेन के मामले में उचित कीमत के आकलन का प्रावधान करता है।
- xix. जर्मनी से कोवेस्ट्रो की आयात कीमत 2022-23 से वर्ष दर वर्ष बढ़ी है। फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद, ऊर्जा की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, और इसका प्रभाव जर्मनी ने बिक्री लागत में वृद्धि के रूप में महसूस किया।
- xx. अक्टूबर 2023 से शुरू हुए लाल सागर संकट के कारण जाँच अवधि में माल दुलाई लागत में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप जाँच अवधि में जर्मनी से आयात कीमतों में और वृद्धि हुई है।
- xxi. जाँच अवधि के दौरान निर्यात बिक्री की लागत *** यूरो प्रति मीट्रिक टन रही है और जाँच अवधि के दौरान इसकी निर्यात कीमत *** यूरो प्रति मीट्रिक टन रही है। इससे पता चलता है कि भारत में कोवेस्ट्रो की निर्यात कीमत उचित और दूरस्थ आधार पर की गई है।
- xxii. जाँच अवधि के बाद की अवधि में भी कोवेस्ट्रो की निर्यात कीमत अधिक बनी हुई है।
- xxiii. जर्मनी से कोवेस्ट्रो डॉयचलैंड एजी से आयात कीमत, जाँच अवधि 2022-23 में और जाँच अवधि के बाद की अवधि में भी कोवेस्ट्रो चीन से आयात कीमत से अधिक था। प्रतिवादियों द्वारा लंबी अवधि के लिए कृत्रिम रूप से इतनी ऊँची कीमत बनाए रखना और भारत में आयात पर उच्च सीमा शुल्क देयता वहन करना युक्तियुक्त नहीं होगा।

xxiv. यह दावा कि पाटनरोधी नियमावली, निर्णायक समीक्षा में शुल्क में संशोधन और वृद्धि की अनुमति देती हैं, गलत है और जाँच के केवल दो ही परिणाम हो सकते हैं, या तो समाप्ति या जारी रहना।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

29. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

- i. संबद्ध देशों से पाटन जारी रहा है। वर्तमान जाँच में पाटन मार्जिन मूल जाँच में निर्धारित पाटन मार्जिन से अधिक रहा है।
- ii. यदि पाटन मार्जिन उस कीमत के अनुसार निर्धारित किया जाता है जिस पर संबंधित कंपनियों ने भारतीय बाजार में बिक्री की है, तो पाटन मार्जिन कहीं अधिक हो जाएगा।
- iii. यह दावा कि कोवेस्ट्रो डॉयचेलेंड एजी द्वारा कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को निर्यात किए गए उत्पाद को भारतीय बाजार में पुनर्विक्रय नहीं किया गया है, साक्ष्य प्रस्तुत करके सिद्ध किया जाना चाहिए।
- iv. बोरसोड के लिए, आयात कीमत वह वास्तविक कीमत नहीं है जिस पर आयातित उत्पाद घरेलू बाजार में बेचा गया है, और जाँच अवधि में आयात की मात्रा और कीमत में काफी उतार-चढ़ाव आया है।
- v. संबद्ध देशों के सभी निर्यातकों के संबंधित आयातक हैं, जो बाद में घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु बेचते हैं। उपभोक्ताओं के साथ बातचीत के आधार पर, घरेलू उद्योग को पता है कि भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु इन संबंधित संस्थाओं द्वारा उस कीमत पर बेची जा रही है जो सीमा शुल्क को बताई गई कीमत से काफी कम है। ये संबंधित कंपनियाँ उत्पाद को भारी घाटे पर बेच रही हैं।
- vi. सीमा शुल्क को घोषित आयात कीमत वह वास्तविक कीमत नहीं है जिस पर उत्पाद घरेलू बाजार में बेचा जा रहा है।
- vii. घरेलू उद्योग घाटे पर बिक्री करने के लिए केवल इसलिए बाध्य है क्योंकि संबंधित कंपनियाँ संबद्ध वस्तु को बहुत कम कीमतों पर बेच रही हैं।
- viii. चीन जन. गण., जापान और कोरिया गणराज्य से समान उत्पाद के आयात से संबंधित पाटनरोधी जाँच में, प्राधिकारी ने यह अवलोकन किया था कि वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी के संबंधित आयातक ने भारत में घाटे पर बिक्री की थी।
- ix. इसी प्रकार, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद पर की गई मूल जाँच में पाया था कि सदारा केमिकल्स के संबंधित आयातक को भारत में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री पर घाटा हुआ था।
- x. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, जब निर्यातक और आयातक के बीच किसी संबंध के कारण निर्यात कीमत प्रभावित होती है, तो निर्यात कीमत की गणना करना आवश्यक होता है। जिस कीमत पर निर्यातक ने संबंधित आयातक को उत्पाद बेचा है, उस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

- xi. जिस कीमत पर कोवेस्ट्रो डॉयचलैंड एजी ने मेसर्स कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को उत्पाद बेचा है, उसे शुद्ध निर्यात कीमत की गणना के लिए नहीं माना जा सकता। चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं की पुनः बिक्री कीमत पर निवल निर्यात कीमत की गणना के लिए विचार किया जा सकता है।
- xii. जिस कीमत पर कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय बाजार में उत्पाद बेचा है, उसे कोवेस्ट्रो डॉयचलैंड एजी से आयात के संबंध में निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

30. धारा 9क (1) (ग) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

ख) परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

31. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी, जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से जानकारी प्रदान करने का परामर्श दिया गया। संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने, भारत में अपनी संबंधित कंपनियों के साथ, निर्धारित प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं।

- i. मेसर्स बोरसोडेकेमजेडआरटी, हंगरी, यूरोपीय संघ
- ii. मेसर्स कोवेस्ट्रो डॉयचलैंड एजी, जर्मनी, यूरोपीय संघ
- iii. मेसर्स सदारा केमिकल कंपनी, सऊदी अरब

- iv. मेसर्स डॉव सऊदी अरब प्रोडक्ट मार्केटिंग बी.वी.
 - v. मेसर्स डॉव केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड
 - vi. मेसर्स सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, सऊदी अरब (एसएबीआईसी)
 - vii. मेसर्स एसएबीआईसी एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड (एसएपीपीएल)
32. संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतें नीचे पैरा 59 में निर्धारित की गई हैं:

यूरोपीय संघ

i. मेसर्स बोरसोड केमज़र्ट

33. मेसर्स बोरसोड केमज़र्ट ("बोरसोड") हंगरी के कानून के अंतर्गत स्थापित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो शेयरों द्वारा लिमिटेड है। निर्यातक के प्रश्नावली के उत्तर से यह पता चलता है कि घरेलू बाजार में, बोरसोड ने संबंधित और असंबंधित दोनों तरह के उपभोक्ताओं को बिक्री की है। असंबद्ध उपभोक्ताओं को संबंधित पक्षकार की बिक्री की जानकारी प्रदान की गई है। भारत को निर्यात के लिए, बोरसोड ने संबद्ध वस्तु केवल अपने संबंधित पक्षकारों, अर्थात् वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को बेची हैं, जिसने भारतीय बाजार में वस्तुओं की पुनः बिक्री की है।

➤ सामान्य मूल्य

34. बोरसोड केमज़र्ट ने आवश्यक जानकारी प्रदान करते हुए निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान, बोरसोडकेमजेडआरटी ने घरेलू बाजार में असंबंधित ग्राहकों को सीधे यूरो के चालान मूल्य पर ***मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुएँ ***मीट्रिक टन बेची हैं। बोरसोड केमज़र्ट ने भी अपनी संबंधित कंपनी, वानहुआ बोरसोडकेम इटालिया एस.आर.एल., इटली के माध्यम से यूरो ***/एमटी के इनवॉइस मूल्य पर विषयगत वस्तुओं की ***एमटी बिक्री की है। बोरसोड केमज़र्ट ने असंबंधित उपभोक्ताओं को घरेलू बाजार में की गई बिक्री का विवरण, अपने संबंधित पक्षकार को घरेलू बाजार में की गई बिक्री का विवरण और स्वतंत्र उपभोक्ताओं को संबंधित पक्षकार की पुनः बिक्री कीमत का विवरण प्रदान किया है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।
35. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदों का निर्धारण करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया। यदि लाभ कमाने वाले सौदे 80% से अधिक हैं, तो प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी सौदों पर विचार किया है। जहाँ लाभदायक सौदे 80% से कम हैं, वहाँ सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभदायक घरेलू बिक्री को ही ध्यान में रखा गया है। व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण के आधार पर, सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु लाभप्रद बिक्री को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि लाभप्रद बिक्री 80% से कम थी।
36. बोरसोड केमज़र्ट ने बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत, पैकिंग लागत और अन्य संबंधित खर्चों के लिए समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन के बाद दावा किए गए समायोजनों को अनुमति दी है और तदनुसार कारखाना-द्वार स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रकार निर्धारित कारखाना-द्वार सामान्य मूल्य का उल्लेख पैरा 59 में पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

➤ निर्यात कीमत

37. जांच अवधि के दौरान, बोरसोड केमज़र्ट ने संबद्ध वस्तुओं का निर्यात अपनी भारतीय संबद्ध कंपनी, वान्हुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को किया है, जिसने बाद में संबद्ध वस्तुओं की भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को पुनः बिक्री की है। बोरसोड केमज़र्ट और वान्हुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने आवश्यक प्रारूपों में संगत जानकारी प्रदान की है।
38. संबंधित भारतीय आयातक द्वारा प्रस्तुत उत्तर से यह नोट किया गया है कि बोरसोडकेम ज़ेडआरटी से आयातित संबद्ध वस्तु को जांच अवधि के दौरान भारतीय बाजार में घाटे पर पुनः बेचा गया था। तदनुसार, प्राधिकारी ने निवल निर्यात की गणना करने के लिए संबंधित आयातक को हुई हानि के लिए उचित समायोजन किया है। बोरसोड केम ज़ेडआरटी ने समुद्री मालभाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन व्यय, बीमा, ऋण लागत और पैकिंग व्यय के लिए समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा उचित सत्यापन के बाद इन्हें अनुमति दी गई है। निर्धारित कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत पैरा 59 में पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

ii. मेसर्स कोवेस्ट्रो डॉयचलैंड एजी

39. मेसर्स कोवेस्ट्रो डॉयचलैंड एजी ("कोवेस्ट्रो जर्मनी") जर्मन कंपनी कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत और स्थापित एक स्टॉक कॉर्पोरेशन कंपनी है। निर्यातक के प्रश्नावली उत्तर से यह नोट किया गया है कि घरेलू बाजार में, कोवेस्ट्रो जर्मनी ने कोवेस्ट्रो इंटरनेशनल एसए और कोवेस्ट्रो एस.आर.एल. को बिक्री की है। असंबद्ध उपभोक्ताओं को संबंधित पक्षकार द्वारा की गई बिक्री के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। भारत को निर्यात के लिए, कोवेस्ट्रो जर्मनी ने संबद्ध वस्तुएँ केवल अपने संबंधित पक्षकारों अर्थात् कोवेस्ट्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ही बेची हैं। कोवेस्ट्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आयातित उत्पाद का उपभोग आबद्ध प्रयोजन के लिए किया है। भारत में किसी भी असंबद्ध पक्षकार को कोई बिक्री नहीं की गई है।

➤ सामान्य मूल्य

40. कोवेस्ट्रो डॉयचलैंड एजी ने आवश्यक जानकारी प्रदान करते हुए निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान, कोवेस्ट्रो डॉयचलैंड एजी ने संबद्ध वस्तुएँ घरेलू बाजार में असंबद्ध उपभोक्ताओं को सीधे और संबंधित कंपनियों के माध्यम से भी बेची हैं। कोवेस्ट्रो डॉयचलैंड एजी ने असंबद्ध उपभोक्ताओं को घरेलू बाजार में की गई बिक्री का विवरण, अपने संबंधित पक्षकारों को घरेलू बाजार में की गई बिक्री का विवरण और स्वतंत्र उपभोक्ताओं को संबंधित पक्षकारों की पुनः बिक्री कीमत का विवरण प्रदान किया है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है।
41. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदों का निर्धारण करने हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया। यदि लाभ कमाने वाले सौदे 80% से अधिक हैं, तो प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी सौदों पर विचार किया है। जहाँ लाभदायक सौदे 80% से कम हैं, वहाँ सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभदायक घरेलू बिक्री को ही ध्यान में रखा गया है। व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण के आधार पर, सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु लाभप्रद बिक्री को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि लाभप्रद बिक्री 80% से कम थी।
42. कोवेस्ट्रो डॉयचलैंड एजी ने बीमा, परिवहन, ऋण लागत और पैकिंग लागत के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने दावा किए गए और सत्यापन के अनुसार समायोजन की अनुमति दी है और तदनुसार कारखाना-द्वारा स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रकार निर्धारित कारखाना-द्वारा सामान्य मूल्य का उल्लेख पैरा 59 में पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

➤ **निर्यात कीमत**

43. जाँच अवधि के दौरान, कोवेस्ट्रो डॉयचलैंड एजी ने संबद्ध वस्तुओं का निर्यात अपनी भारतीय संबद्ध इकाई, कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को किया है, जिसने भारत में कीमत वर्धित उत्पादों के निर्माण हेतु संबद्ध वस्तुओं का उपभोग किया है। कोवेस्ट्रो डॉयचलैंड एजी और कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने अपेक्षित प्रारूपों में संगत जानकारी प्रदान की है।
44. कोवेस्ट्रो डॉयचलैंड एजी ने समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन संबंधी व्यय, बीमा, ऋण लागत और पैकिंग व्यय (जहाँ भी लागू हो) के लिए समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा डेस्क सत्यापन के बाद इनकी अनुमति दी गई है। निर्धारित कारखाना-द्वार निर्यात कीमत पैरा 59 में पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

iii. **असहयोगी उत्पादक/निर्यातक**

45. यूरोपीय संघ के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत, सहयोगी निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई हैं और इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका के पैरा 59 में किया गया है।

सऊदी अरब

46. संबद्ध जाँच की शुरुआत के उत्तर में, सऊदी अरब के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है: -
- क. मेसर्स सदारा केमिकल कंपनी, सऊदी अरब
 ख. मेसर्स डाउ सऊदी अरबिया प्रोडक्ट मार्केटिंग बी.वी.
 ग. मेसर्स डाउ केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड
 घ. मेसर्स सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, सऊदी अरब (एसएबीआईसी)
 ङ. एसएबीआईसी एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड (एसएपीपीएल)
47. डाउ केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ('डीसीआईपीएल') ने भी आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।
48. तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश के विभिन्न उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण पैरा 59 में निम्नानुसार करने का प्रस्ताव करते हैं:

➤ **सामान्य मूल्य**

49. एसएबीआईसी और सदारा संबंधित कंपनियाँ हैं। सदारा का एसएबीआईसी के साथ एक विपणन समझौता है, जिसके अंतर्गत एसएबीआईसी, सदारा द्वारा उत्पादित वस्तुओं को घरेलू बाजार में बेचता है। एसएबीआईसी, संबद्ध वस्तुओं की बिक्री के लिए सदारा से विपणन शुल्क लेता है। इसके बाद एसएबीआईसी, सदारा द्वारा उत्पादित वस्तुओं को घरेलू बाजार में असंबंधित उपभोक्ताओं को पुनः बेचता है। एसएबीआईसी ने सदारा द्वारा उत्पादित *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं को घरेलू बाजार में बेचा है।
50. कारखाना-द्वार सामान्य मूल्य ज्ञात करने के लिए, प्राधिकारी ने एसएबीआईसी को बिक्री के लिए सदारा द्वारा वहन की गई अंतर्देशीय और ऋण लागत, तथा सऊदी अरब में असंबंधित उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए एसएबीआईसी द्वारा वहन किए गए भूमि परिवहन, बीमा, भंडारण शुल्क, निरीक्षण शुल्क और अन्य व्ययों को

घटा दिया है। सदारा और एसएबीआईसी दोनों द्वारा दावा किए गए समायोजनों का डेस्क सत्यापन के बाद सत्यापन किया गया है और जहाँ भी उपयुक्त हो, उन्हें स्वीकार कर लिया गया है।

51. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने सदारा की उत्पादन लागत और सदारा और एसएबीआईसी दोनों के एसजीए व्यय के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदों का निर्धारण करने हेतु व्यापार का सामान्य क्रम परीक्षण संचालित किया। चूंकि 80% से कम घरेलू बिक्री लाभदायक थी, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण केवल लाभदायक बिक्री के कारखाना-बाहर विक्रय मूल्य के आधार पर किया जाता है।
52. निर्धारित सामान्य मूल्य पैरा 59 में पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

➤ **निर्यात कीमत**

53. सदारा ने उत्पाद विपणन और लिफ्टिंग करार के अंतर्गत भारत को निर्यात के लिए डॉव मार्केटिंग और एसएबीआईसी संबद्ध कंपनियों को संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। जांच की अवधि के दौरान, सदारा ने भारत को निर्यात के लिए डॉव मार्केटिंग को *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुएं और शेष *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुएं एसएबीआईसी को बेची हैं।
54. जांच अवधि के दौरान, डॉव मार्केटिंग ने डॉव सिंगापुर को *** अमेरिकी डॉलर के मूल्य पर *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तु की बिक्री की। इसके बाद, डॉव सिंगापुर ने *** अमेरिकी डॉलर के बिक्री कीमत पर आबद्ध खपत के लिए डीसीआईपीएल को *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तु की पुनः बिक्री की। चूंकि डॉव ने संबद्ध वस्तु घाटे में बेची है, इसलिए निर्यात मूल्य की गणना सदारा और डॉव कंपनियों द्वारा किए गए सभी बिक्री के बाद के व्ययों, अर्थात् अंतर्देशीय भाड़ा, पत्तन और अन्य व्यय, ऋण लागत, समुद्री भाड़ा और बीमा को घटाने के बाद, डॉव सिंगापुर द्वारा भारत को की गई बिक्री की कीमत के आधार पर की गई है।
55. सदारा ने एसएबीआईसी के माध्यम से भारत को *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया। एसएबीआईसी ने एसएपीपीएल को *** अमेरिकी डॉलर के मूल्य पर *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की थी। सदारा द्वारा प्राप्त शेष *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तु भारत को निर्यात के लिए एक असंबंधित व्यापारी अर्थात् रेडियस ग्लोबल डीएमसीसी को बेची गई, जिसने जांच में भाग नहीं लिया है। चूंकि रेडियस ग्लोबल डीएमसीसी ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए प्राधिकारी ने वर्तमान निर्धारण हेतु उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रेडियस ग्लोबल डीएमसीसी के आंकड़ों पर विचार किया है।
56. एसएपीपीएल ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं की *** अमेरिकी डॉलर के मूल्य पर पुनः बिक्री की थी। एसएबीआईसी और एसएपीपीएल दोनों की बिक्री लाभदायक रही। निर्यात मूल्य की गणना भारत में एसएपीपीएल की बिक्री कीमत पर की गई है, जिसमें एसएडीएआरए, एसएबीआईसी और एसएपीपीएल द्वारा किए गए सभी बिक्री के बाद के व्ययों को घटाया गया है, जिनमें अंतर्देशीय भाड़ा, बैंक प्रभार, दस्तावेज़ीकरण और निरीक्षण प्रभार, बीमा, ऋण लागत और समुद्री भाड़ा शामिल हैं।
57. उपर्युक्त के आधार पर, सदारा का भारित निर्यात मूल्य, डॉव, एसएबीआईसी और रेडियस ग्लोबल डीएमसीसी के माध्यम से भारत को की गई समग्र बिक्री के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जैसा कि पैरा 59 में डंपिंग मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

58. सऊदी अरब के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत, सहयोगी निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख पैरा 59 में डंपिंग मार्जिन तालिका में किया गया है।

पाटन मार्जिन

59. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के आधार पर ऊपर निर्धारित किया गया है, डंपिंग मार्जिन नीचे निर्धारित किया गया है।

क्रसं	विवरण	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
		(अमडा/एमटी)	(अमडा/एमटी)	(अमडा/एमटी)	%	रेंज
क	यूरोपीय संघ					
1	बोरसोड केमजर्ट	***	***	***	***	90-100%
2	कोवेस्ट्रो ड्यूसलैंड एजी	***	***	***	***	20-30%
3	कोई अन्य	***	***	***	***	110-120%
ख	सउदी अरब					
1	सदारा कैमिकल कंपनी,	***	***	***	***	50-60%
2	कोई अन्य	***	***	***	***	60-70%

60. यह देखा गया है कि उत्पाद को भारत में काफी कम दामों पर निर्यात किया गया है।

छ. क्षति का आकलन और कारणात्मक संपर्क

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

61. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

- घरेलू उद्योग के उत्पाद बिना बिके नहीं पड़े रह सकते क्योंकि यह 125-145% क्षमता पर चल रहे थे। कोई भी कंपनी अनुकूल बाजार स्थिति में अधिकतम क्षमता पर उत्पाद का उत्पादन नहीं करेगी और फिर भी हानि में रहेगी।
- घरेलू उद्योग दावा कर रहा है कि वे अभूतपूर्व क्षति झेल रहे हैं और फिर भी 70 से अधिक देशों को निर्यात कर रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में, यह दावा कि यह घरेलू मांग का 60-80% भी पूरा कर सकता है, अविश्वसनीय है।
- घरेलू उद्योग के आंकड़ों से पता चलता है कि संबद्ध आयात के कारण कोई मात्रात्मक प्रभाव, कीमत प्रभाव या क्षति नहीं है, और इसलिए क्षति जारी रहने की कोई संभावना नहीं है।

- iv. संबद्ध देशों से आयात की कीमत में उतार-चढ़ाव घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में उतार-चढ़ाव के साथ तालमेल बिठाता है।
- v. बाजार में सभी आपूर्तिकर्ता, जिसमें घरेलू उद्योग और संबद्ध देशों के निर्यातक शामिल हैं, समान वैश्विक आपूर्ति-मांग गतिशीलता, कच्चे माल की लागत और अन्य बाजार कारकों के आधार पर निर्धारित होता है।
- vi. क्षति की अवधि में घरेलू बिक्री में 60% की वृद्धि हुई है और मांग में 64% की वृद्धि हुई है। यह संबंध दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने अपनी बाजार स्थिति बनाए रखी है।
- vii. घरेलू उद्योग ने बढ़ती बाजार मांग के अनुरूप उत्पादन और बिक्री बढ़ाने की क्षमता दिखाई है।
- viii. संबद्ध आयातों ने संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में 35% की कमी दर्शाई है।
- ix. सऊदी अरब से निर्यात की मात्रा पाटनरोधी शुल्क लगाने के बावजूद ऐतिहासिक रूप से कमोबेश स्थिर रही है।
- x. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट विकास और किसी भी क्षति की अनुपस्थिति को दर्शाती है और बेहतर प्रदर्शन और लाभप्रदता की स्पष्ट स्वीकृति बनती है, जो क्षति के अस्तित्व के साथ असंगत स्थितियां हैं।
- xi. घरेलू उद्योग ने दाहेज संयंत्र में कैप्टिव उपयोग के लिए एक नई बिजली उत्पादन प्रणाली स्थापित की है जो प्रचालनात्मक सुधारों के लिए चल रहे पूंजी निवेश को दर्शाता है।
- xii. वार्षिक रिपोर्ट में संयंत्र बंद होने का एक व्यापक पैटर्न भी सामने आया है जिसने उत्पादन, बिक्री और वित्तीय निष्पादन पर सीधा प्रभाव डाला है।
- xiii. घरेलू उद्योग द्वारा अनुभव किए गए संयंत्र बंद होने की आवृत्ति दावा किए गए उद्योग मानदंड से कहीं अधिक है। प्राधिकारी को गैर-आरोपण विश्लेषण करते समय इन असामान्य बंदियों को हल करना चाहिए।
- xiv. प्राधिकारी को यह भी विश्लेषण भी करना चाहिए कि घरेलू उद्योग की कम क्षमता, क्षति मूल्यांकन अवधि के दौरान क्षमता और क्षमता उपयोग में वृद्धि अथवा गिरावट का विश्लेषण करते समय तकनीकी कठिनाइयों का परिणाम है।
- xv. संबद्ध देशों के साथ-साथ चीन, जापान और कोरिया से होने वाले आयात पर पाटनरोधी शुल्क होने और प्राथमिक कच्चे माल की कीमतों में थोड़ी कमी के बावजूद, घरेलू उद्योग को संबद्ध सामान की बिक्री पर भारी क्षति हुई, जो इस बात को और दृढ़ करता है कि क्षति तकनीकी कठिनाइयों के कारण है।
- xvi. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता में 18% की वृद्धि हुई।
- xvii. घरेलू उद्योग की वित्तीय रिपोर्ट (2021-2022 और 2022-2023) और निवेशकों की कॉन्फ्रेंस कॉल से पता चलता है कि संयंत्र में अक्सर तकनीकी कठिनाइयां आती हैं, जिससे उत्पादन में रुकावट आती है और घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि होती है।
- xviii. वित्तीय विवरण 2023-2024 के अनुसार, एक महत्वपूर्ण कच्चा माल, टोल्यूनि की कीमतें कम हो गई हैं।

- xix. घरेलू उद्योग को हुई हानियां उन सालों से मेल खाती है जब घरेलू उद्योग के उत्पादन संयंत्र में तकनीकी दिक्कतें आई थीं।
- xx. 2022-2023 और जांच की अवधि के बीच घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और लाभ के बीच काफी अंतर है, जबकि इन अवधियों के लिए आयात मात्रा में उसी हिसाब से अंतर नहीं है।
- xxi. यह एक निर्विवाद तथ्य है कि टीडीआई के घरेलू उत्पादन में संयंत्र बंद होना एक लगातार चुनौती बनी हुई है। ऐसी परिस्थितियों में, आपूर्ति में स्थिरता बनाए रखने के लिए आयात की अहमियत अपने आप साफ हो जाती है।
- xxii. 2022-23 के लिए बिक्री लागत में काफी बढ़ोतरी संयंत्र बंद होने के कारण ज्यादा निर्धारित लागत की वजह से हुई है।
- xxiii. आयात की मात्रा में कमी और कच्चे माल की कीमत में कमी के बावजूद घरेलू उद्योग की हानियां लगातार बढ़ती रही।
- xxiv. आयात में बढ़ोतरी मांग-आपूर्ति अंतर के कारण है। इसलिए, भारत में आयात में बढ़ोतरी के कारण हुए क्षति का दावा नहीं किया जा सकता।
- xxv. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री की मात्रा 2020-2021 की तुलना में बढ़ी है। जबकि निर्यात बिक्री में काफी कमी आई है।
- xxvi. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात के कारण कीमत कटौती नकारात्मक है।
- xxvii. घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया क्षति मार्जिन बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है क्योंकि घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क जोड़े बिना पहुंच कीमत पर विचार किया है।
- xxviii. तोब तके यूरोपीय संघ से संबद्ध सामानों के आयात का बाजार हिस्सा बहुत कम है।
- xxix. बिक्री लागत में असामान्य वृद्धि के कारण कीमत न्यूनीकरण/ह्रास बढ़ गया है।
- xxx. कीमत में कमी का कारण आयात को तब तक नहीं माना जा सकता जब तक यह न दिखाया जाए कि संबद्ध आयात ने घरेलू उद्योग को कीमतें कम करने के लिए मजबूर किया या उन्हें कीमतें बढ़ाने से रोका। मौजूदा मामले में, घरेलू उद्योग की अपनी कीमतें क्षति की अवधि के अधिकांश समय में बढ़ी हैं।
- xxxi. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के तहत लागत में कटौती क्षति का एक कारण नहीं है। पाटनरोधी नियमावली कीमत में कटौती सहित मात्रा और कीमत प्रभावों का उल्लेख करते हैं, न कि लागत में कटौती का।
- xxxii. बिक्री की लागत में वृद्धि असामान्य है क्योंकि टोल्यानि के लिए कच्चे माल की कीमत में वृद्धि की बिक्री की कुल लागत पर सीमित प्रभाव पड़ता है। टोल्यानि कुल उत्पादन लागत का ***% है।
- xxxiii. प्राधिकारी को जांच की अवधि और पिछली क्षति विश्लेषण अवधि में टोल्यानि सहित कच्चे माल की लागत और अन्य विनिर्माण खर्चों की विस्तृत तुलना करनी चाहिए।

- xxxiv. घरेलू उद्योग की क्षमता वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ली जानी चाहिए, न कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाण पत्र के अनुसार।
- xxxv. घरेलू उद्योग ने टोल्यून की कीमत में ***% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है, जबकि वास्तव में टोल्यून की कीमत में ***% की बढ़ोतरी हुई है।
- xxxvi. घरेलू उद्योग का दाहेज संयंत्र खराब है, जिसकी वजह से बार-बार बंदी होती है। भरूच संयंत्र में, जो एक पुराना संयंत्र है, इतने लंबे समय तक बार-बार बंद कभी नहीं देखा गया। 2014, 2016 और 2018 में गैस लीक की घटनाओं से भी यह साबित होता है।
- xxxvii. सही तुलना के लिए, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के भरूच संयंत्र की बिक्री लागत के साथ आयात के पहुंच मूल्य की तुलना करनी चाहिए।
- xxxviii. सदारा द्वारा निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद का 80% हिस्सा डीसीआईपीएल द्वारा निचले स्तर के उत्पादों के उत्पादन के लिए खपाया गया था। इस प्रकार, यह घरेलू उद्योग पर कोई असर नहीं डालता है। प्राधिकारी को कैप्टिव खपत के लिए विचाराधीन उत्पाद को घटाने के बाद विश्लेषण करना चाहिए।
- xxxix. कंपनी के उर्वरक क्षेत्र को भारी हानियां हो रही हैं। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की पूंजीगत निवेश करने की क्षमता पर उर्वरक क्षेत्र में हुई हानियों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या बहुत कम प्रभाव पड़ता है।
- xl. घरेलू उद्योग ओडीसीबी-फ्री टीडीआई का विनिर्माण नहीं करता है, जो यूरोप में रीच-के अनुरूप निर्यात के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार, शुल्क लगाना अलाभप्रद है क्योंकि घरेलू उद्योग और अंतिम प्रयोक्ता द्वारा अपेक्षित तकनीकी ग्रेडों की आपूर्ति नहीं कर रहा है।
- xli. घरेलू उद्योग अपने पिछले दावे का विरोध करते हुए कहता है कि संयंत्र हर 2-3 साल में बंद किया जाता है। आवेदन-पत्र में यह दावा किया गया है कि दुनिया भर में सभी उत्पादक प्रति 3-4 वर्ष में संयंत्र बंद करते हैं।
- xlii. चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद का आयात कीमतें ऋणात्मक/बाजार ऋणात्मक पद्धति से तय होती हैं, जबकि जर्मनी से आयात कीमतें लागत एवं पद्धति के आधार पर निर्धारित होती हैं। इसलिए, चीन जन.गण. और जर्मनी से आयात कीमतों के बीच सीधी तुलना नहीं की जा सकती।
- xliii. कोवेस्ट्रो ड्यूशलैंड एजी द्वारा निर्यातित उत्पाद, टीडीआई -टी80, कोवेस्ट्रो इंडिया द्वारा अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आयात घरेलू उद्योग की बिक्री को विस्थापित नहीं कर सकते।
- xliv. प्राधिकारी को डीसीआईपीएल द्वारा अपने इस्तेमाल के लिए सीधे इस्तेमाल किए गए टीडीआई आयात मात्रा को घटाने के बाद मात्रा और कीमत विश्लेषण करना चाहिए।

छ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

62. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारण संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. टीडीआई उद्योग कुछ चुनिंदा कंपनियों समूहों के साथ अत्यधिक संकेन्द्रित है, जिससे टीडीआई का प्रत्येक क्षेत्रीय क्षमता वितरण हो रहा है।

- ii. टीडीआई की कुछ चुनिंदा अग्रणी विनिर्माता, वानहुआ ग्रुप, चीन है, जो यूरोपीय संघ में बोर्सोडकेमज़र्ट है, चीन और यूरोपीय संघ में कोवेस्ट्रो ग्रुप, सऊदी अरब में सदारा केमिकल कंपनी हैं।
- iii. इन विनिर्माताओं के संयंत्र विभिन्न क्षेत्रों में सिर्फ़ स्थान संबंधी हानियों का सामना करने के लिए हैं।
- iv. संबद्ध देशों के सभी निर्यातकों की भारत में संबद्ध कंपनियों हैं। इसलिए, भारत में सीमा शुल्क को बताई गई आयात कीमत उस कीमत का सही प्रदर्शन नहीं है जिस कीमत पर ये निर्यातक भारत में असंबद्ध ग्राहकों को अंतिम रूप से बेच रहे हैं।
- v. शुल्क लगाने के बाद भी विचाराधीन उत्पाद का पाटन जारी रहा है। यह पाटन मार्जिन सीमा शुल्क को घोषित आयात कीमत के अनुसार है। अगर यह उस कीमत पर तय किया जाए जिस पर संबद्ध पक्षकार घरेलू बाज़ार में बेचते हैं, तो पाटन मार्जिन बहुत ज़्यादा होगा।
- vi. यद्यपि, संबद्ध देशों से आयात आधार वर्ष से बढ़े हैं, सिर्फ़ 2021-2022 को छोड़कर, जब आयात में काफी कमी आई थी। हालांकि, घरेलू उद्योग मात्रात्मक क्षति का दावा नहीं कर रहा है।
- vii. बिक्री कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत के बराबर गति से नहीं बढ़ी है। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत कम रखी गई है।
- viii. आयात कीमत लगातार घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही है।
- ix. आयात की पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री लागत के बीच का अंतर 2021-22 और 2022-23 में सबसे ज़्यादा था और घरेलू उद्योग को मात्रात्मक क्षति हुई है।
- x. कीमत कटौती आंशिक रूप से सकारात्मक रही। तथापि, यह भारत में संबद्ध पक्षकार की मौजूदगी और जांच की अवधि में आयात मात्रा और कीमत में काफी उतार-चढ़ाव के कारण वास्तविक कीमत कटौती नहीं है।
- xi. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग का उत्पादन और घरेलू बिक्री बढ़ी है। घरेलू उद्योग लगातार पाटन से मात्रात्मक क्षति का दावा नहीं कर रहा है।
- xii. घरेलू उद्योग ने इस मामले में ***% मांग पूरी की है और घरेलू उद्योग ***% क्षमता उपयोग पर ***% मांग तक उत्पादन और बिक्री कर सकता था।
- xiii. हानियां बढ़ने पर भी, घरेलू उद्योग ने प्रति यूनिट निर्धारित लागत कम करने की दृष्टि से उत्पादन बढ़ाया।
- xiv. क्षति की अवधि में लाभप्रदता लगातार कम हुई है। 2022-2023 में क्षति सबसे ज़्यादा थी।
- xv. क्षति की अवधि के तीन सालों में घरेलू उद्योग को कुल [***] करोड़ रुपये से ज़्यादा की हानि हुई है, जो व्यवसाय में लगाई गई पूंजी का लगभग आधा है।
- xvi. घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष में व्याज पूर्व सकारात्मक लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर सकारात्मक आय दर्ज की। हालांकि, इसके बाद इन मापदंडों में गिरावट आई।
- xvii. आवेदक के बाजार हिस्से में सुधार हुआ है, लेकिन इसके लिए उत्पादकता में काफी गिरावट आई है।
- xviii. जांच की अवधि में औसत मालसूची सबसे ज़्यादा थी।

- xix. घरेलू उद्योग भारत में एकमात्र उत्पादक है। उत्पाद का निष्पादन बहुत खराब है। घरेलू उद्योग क्षमता बढ़ाने के लिए पूंजी जुटाने की स्थिति में नहीं है।
- xx. इस अनुरोध के संबंध में कि प्रयोक्ता उद्योग को बंदी के कारण आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, घरेलू उद्योग दो टीडीआई संयंत्र चलाता है और रखरखाव बंदी के दौरान भी लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मालसूची बनाए रखता है।
- xxi. कुछ बंदियां पाटन के कारण हुई, जिससे घरेलू उद्योग को उत्पादन बंद करना पड़ा। यह पाटित आयात के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दर्शाता है।
- xxii. पाटन का एक स्रोत से दूसरे स्रोत में जाने से घरेलू उद्योग को उचित लाभ के साथ काफी लंबे समय तक काम करने का मौका नहीं मिला है।
- xxiii. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि टोल्युनि की कीमतें कम हो गईं। हालांकि, प्रमुख कच्चे माल और यूटिलिटियों की कीमतें वास्तव में 2022-2023 में बढ़ी हैं। इस प्रकार, उसी वर्ष उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई।
- xxiv. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग की क्षमता को वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार माना जाना चाहिए, घरेलू उद्योग ने वार्षिक रिपोर्ट में बताई गई उत्पादन क्षमता से ज़्यादा स्तर पर लगातार उत्पादन किया है।
- xxv. यूरोपीय समुदाय - ब्राजील से मैलेबल कास्ट आयरन ट्यूब या पाइप फिटिंग पर पाटनरोधी शुल्क [डीएस 219] में पैनल ने माना कि भले ही दूसरे देशों से आयात ने घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति ने योगदान किया हो, फिर भी, ऐसे आयातों से पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क टूट नहीं जाते हैं।
- xxvi. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध कि घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट में दीर्घावधि निवेश योजना दर्शाई गई है और इसीलिए, यह नहीं माना जा सकता कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, हितबद्ध पक्षकारों ने पूरे रासायनिक क्षेत्र के निष्पादन पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग 15 से ज़्यादा रासायनिक उत्पादों का उत्पादन करता है।
- xxvii. निर्णायक समीक्षा की जांच अवधि के दौरान सूचित किए गए आयातों की कम मात्रा की स्थिति में भी, ऐसे कई उदाहरण हैं जब भारतीय प्राधिकारी और विदेशी प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क जारी रखा है।
- xxviii. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने क्षमता विस्तार नहीं किया है, क्षमता विस्तार की कमी को घरेलू उद्योग की ओर से इरादे की कमी या अक्षमता के रूप में नहीं माना जा सकता है, बल्कि यह पाटित आयात से होने वाले क्षतिकारक प्रभावों का सीधा परिणाम है।
- xxix. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति गलत है क्योंकि घरेलू उद्योग ने आयातों के पहुंच मूल्य पर पाटनरोधी शुल्क नहीं जोड़ा है, पाटनरोधी शुल्क जोड़ने के बाद क्षति मार्जिन गणना पर कभी विचार नहीं किया जाता है।
- xxx. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़ें अविश्वसनीय हैं, प्राधिकारी डीजीसीआईएंडएस और डीजी सिस्टम से आयात आंकड़े मंगवा सकते हैं और आयात की मात्रा और मूल्य की जांच के लिए उसी पर भरोसा कर सकते हैं।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

63. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में—... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ...” घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती की गई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रुकी है, जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।
64. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में किए गए विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान दिया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों को ध्यान में रखते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण अपने आप ही घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को यथा-तथ्यतः हल करता है।
65. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने पाटन और क्षति की संभावना वाले पहलुओं की जांच करने से पूर्व, घरेलू उद्योग को हुई मौजूदा क्षति , यदि कोई है, की जांच की है।
66. घरेलू उद्योग को क्षति न होने के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि यह ज़रूरी नहीं है कि क्षति के सभी मापदंड में गिरावट आए। कुछ मापदंडों में गिरावट दिख सकती है, जबकि कुछ में नहीं। प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने से पहले सभी क्षति मापदंडों पर विचार करते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है या नहीं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मापदंडों की निष्पक्ष रूप से जांच की है।
67. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग ने 70 से ज़्यादा देशों में निर्यात किया है और इस वजह से यह असंभव है कि घरेलू उद्योग 60-80% मांग को पूरा कर सके। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसने केवल घरेलू प्रचालनों के लिए क्षति की जांच की है।
68. घरेलू उद्योग की संयंत्र बंदी होने के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को नोट करते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया की जटिल प्रकृति और खतरनाक रसायनों और गैसों के उपयोग के कारण टीडीआई संयंत्र के लिए संयंत्र बंद होना एक नियमित और वैश्विक घटना है। संयंत्र के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्तर पर भी संयंत्र में इसी तरह की बंदी होती है। घरेलू उद्योग ने बंदी का विवरण प्रदान किया है और यह देखा गया है कि कुछ वर्षों में प्रतिकूल बाजार स्थितियों के कारण भी बंदी की गई थी। घरेलू उद्योग ने मात्रात्मक क्षति का दावा नहीं किया है और जांच अवधि में रिपोर्ट किया गया उत्पादन क्षति अवधि में सबसे अधिक है। उत्पादन में

लगातार वृद्धि अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे का खंडन करते हैं कि संयंत्र में बार-बार होने वाली बंदी घरेलू उद्योग को क्षति का कारण है। इसलिए, जांच अवधि में निष्पादन में गिरावट का श्रेय संयंत्र बंद होने को नहीं दिया जा सकता है।

69. जहाँ तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सूचित क्षमता और वार्षिक रिपोर्ट में सूचित क्षमता में अंतर के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों की बात है, प्राधिकारी घरेलू उद्योग के मासिक उत्पादन के विश्लेषण पर यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित नामपट्ट क्षमता से अधिक उत्पादन किया है, जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग उच्चतर स्तर पर उत्पादन कर सकता है। घरेलू उद्योग ने पिछली जांचों में भी इन्हीं क्षमताओं पर विचार किया है।
70. जहाँ तक हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध का संबंध है कि टोल्युनि की कीमतें कम हो गई हैं, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत की जांच की है। यह देखा जाता है कि 2022-23 तक टोल्युनि की कीमतें बढ़ी थीं, लेकिन जांच की अवधि में आंशिक रूप से कम हो गई हैं।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	टोल्युनि की लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
2	गाढा नाइट्रिक एसिड की कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
3	प्राकृतिक गैस की लागत	रु./एमटी	***	***	***	***

71. जहाँ तक हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध का संबंध है कि आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना भरुच संयंत्र की बिक्री लागत से की जानी चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग का दाहेज संयंत्र अदक्ष है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कानून के विपरीत है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक संयंत्र की उत्पादन लागत की तुलना आयात की पहुंच कीमत से करने का कोई आधार नहीं है। प्राधिकारी ने उत्पादकों के उत्तर से यह पाया है कि भारत में निर्यात पाटित कीमतों पर हैं। पाटित आयातों के क्षतिकारक प्रभाव की जांच घरेलू उद्योग के प्रचालनों पर की जानी ज़रूरी है। चूंकि इस मामले में घरेलू उद्योग के दो संयंत्र हैं, इसलिए दोनों संयंत्र की उत्पादन लागत की तुलना करने के बाद क्षति का विश्लेषण किया गया है। हालांकि, इन अनुरोधों को देखते हुए, प्राधिकारी ने भरुच संयंत्र की बिक्री लागत की तुलना पहुंच कीमत से की है, जो नीचे दर्शाई गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	भरुच संयंत्र की बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
2	पहुंच मूल्य	रु./एमटी	***	***	***	***
3	अंतर	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-223	-529	-425

72. यह देखा जाता है कि आयातित उत्पाद के पहुंच मूल्य, विचाराधीन उत्पाद की बिक्री लागत से लगातार कम रहा है, यहाँ तक कि भरुच संयंत्र की बिक्री लागत से तुलना करने पर भी।
73. डीसीआईपीएल के कैप्टिव आयात को छोड़कर क्षति विश्लेषण करने के अनुरोध करने संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस अनुरोध का कोई आधार नहीं है। क्षति विश्लेषण भारत में होने वाले सभी आयातों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, चाहे वे कहीं भी इस्तेमाल हों और उनका स्रोत कुछ भी हो।
74. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि क्षति मार्जिन की गणना के लिए आयातों की पहुंच कीमत में पाटनरोधी शुल्क जोड़ा जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपरोक्त अनुरोध का कोई आधार नहीं है। क्षति मार्जिन का उद्देश्य यह जांचना है कि क्या पाटन से कम पाटनरोधी शुल्क उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। क्षति मार्जिन की गणना सतत परिपाटी के अनुसार की गई है, जिसमें सीआईएफ आयात कीमत पर केवल आधारभूत सीमा शुल्क शामिल करने के बाद है।
75. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति-तर्कों की भी जांच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को हल करता है।

छ.3.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/खपत का मूल्यांकन

76. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से टीडीआई के आयात के जोड़ के रूप में तय किया है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	121	160
2	संबद्ध देशों का आयात	एमटी	15,769	10,889	10,781	13,379
3	पाटनरोधी शुल्क लगने वाले अन्य देशों से आयात	एमटी	17,318	26,413	38,965	43,674
4	अन्य देशों से आयात	एमटी	1,453	4,562	4,770	722
5	कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	138	164

77. यह देखा जाता है कि 2020-2021 की तुलना में 2021-22 में उत्पाद की मांग बढ़ी, जो 2022-23 में और जांच की अवधि में और बढ़ गई। क्षति की अवधि के दौरान मांग लगातार बढ़ी है।

ख. पूर्ण दृष्टि से और सापेक्ष दृष्टि से आयात

78. क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान पूर्ण दृष्टि से और सापेक्ष दृष्टि से आयात की मात्रा की सूचना नीचे दी गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	संबद्ध देश	एमटी	15,749	10,889	10,781	13,379
i	यूरोपीय संघ	एमटी	11,609	8,249	5,155	7,742
ii	सऊदी अरब	एमटी	4,140	2,640	5,625	5,636
2	पाटनरोधी शुल्क लगने वाले अन्य देशों से आयात	एमटी	17,318	26,413	38,965	43,674
3	अन्य देश	एमटी	1,473	4,562	4,770	721
4	कुल	एमटी	34,539	41,864	54,515	57,774
5	निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात:					
i	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	76	71	72
ii	मांग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	58	50	52
iii	कुल आयात	%	46%	26%	20%	23%

79. यह जाता है कि:

- क. संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा 2022-23 तक कम हो गई थी। जांच की अवधि में आयात बढ़ गए।
- ख. पाटनरोधी शुल्क लगने वाले दूसरे देशों से आयात क्षति की अवधि में लगातार बढ़े हैं।
- ग. संबद्ध देशों से आयात भी भारतीय उत्पादन, भारतीय मांग और कुल आयातों के मुकाबले कम हुए हैं।
- घ. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने इस जांच में मात्रात्मक प्रभाव के निमित्त क्षति का दावा नहीं किया है।

छ.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

80. नियमावली के अनुबंध II (ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह देखना होता है कि क्या पाटित आयातों ने भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमतों में काफी कमी की है, या

क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी हद तक कम करना है या कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी को रोकना है, जो अन्यथा काफी मात्रा में हुई होती।

क. कीमत कटौती

81. कीमत कटौती जांच की अवधि के लिए आयातों की पहुंच कीमत के साथ घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली की तुलना करके निर्धारित की गई है। निम्नलिखित तालिका संबद्ध देशों से कीमत कटौती दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	यूरोपीय संघ	सऊदी अरब	समग्र रूप से संबद्ध देश
1	निवल बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***	***
2	पहुंच कीमत	रु./एमटी	***	***	***
3	कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***
4	कीमत कटौती	%	***	***	***
5	कीमत कटौती	रेंज	नकारात्मक	20-30%	0-10%

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	बोरसोडकेम ज़र्ट.,	कोवेस्ट्रो ड्यूशलैंड एजी	सदारा केमिकल कंपनी,
1	निवल बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***	***
2	पहुंच कीमत	रु./एमटी	***	***	***
3	कीमत कटौती	रु./एमटी	***	***	***
4	कीमत कटौती	%	***	***	***
5	कीमत कटौती	रेंज	10-20%	नकारात्मक	20-30%

82. यह देखा जाता है कि भारत औसत कीमत कटौती आंशिक रूप से सकारात्मक है। यह भी देखा जाता है कि आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है और घरेलू उद्योग ने काफी वित्तीय हानियों पर बेचा है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस जांच से पता चला है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के भाग लेने वाले उत्पादकों में से एक उत्पादक के एक संबद्ध आयातक ने हानियों पर उत्पाद बेचा है।

ख. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

83. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमत न्यूनीकरण करना है या कीमत वृद्धि रोकना है, जो सामान्य प्रक्रिया में अन्यथा हुई होती, क्षति की अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की तुलना नीचे की गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
	परिवर्तन	रु./एमटी		***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	149	197	139

2	निवल बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	परिवर्तन	रु./एमटी		***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	141	110

84. यह देखा जाता है कि वर्ष 2021-2022 में, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत रु. [***] प्रति एमटी तक बढ़ी, जबकि बिक्री कीमत रु. [***] प्रति एमटी तक बढ़ी है। घरेलू उद्योग को हानियां हुईं। 2022-23 में बिक्री लागत रु. [***] प्रति एमटी तक और बढ़ी, लेकिन बिक्री कीमत सिर्फ रु. [***] प्रति एमटी तक ही बढ़ी। इस वर्ष में हानियां और बढ़ी। बिक्री कीमत में बढ़ोतरी की दर घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में बढ़ोतरी की दर से कम है।
85. जांच की अवधि में, बिक्री लागत रु. [***] प्रति एमटी कम हो गई, जबकि बिक्री कीमत रु. [***] प्रति एमटी कम हो गई। हालांकि बिक्री की लागत में कमी बिक्री कीमत में कमी से ज़्यादा थी, फिर भी घरेलू उद्योग को हानियां होती रही।
86. क्षति की अवधि में, बिक्री कीमत में बढ़ोतरी रु. [***] प्रति एमटी, बिक्री लागत में बढ़ोतरी रु. [***] प्रति एमटी से बहुत कम है। इसलिए, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत का न्यूनीकरण हुआ है।
87. नीचे दी गई तालिका में जांच की अवधि में आयात की पहुंच कीमत, बिक्री कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री लागत दर्शाई गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	जांच की अवधि
1	घरेलू उद्योग की बिक्री लागत	रु./एमटी	***
2	घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	रु./एमटी	***
3	आयात की पहुंच कीमत	रु./एमटी	***

88. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।
89. ऊपर दिए गए विश्लेषण के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को लागत में परिवर्तनों के अनुरूप उनकी कीमतों को बढ़ाने से रोका है। अतः पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण किया है।

छ.3.4. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव

90. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता के उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालने वाले कारकों; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक

एवं संभावित नकारात्मक प्रभाव डालने वाले कारकों सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले तत्व शामिल होने चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर चर्चा नीचे की गई है।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

91. क्षति की अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री के बारे में सूचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
1	संस्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
2	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	96	117
3	उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	96	118
4	घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	121	160

92. यह देखा जाता है कि: -

- क. घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति की अवधि में वैसी ही बनी रही।
- ख. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग 2021-22 में कम हुआ, लेकिन 2022-23 में बढ़ गया और जांच की अवधि में फिर से बढ़ गया। घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि जांच की अवधि के दौरान क्षमता उपयोग ईष्टतम स्तर पर था। क्षति की अवधि में देखने पर, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग बढ़ा है।
- ग. घरेलू उद्योग का उत्पादन 2021-2022 में कम हो गया, लेकिन 2022-2023 में बढ़ गया, और जांच की अवधि में फिर से बढ़ गया। क्षति की अवधि में देखने पर, घरेलू उद्योग का उत्पादन बढ़ा है।
- घ. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री पूरी क्षति की अवधि के दौरान बढ़ी है।
- ड. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि क्षति की अवधि में घरेलू बिक्री में बढ़ोतरी का कारण यह था कि घरेलू उद्योग ने हानियों पर बेचा था। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया कि निर्धारित लागतें वसूल करने के लिए उत्पादन में वृद्धि की गई थी।
- च. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कि घरेलू उद्योग ने मात्रात्मक क्षति का दावा नहीं किया है।

ख. बाजार हिस्सा

93. इस अवधि में आयातों और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से से संबंधित सूचना निम्नलिखित थी:

क्र.सं.	बाजार हिस्सा	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***

	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	88	98
3	आयात में संबद्ध देशों का हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	58	50	52
3	शुल्क लगाने वाले अन्य देशों से आयात	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	163	154
4	अन्य देशों के आयातों का हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	260	235	30

94. यह देखा जाता है कि: -

- क. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 2022-2023 को छोड़कर पूरी क्षति की अवधि में एक जैसा रहा, जबकि घरेलू उद्योग का हिस्सा कम हो गया।
- ख. संबद्ध देशों से होने वाले आयात का बाजार हिस्सा 2022-23 तक कम हो गया था और जांच की अवधि में इसमें मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई।
- ग. जिन असंबद्ध देशों से आयात पर शुल्क लगता है, उनका बाजार हिस्सा 2021-2022 में बढ़ा, 2022-2023 में और बढ़ा और जांच की अवधि में कम हो गया। हालांकि, जांच की अवधि में बाजार हिस्सा आधार वर्ष से ज्यादा रहा।
- घ. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने मात्रात्मक क्षति का दावा नहीं किया है।

ग. लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय

95. निवेश पर आय, लाभप्रदता, नकद लाभ के बारे में सूचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
1	लाभ/(हानि)	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-1,075	-2,318	- 1,148
2	लाभ/(हानि)	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-1,259	-2,809	-1,843
3	पीवीआईटी	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-923	-1,990	-981
4	ब्याज और कर पूर्व लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-1,081	-2,411	-1,575

5	नकद लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-44	-208	-74
6	नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-51	-252	-119
7	आरओसीई	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-1,071	-2,537	-1,633

96. घरेलू उद्योग को 2020-21 में लाभ हुआ था। 2021-22 में लाभ हानि में बदल गया। 2022-23 में हानि और बढ़ गई, लेकिन जांच की अवधि में कम हो गया। जांच की अवधि में हानि कम होने के बाद भी, वे 2021-22 से ज़्यादा थी।

97. घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष में कर पूर्व लाभ, नकद लाभ और निवेश पर सकारात्मक लाभ कमाया था। इसके बाद, घरेलू उद्योग को ब्याज और मूल्यहास से पहले भी हानि हुई। जांच की अवधि में कर पूर्व लाभ और नकद लाभ नकारात्मक हैं। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की निवेश पर आय काफी नकारात्मक है।

घ. मालसूची

98. मालसूची के बारे में सूचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
1	प्रारंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	526	392	625
2	अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	74	119	111
3	औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	162	193

99. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची क्षति की अवधि में बढ़ गई है।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

100. क्षति की अवधि के दौरान रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के बारे में सूचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	95	90
2	वेतन एवं मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***

	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	110	124
3	प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	96	118
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	101	131

101. घरेलू उद्योग की उत्पादकता, उत्पादन के हिसाब से बढ़ी है। हालांकि दिया जाने वाला वेतन बढ़ा है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या कम हुई है।

च. वृद्धि

102. वृद्धि से संबंधित सूचना नीचे दी गई है: -

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	क्षमता	वर्ष/वर्ष	0%	0%	0%
2	उत्पादन	वर्ष/वर्ष	-8%	5%	23%
3	बिक्री	वर्ष/वर्ष	17%	3%	32%
4	बाजार हिस्सा	वर्ष/वर्ष	0%	-18%	20%
5	लाभ/हानि	वर्ष/वर्ष	-1359%	-123%	34%
6	नकद लाभ	वर्ष/वर्ष	-151%	-389%	53%
7	आरओसीई	वर्ष/वर्ष	-1171%	-137%	36%

103. जांच की अवधि और पिछले वर्ष के दौरान घरेलू उद्योग की वृद्धि, पिछले वर्षों की तुलना में विभिन्न कीमत मापदंड नकारात्मक रहे हैं।

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

104. यह देखा जाता है कि देश में मांग और आपूर्ति अंतराल है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग का लाभ और निवेश पर आय कम हो गई है। जांच की अवधि के साथ-साथ पिछली क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान भी घरेलू उद्योग को हानियां हो रही थी। इसलिए, निवेश जुटाने की क्षमता पर असर पड़ा है, जिससे घरेलू उद्योग अपनी क्षमता बढ़ाने में नाकाम रहा है। यह भी देखा जाता है कि उत्पाद के आयात पर रोक लगाने वाले उपायों के बावजूद, किसी अन्य उत्पादक ने इस उत्पाद में निवेश नहीं किया है।

ज. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

105. आयात की कीमतों की जांच से पता चलता है कि संबद्ध देशों से आयात की कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम हैं। चूंकि संबद्ध देशों से आयात पाटित कीमतों पर जारी हैं, इसलिए घरेलू उद्योग बिक्री लागत में परिवर्तन के हिसाब से अपनी कीमतें तय नहीं कर पाया है। यह तथ्य कि आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमत पर भारतीय बाज़ार में आ रहे हैं और घरेलू उद्योग को काफी गिरावट का सामना करना पड़ा है, यह अपने आप में

लगातार पाटन वाले आयात के प्रतिकूल प्रभाव को सिद्ध करता है। अतः, संबद्ध देशों से होने वाले आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव डाला है।

झ. पाटन मार्जिन

106. यह देखा जाता है कि यूरोपीय संघ और सऊदी अरब से भारत में संबद्ध सामान का लगातार पाटन हो रहा है।

ज. हानि पर निष्कर्ष

107. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण निम्नलिखित निष्कर्ष निकालता है –

- क. विषय देशों से आयातित वस्तुओं की मात्रा 2022-23 तक घटती रही, परंतु जांच अवधि के दौरान इसमें वृद्धि दर्ज की गई।
- ख. विषय देशों से आयात, भारतीय उत्पादन, भारतीय मांग, और कुल आयात की तुलना में भी घटे हैं।
- ग. वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग ने उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, तथा बाजार हिस्सेदारी पर आयात के संभावित प्रतिकूल प्रभाव के रूप में मात्रात्मक हानि का दावा नहीं किया है।
- घ. CIF आयात मूल्यों के आधार पर निर्धारित भारित औसत मूल्य कटौती थोड़ी सकारात्मक रही है। हालांकि, यह देखा गया कि विचाराधीन उत्पाद के एक भाग लेने वाले उत्पादक से संबंधित आयातक ने भारतीय बाजार में उत्पाद को हानि पर बेचा है।
- ङ. आयात की लैंडेड कीमत, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही है।
- च. डंप किए गए आयातों ने घरेलू उद्योग को लागत में हुए परिवर्तनों के अनुरूप कीमतें बढ़ाने से रोका है। इन डंप किए गए आयातों ने घरेलू उद्योग के मूल्य स्तर को दबाया है।
- छ. घरेलू उद्योग ने उत्पाद को उल्लेखनीय वित्तीय हानियों पर बेचा है।
- ज. घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि जांच अवधि के दौरान क्षमता उपयोग सर्वोत्तम स्तर पर था।
- झ. घरेलू उद्योग का उत्पादन और घरेलू बिक्री हानि अवधि के दौरान बढ़ी है। हानि अवधि में बिक्री में हुई वृद्धि का कारण यह था कि घरेलू उद्योग ने उत्पाद को हानि पर बेचा। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने डंप किए गए आयातों के प्रभाव को मात्रात्मक हानि के रूप में दावा नहीं किया है।
- ञ. विषय देशों से आयात का बाजार हिस्सा 2022-23 तक घटा, और जांच अवधि में इसमें थोड़ी वृद्धि दर्ज की गई।
- ट. गैर-विषय देशों से आयात, जिन पर शुल्क लगाए गए हैं, 2021-22 में बढ़े, 2022-23 में और बढ़े, परंतु जांच अवधि में घटे।
- ठ. घरेलू उद्योग को 2020-21 में लाभ हुआ था। 2021-22 में लाभ हानि में बदल गया। 2022-23 में हानियाँ बढ़ीं, परंतु जांच अवधि में कुछ कम हुईं। फिर भी, जांच अवधि में हुई हानियाँ 2021-22 की तुलना में अधिक रहीं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने हानि अवधि के अधिकांश हिस्से में वित्तीय हानियाँ झेली हैं।
- ड. जांच अवधि में घरेलू उद्योग का व्याज पूर्व लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल उल्लेखनीय रूप से नकारात्मक रहा है।

- ढ. हानि अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का औसत भंडार बढ़ा है।
- ण. जांच अवधि और उससे पूर्ववर्ती वर्ष में घरेलू उद्योग की वृद्धि, पूर्व वर्षों की तुलना में विभिन्न मूल्य संबंधित मापदंडों पर नकारात्मक रही है।
- त. यह तथ्य कि आयातित वस्तुएँ भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की लागत से कम कीमत पर प्रवेश कर रही हैं, और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, यह स्वयं सिद्ध करता है कि निरंतर डंप किए गए आयातों का घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- थ. यूरोपीय संघ और सऊदी अरब से भारत में विषय वस्तुओं का निरंतर डंपिंग जारी है।

108. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद की निरंतर और तीव्र पाटन के कारण, घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हुई है।

ज. क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

109. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. प्राधिकारी को यूरोपीय संघ और सऊदी अरब से होने वाले आयात को मिलाकर क्षति की संभावना का आकलन नहीं करना चाहिए, और आयात का आकलन अलग-अलग किया जाना चाहिए, जैसा कि उसने शुरुआती चरण में चीनी ताइपे और संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया था।
- ii. यूरोपीय संघ से आयात स्थिर रहे हैं, और संबद्ध देशों से आयात की कीमत (सीआईएफ) लगातार बढ़ी है।
- iii. यूरोपीय संघ से आयात ऊंची कीमत पर ही रहेंगे क्योंकि मांग-आपूर्ति अंतराल के कारण भारत में आयात ज़रूरी होगा, और निर्यातकों के पास भारत को निर्यात कीमतों को कम करने का कोई प्रोत्साहन नहीं है।
- iv. यूरोपीय संघ के निर्यातकों के लिए घरेलू बिक्री, अन्य देशों को निर्यात बिक्री और संबद्ध सामानों की कैप्टिव खपत 98% से ज़्यादा है और जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात कुल बिक्री का 2% से भी कम है। यह दर्शाता है कि निर्यातकों का भारतीय बाज़ार में निर्यात बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है।
- v. पाटनरोधी शुल्क लगने वाले अन्य देशों के आयात का हिस्सा बढ़ा है, जबकि यूरोपीय संघ से संबद्ध सामानों के आयातों का हिस्सा कम हुआ है।
- vi. घरेलू उद्योग ने आयात में बढ़ोतरी की संभावना या क्षति की संभावना के बारे में कोई ठोस सूचना नहीं दी है।
- vii. क्षति जांच अवधि के दौरान निर्यातकों द्वारा क्षमता में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
- viii. अगर पाटनरोधी शुल्क खत्म हो जाता है तो निर्यातकों के पास भारत को निर्यात करने के लिए संबद्ध सामान का उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता नहीं है।
- ix. निर्यातकों के घरेलू बाज़ार और अन्य देशों में काफी बिक्री होती है। निर्यातक उत्पाद का इस्तेमाल कैप्टिव खपत के लिए भी करते हैं।
- x. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा मांग की तुलना में मामूली रूप से बढ़ी है। जबकि असंबद्ध देशों से आयात उस गति से बढ़े हैं जो मांग और घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा विस्तार दोनों से ज़्यादा हैं।

- xi. संबद्ध देशों से आयात भारतीय उत्पादन, मांग और कुल आयातों के मुकाबले कम हुए हैं।
- xii. यह दावा कि संबद्ध देशों में अत्यधिक उत्पादन क्षमताएं हैं, गलत है।
- xiii. प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद की वैश्विक क्षमता और मांग के बारे में दावों की सटीकता निर्धारित करनी चाहिए।
- xiv. वैश्विक क्षमता घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की संभावना निर्धारित करने के उद्देश्य से संगत नहीं है।
- xv. पांच वर्ष बाद शुल्क समाप्त करना एक नियम है और विस्तार एक अपवाद है।
- xvi. घरेलू उद्योग का यह तर्क कि उत्पाद की लागत और कीमत में बढ़ोतरी के आधार पर शुल्क बढ़ाना आवश्यक है, गलत है। शुल्क में बढ़ोतरी क्षति मार्जिन में बढ़ोतरी पर आधारित होगी।
- xvii. रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़े शुल्क की बढ़ी हुई मात्रा का समर्थन नहीं करते हैं। यूरोपीय संघ के कम से कम एक बड़े निर्यातक के लिए क्षति मार्जिन नकारात्मक है, और संबद्ध आयातों के संबंध में कोई मौजूदा या भविष्य में होने वाली क्षति नहीं दिखाई गई है।
- xviii. यह दावा कि पाटनरोधी नियमावली निर्णायक समीक्षा में शुल्क में संशोधन और वृद्धि की अनुमति देती है, गलत है और जांच के केवल दो ही परिणाम हो सकते हैं, या तो समाप्त करना या जारी रखना।
- xix. विचाराधीन उत्पाद 80:20 के आइसोमर कंटेंट वाले टीडीआई तक सीमित है, प्राधिकारी को संभावना विश्लेषण के लिए टीडीआई की समग्र उत्पाद क्षमता को ध्यान में नहीं रखना चाहिए।
- xx. तीसरे देश के निर्यात आंकड़े संभावना विश्लेषण के लिए निष्कर्षात्मक नहीं है। यदि तीसरे देश के निर्यात आंकड़े संभावना विश्लेषण के लिए संगत हैं, तो सदारा प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उसे देने का वादा करता है।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

110. घरेलू उद्योग ने संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. संबद्ध देशों से आयात के प्रभाव के संचयी मूल्यांकन का मुद्दा पहले ही मूल जांच में तय हो चुका है और इस प्रकार, इसे फिर से जांचने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। इसके अलावा, केवल विवरणों को छोड़कर, यह बताने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है कि संचयन क्यों उचित नहीं है।
- ii. लागू उपायों के बावजूद, संबद्ध देशों से आयात पाटित कीमतों पर आ रहे हैं, जिससे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता बुरी तरह प्रभावित हो रही है।
- iii. घरेलू उद्योग को हुई हानियों से यह पता चलता है कि शुल्क लागू होने के बावजूद भी क्षति जारी है।
- iv. टीडीआई की वैश्विक क्षमता लगभग 3510 केटी है जबकि वैश्विक मांग केवल लगभग 2400-2500 केटी है।
- v. दुनिया भर के उत्पादकों ने बहुत बड़ी क्षमताएं स्थापित की हैं, जो मांग से कहीं अधिक हैं और आगे भी क्षमता विस्तार हो रहा है। इसलिए, कीमतों के संबंध में हमेशा काफी प्रतिस्पर्धा रहती है।

- vi. यूरोपीय संघ में क्षमता लगभग 700-800 केटी है और यह वैश्विक टीडीआई क्षमता का 25% है। सदारा केमिकल की क्षमता लगभग 200 केटी है। इन देशों में मांग स्थापित क्षमताओं से कहीं कम है।
- vii. यूरोपीय संघ में मांग में लगातार गिरावट देखी गई है और संबद्ध देशों के उत्पादक बेकार क्षमताओं पर काम कर रहे हैं।
- viii. मांग में लगातार कमी का प्रमाण भाग लेने वाले निर्यातक, बोर्सोड केमजर्ट के साथ-साथ कोवेस्ट्रो ड्यूचलैंड एजी की घरेलू बिक्री में कमी से मिलता है, जैसा कि निर्यातक प्रश्नावली उत्तर के परिशिष्ट 1 में बताया गया है।
- ix. कोवेस्ट्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने हालांकि कोवेस्ट्रो ड्यूचलैंड एजी द्वारा उत्पादित माल को दोबारा नहीं बेचा है, लेकिन भविष्य में आयातक को भारतीय बाजार में उत्पाद को दोबारा बेचने से कुछ भी नहीं रोकता है।
- x. कोवेस्ट्रो ड्यूचलैंड एजी ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की कीमत कृत्रिम रूप से बढ़ा दी है।
- xi. सऊदी अरब से प्रमुख निर्यातक सदारा ने तीसरे देश के निर्यात के बारे में सूचना नहीं दी है।
- xii. संबद्ध देशों से लगातार पाटन पाटनरोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता को सिद्ध करती है।
- xiii. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि अन्य देशों से आयात में वृद्धि हुई है, यह स्वीकार किया जाता है कि क्षति चीन और कोरिया से आयात के कारण भी है। हालांकि, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या संबद्ध देशों से पाटित आयातों से पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में क्षति होने की संभावना है।
- xiv. सदारा केमिकल कंपनी ने भी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के भाग II में तीसरे देशों को निर्यात के बारे में सूचना नहीं दी है।
- xv. कोवेस्ट्रो ड्यूचलैंड एजी की आयात कीमत बोर्सोडकेम ज़र्ट की आयात कीमत से लगातार कम रही है। यह केवल जांच की अवधि में ही था कि कोवेस्ट्रो ड्यूचलैंड एजी ने अपनी कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाईं।
- xvi. कोवेस्ट्रो ड्यूचलैंड एजी और कोवेस्ट्रो पॉलीमर्स (चीन) कंपनी, लिमिटेड एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं और इसलिए, उनकी कीमतें एक साथ बढ़नी चाहिए। कोवेस्ट्रो ड्यूचलैंड एजी और कोवेस्ट्रो चीन की कीमतों के बीच तुलना से साफ पता चलता है कि कोवेस्ट्रो ड्यूचलैंड एजी की कीमतें ज्यादा हैं। कोवेस्ट्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी कैप्टिव खपत के लिए उत्पाद खरीदा था। इसे देखते हुए, कोवेस्ट्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कम कीमत पर कोवेस्ट्रो चीन से उत्पाद ले सकता था।
- xvii. यह स्पष्ट है कि कोवेस्ट्रो ड्यूचलैंड एजी से आयात कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया है। उत्पादक को शायद आने वाली निर्णायक समीक्षा के बारे में पता था और उसी के अनुसार उसने कीमतें बढ़ा दीं।
- xviii. हालांकि जांच की अवधि में कोवेस्ट्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कोवेस्ट्रो ड्यूचलैंड एजी द्वारा बनाए गए सामान को दोबारा नहीं बेचा है, लेकिन आयातक को भारतीय बाजार में उत्पाद को दोबारा बेचने से कोई नहीं रोकता है। आयातक असल में मूल जांच में भारतीय बाजार में उत्पाद को दोबारा बेच रहा था।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

111. वर्तमान जांच यूरोपीय संघ और सऊदी अरब से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर लगाए गए शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के तहत, प्राधिकारी को यह तय करना होता है कि क्या मौजूदा शुल्क को समाप्त करने से उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।
112. शुल्क के रूप में बदलाव या संशोधन के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क पर विचार किया गया। प्राधिकारी ने पिछली जांचों में, तथ्यों और परिस्थितियों को देखने के बाद, शुल्क को जारी रखा है या बढ़ाया है और साथ ही शुल्क का रूप भी बदला है।
113. प्राधिकारी ने धारा 9क (5), नियम 23 और नियमावली के अनुबंध - II (vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मापदंडों, और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए क्षति के जारी रहने या बार बार होने की संभावना की जांच की है।
114. इस तरह के संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई खास तरीके उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, नियमावली के अनुबंध II का खंड (vii) में, अन्य बातों के साथ उन कारकों का प्रावधान है जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, यथा-
- क. भारत में पाटित आयातों में बढ़ोतरी की एक महत्वपूर्ण दर जो काफी बड़े हुए आयात की संभावना को दर्शाती है।
 - ख. निर्यातक की पर्याप्त रूप से उपलब्ध, या जल्द ही होने वाली, क्षमता में काफी बढ़ोतरी जो भारतीय बाजारों में काफी बड़े हुए पाटित निर्यात की संभावना को दर्शाती है, जिसमें किसी भी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखा गया है।
 - ग. क्या आयात ऐसी कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर काफी न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव पड़ेगा और जिससे आगे आयात की मांग बढ़ने की संभावना है; और
 - घ. जिस वस्तु की जांच की जा रही है, उसकी मालसूची।
115. प्राधिकारी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह तय करने के लिए उपरोक्त आवश्यकताओं और निम्नलिखित मापदंडों पर विचार है कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन होने की संभावना है, और यदि ऐसा है, तो क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सभी संगत सूचना की जांच की है।

क. संबद्ध देशों से आयात

116. नीचे दी गई तालिका में संबद्ध देशों से होने वाले आयात के बारे में सूचना दी गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
1	संबद्ध देशों का आयात	एमटी	15,749	10,889	10,781	13,379
	सऊदी अरब	एमटी	11,609	8,249	5,155	7,742
	यूरोपीय संघ	एमटी	4,140	2,640	5,625	5,636

2	शुल्क लगने वाले देशों से आयात	एमटी	17,318	26,413	38,965	43,674
	चीन	एमटी	7,878	8,253	16,007	18,774
	जापान	एमटी	3,900	5,620	8,558	18,280
	दक्षिण कोरिया	एमटी	5,540	12,540	14,400	6,620

117. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा पहले कम हुई, लेकिन फिर बढ़ गई।

ख. मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता

118. नीचे दी गई तालिका सऊदी अरब और यूरोपीय संघ के भाग लेने वाले उत्पादकों की क्षमता और उत्पादन के बारे में सूचना दर्शाती हैं।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	बोर्सोड	कोवेस्ट्रो	सदारा	कुल
1	क्षमता	एमटी	***	***	***	***
2	उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
3	निष्क्रिय क्षमता	एमटी	***	***	***	***
4	निष्क्रिय क्षमता	%	***	***	***	***
5	निष्क्रिय क्षमता	रेंज	10-20%	30-40%	10-20%	20-30%

119. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों में उत्पादक काफी ज़्यादा बेकार क्षमताओं के साथ काम कर रहे हैं। बोर्सोड और सदारा के लिए बेकार क्षमता 0-20% की रेंज में है, जबकि कोवेस्ट्रो के मामले में यह 30-40% की रेंज में है। अकेले कोवेस्ट्रो की बेकार क्षमता देश में मांग के लगभग बराबर है।

ग. संबद्ध देशों में उत्पादकों की निर्यातोन्मुखता पर ध्यान केंद्रित करना

120. नीचे दी गई तालिका सऊदी अरब और यूरोपीय संघ के भाग लेने वाले उत्पादकों के उत्पादन और निर्यात के बारे में सूचना दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	बोर्सोड	कोवेस्ट्रो	सदारा	कुल
1	उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
2	कुल निर्यात	एमटी	***	***	***	***
3	निर्यातोन्मुखता	%	***	***	***	***
4	निर्यातोन्मुखता	रेंज	35-45%	35-45%	75-85%	45-55%

121. यह देखा जाता है कि उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा निर्यात के लिए इस्तेमाल किया गया है। इससे पता चलता है कि संबद्ध देश में उत्पादकों ने ऐसी क्षमता लगाई है जो घरेलू मांग से कहीं ज़्यादा है और वे इन क्षमताओं का उपयोग

निर्यात के लिए कर रहे हैं। कुल मिलाकर, तीनों उत्पादकों का उत्पादन का 50% से ज़्यादा हिस्सा निर्यात के लिए है, जिसमें सऊदी अरब जैसे कुछ देशों की निर्यातोन्मुखता बहुत अधिक है।

घ. प्रतिभागी उत्पादकों की व्यापार प्रकृति

122. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि 2017-18 से पहले, भारत संबद्ध देशों के उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार नहीं था क्योंकि आयात ज़्यादातर चीन और कोरिया से हो रहा था। उपायों को लागू करने के बाद, चीनी उत्पादकों ने अपने प्रचालन बदल दिए और यूरोपीय बाजार से उत्पाद निर्यात करना शुरू कर दिया। चीनी आयात कम हो गया और यूरोप से आयात बढ़ गया। जैसे ही यूरोपीय आयात पर उपाय लगाए गए, चीनी उत्पादक भारतीय बाजार में मांग को पूरा करने के लिए फिर से अपने चीनी संयंत्र में वापस चले गए।

123. प्राधिकारी ने सूचना की जांच की है। यह देखा गया है कि यूरोपीय संघ के दोनों प्रतिभागी उत्पादकों की चीन में संबद्ध कंपनियाँ हैं जो संबद्ध सामानों के उत्पादन में लगी हैं। संबद्ध कंपनियों के आयात वर्तमान में पाटनरोधी उपायों के अधीन हैं। डीजी सिस्टम के अनुसार इस समूह की कुल आयात मात्रा नीचे दी गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
क	कोवेस्ट्रो समूह	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	73	113	133
1	चीन	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	243	295
2	यूरोपीय संघ	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	41	23	23
ख	वानहुआ	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	111	160
1	चीन	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	61	115	111
2	यूरोपीय संघ	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	163	109	194

124. यह देखा गया है कि यूरोप से कोवेस्ट्रो ग्रुप का निर्यात कम हुआ है, जबकि चीन से निर्यात बढ़ा है। भारत में संबद्ध कंपनी, कोवेस्ट्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दोनों जगहों से आयात किया है। संबंधित कंपनी ने यूरोपीय संघ से आयात किए गए उत्पाद की कैप्टिव खपत की है, जबकि चीन से आयात किए गए उत्पाद को घरेलू बाजार में फिर से बेच दिया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच में यह पाया गया था कि कोवेस्ट्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यूरोपीय संघ से भी उत्पाद के व्यापार में शामिल था।

125. इसी तरह, यह भी देखा जाता है कि बोरसोड केम की चीन में एक संबद्ध कंपनी वानहुआ केमिकल्स है, जो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में लगी हुई है। वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड भारत में संबद्ध कंपनी है और इसने दोनों स्रोतों से आयात किया है। संबद्ध कंपनी ने दोनों स्रोतों से आयात किया है और उत्पाद को

भारतीय बाज़ार में असंबद्ध ग्राहकों को पुनः से बेचा है। यह देखा जाता है कि दोनों स्रोतों से आयात में बढ़ोतरी देखी गई है।

ड. घरेलू कीमतों पर आयात का न्यूनीकरण या हासमान प्रभाव

126. नीचे दी गई तालिका में आयात कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री लागत के बीच तुलना दर्शाई गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
1	बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	149	197	139
2	संबद्ध देशों से पहुंच कीमत	रु./एमटी	1,27,147	1,70,403	2,13,794	1,78,752
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	134	168	141

127. यह देखा जा सकता है कि क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत पहुंच कीमत से लगातार ज्यादा रही है। आयात भारतीय बाज़ार में ऐसी कीमत पर आ रहे हैं जो घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम हैं। जब आयात की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम होती है, तो यह साफ़ है कि उनका घरेलू उद्योग की कीमतों पर हासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है।

च. तीसरे देश की कीमतों की आकर्षकता

128. प्राधिकारी ने प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा दी गई तीसरे देशों के निर्यात से जुड़ी सूचना की जांच की है। नीचे किए गए विश्लेषण के लिए संबद्ध कंपनियों के निर्यातों पर विचार नहीं किया गया है।

उत्पादक का नाम	विवरण	यूओएम	भारत कीमत में से कम	पाटित कीमत	क्षतिकारक कीमत	कुल निर्यात
बोरसोड केम ज़र्ट	निर्यात मात्रा	एमटी	***	***	***	***
	निर्यातों का हिस्सा	%	0-10%	90-100%	90-100%	
कोवेस्ट्रो पॉलिमर	निर्यात मात्रा	एमटी	***	***	***	***
	निर्यातों का हिस्सा	%	90-100%	90-100%	85-95%	
सदारा केमिकल	निर्यात मात्रा	एमटी	***	***	***	***
	निर्यातों का हिस्सा	%	0-10%	90-100%	90-100%	

129. ऊपर दी गई सूचना से यह देखा जाता है कि प्रत्येक प्रतिभागी निर्यातक द्वारा किए गए तीसरे देशों को 90% से अधिक निर्यात की कीमत सामान्य मूल्य और क्षतिरहित कीमत से कम कीमत हैं। इसके अतिरिक्त, तीसरे देशों को निर्यात कीमत की तुलना भारत को निर्यात कीमत से करने पर, यह देखा जाएगा कि बोर्सोड केम ज़र्ट के 1% से भी

कम निर्यात और सदारा केमिकल के सिर्फ 7% निर्यात की कीमत भारत को निर्यात कीमत से कम पर हैं। इससे पता चलता है कि भारत को निर्यात कीमत काफ़ी कम है, जिसका मतलब है कि निर्यातक जानबूझकर भारत को कम कीमतों पर सामान निर्यात कर रहे हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कोवेस्ट्रो पॉलीमर्स के मामले में, दूसरे देशों को किए गए 90% से ज़्यादा निर्यात की कीमत भारत को निर्यात कीमत से कम है, जो यह दर्शाता है कि अगर ये उपाय समाप्त हो जाते हैं तो भारत को निर्यातों में काफ़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है।

छ. आगे क्षति की संभावना पर निष्कर्ष।

130. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

- i. बोरसोड और सदारा के लिए निष्क्रिय क्षमताएँ 0-20% के बीच हैं, जबकि कोवेस्ट्रो के मामले में यह 30-40% के बीच है। बोरसोड के लिए ये आदर्श क्षमताएँ भारत में माँग का एक-तिहाई, सदारा के लिए भारत में माँग का एक-चौथाई और कोवेस्ट्रो के लिए भारत में माँग से अधिक हैं। संबद्ध देशों में उत्पादक काफ़ी अधिक निष्क्रिय क्षमताओं के साथ काम कर रहे हैं।
- ii. संचयी आधार पर, तीनों उत्पादकों के उत्पादन का 50% से अधिक निर्यात उद्देश्यों के लिए है, और सऊदी अरब जैसे कुछ देशों का निर्यात अभिविन्यास बहुत अधिक है। संबद्ध देश में उत्पादकों ने ऐसी क्षमताएँ स्थापित की हैं जो घरेलू माँग से कहीं अधिक हैं और इन क्षमताओं का उपयोग निर्यात उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं।
- iii. यूरोप से कोवेस्ट्रो समूह के निर्यात में गिरावट आई है, जबकि चीन से निर्यात में वृद्धि हुई है। कोवेस्ट्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यूरोपीय संघ से आयातित उत्पाद का निजी तौर पर उपभोग किया है, जबकि चीन से आयातित उत्पाद को घरेलू बाजार में दोबारा बेचा गया है। प्राधिकरण ने नोट किया है कि मूल जाँच में पाया गया कि कोवेस्ट्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यूरोपीय संघ से भी उत्पाद के व्यापार में शामिल थी।
- iv. बोरसोड केम की चीन में एक संबंधित इकाई, वानहुआ केमिकल्स है, जो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में लगी हुई है। वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड भारत में संबंधित इकाई है और दोनों स्रोतों से आयात करती है। संबंधित इकाई ने दोनों स्रोतों से आयात किया है और भारतीय बाजार में असंबद्ध ग्राहकों को उत्पाद को फिर से बेचा है। यह देखा गया है कि दोनों स्रोतों से आयात में वृद्धि देखी गई है।
- v. आयात भारतीय बाजार में ऐसी कीमत पर प्रवेश कर रहे हैं जो घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम है। जब आयात की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम होती है, तो यह स्पष्ट है कि उनका घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव डालने वाला या निराशाजनक प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- vi. प्रत्येक भागीदार निर्यातक द्वारा तीसरे देशों को किए गए 90% से अधिक निर्यातों की कीमतें सामान्य मूल्य और क्षति-रहित मूल्य से कम हैं।
- vii. कोवेस्ट्रो पॉलिमर्स के मामले में, अन्य देशों को किए गए 90% से अधिक निर्यातों की कीमतें भारत को निर्यात मूल्य से कम हैं, जिससे उपायों की समाप्ति की स्थिति में भारत को निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना का पता चलता है।

131. प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि जाँच से पता चला है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचने की संभावना के पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं।

झ. कारणात्मक संपर्क और गैर-आरोपण विश्लेषण

132. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी को, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों को छोड़कर किसी भी ज्ञात कारकों की जांच करने अपेक्षा है, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं या क्षति पहुंचा सकते हैं, ताकि इन अन्य कारकों से होने वाली क्षति पाटित आयातों के कारण न हो। यद्यपि वर्तमान जांच निर्णायक समीक्षा जांच है और मूल जांच में कारणात्मक संपर्क की पहले ही जांच की जा चुकी है, तथापि प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है या क्षति होने की संभावना है। यह जांच की गई कि क्या नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है या क्षति होने की संभावना है।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

133. यह देखा जाता है कि जिन देशों पर पहले से ही शुल्क लगा हुआ है, जैसे कि जापान, चीन और कोरिया गणराज्य, उनसे न्यूनतम सीमा से अधिक आयात थे। नीचे दी गई तालिका में क्षति अवधि में गैर-संबद्ध देशों से आयात की कीमत दर्शाई गई है।

क्र.सं.	देश	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
वर्तमान समीक्षा के अध्यधीन देश						
1	यूरोपीय संघ	एमटी	7,841	4,175	5,059	5,904
2	सऊदी अरब	एमटी	2,140	980	5,000	4,672
शुल्क लगने वाले देश						
1	जापान	एमटी	4,380	5,820	8,778	15,948
2	चीन	एमटी	7,620	8,268	14,827	14,433
3	कोरिया गणराज्य	एमटी	5,120	12,280	16,560	6,363
अन्य देशों से आयात						
1	अन्य देश	एमटी	1,278	1,939	3,135	604

134. यह देखा जाता है कि जापान, चीन और कोरिया गणराज्य से आयात भी क्षतिकारक कीमतों पर हैं। वर्तमान में, इन देशों पर भी पाटनरोधी शुल्क लग रहा है।

ख. मांग में संकुचन और/अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन

135. जिस विचाराधीन उत्पाद पर विचार किया जा रहा है, उसकी मांग क्षति अवधि में बढ़ गई है। जांच में यह सामने नहीं आया है कि मांग कम होने वाली है। इसलिए, मांग में कमी घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकती।

ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

136. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो या होने की संभावना हो।

घ. प्रौद्योगिकी का विकास

137. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में मौजूद सूचना से पता चलता है कि उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए, प्रौद्योगिकी घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकती।

ड. निर्यात निष्पादन

138. प्राधिकारी ने क्षति के विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालन के क्षति के आंकड़ों पर अलग से विचार किया है। इसलिए, निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है।

च. अन्य उत्पादों का निष्पादन

139. प्राधिकारी ने सिर्फ विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन से जुड़े आंकड़ों पर ही विचार किया है। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले दूसरे उत्पाद का निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संभावित कारण नहीं हो सकता।

ज. क्षति मार्जिन की मात्रा

140. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। क्षतिरहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा दी गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना /आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षतिरहित कीमत की तुलना क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद की पहुंच कीमत से की गई है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए, कच्चे माल और यूटिलिटियों के सर्वोत्तम उपयोग और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण या गैर-आवर्ती व्यय और/अथवा परिसंपत्तियां उत्पादन लागत और/अथवा क्षतिरहित कीमत से अलग की गई हैं। नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित किए गए अनुसार क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए ब्याज की वसूली, कॉरपोरेट कर और लाभ के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए लगाई गई औसत नियोजित पूंजी (अर्थात्, औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां एवं औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर पूर्व @ 22% की दर) की अनुमति दी गई है।

क्र.सं.	विवरण	एनआईपी	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन		
		डॉ./एमटी	डॉ./एमटी	डॉ./एमटी	%	रेंज
1	यूरोपीय संघ					
	बोरसोडकेम ज़र्ट.,	***	***	***	***	50-60
	कोवेस्ट्रो डॉयचलैंड एजी	***	***	***	***	नकारात्मक
	कोई अन्य	***	***	***	***	60-70%
2	सऊदी अरब					
	सदारा केमिकल कंपनी,	***	***	***	***	70-80%
	कोई अन्य	***	***	***	***	80-90%

ट. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे**ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

141. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. घरेलू उद्योग भारत की केवल 50% मांग को ही पूरा करता है। 2017 से कई सुरक्षा उपायों के बावजूद, क्षमता विस्तार नहीं किया गया है।
- ii. फोम निर्यात पर शुल्क वापसी केवल 1.3% है और अग्रिम प्राधिकार योजना का उपयोग करने से निर्यातकों को आरओडीटीईपी लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए, निर्यातक अतिरिक्त पाटनरोधी लागत को वसूल नहीं कर पाते हैं।
- iii. घरेलू उद्योग का संयंत्र पश्चिमी भारत में स्थित है। इस प्रकार, दक्षिण और पूर्व के निर्माताओं को घरेलू टीडीआई की सोर्सिंग में अधिक संभारिकी लागत का सामना करना पड़ता है और इसलिए वे आयात पर निर्भर रहते हैं।
- iv. चूंकि भारतीय उत्पादक घरेलू मांग को पूरा करने में असमर्थ है, इसलिए शुल्क का लगातार लगाया जाना निचले स्तर के उद्योग और आम जनता के विरुद्ध है।
- v. घरेलू मांग और घरेलू आपूर्ति के बीच का अंतर बढ़ गया है।
- vi. घरेलू उद्योग ने घरेलू मांग को पूरी तरह से पूरा करने के लिए अपनी क्षमता नहीं बढ़ाई है।
- vii. पाटनरोधी शुल्क जारी रहने से निचले स्तर के उद्योगों और उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान होगा।
- viii. पाटनरोधी शुल्क लगाने का विरोध करने वाले निचले स्तर के उत्पादकों के लिए संगत विचार यह है कि क्या शुल्क लगाने से प्रतिकूल आर्थिक परिणाम होंगे, न कि निचले स्तर के प्रयोक्ताओं के बंद होने या शटडाउन होने से।
- ix. टीडीआई निचले स्तर के उत्पादों की निर्माण लागत का 25-30% हिस्सा होता है और प्रयोक्ता उद्योग केवल 2-5% का थोड़ा लाभ मार्जिन कमाता है।
- x. निचले स्तर के उत्पादकों के पास बढ़ी हुई इनपुट लागत को लेने की वित्तीय क्षमता नहीं है।
- xi. पाटनरोधी शुल्क जारी रहने से बाजार में एकाधिकार पैदा होगा।
- xii. विचाराधीन उत्पाद का आयात आवश्यक है क्योंकि घरेलू उद्योग गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में सक्षम नहीं है।
- xiii. घरेलू और आयातित टीडीआई के बीच गुणवत्ता का अंतर प्रतिस्थापन के लिए एक गैर-कीमत बाधा पैदा करता है।
- xiv. कम गुणवत्ता वाले घरेलू टीडीआई पर जबर्न निर्भरता से भारत के फोम उद्योग की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता से समझौता होगा।
- xv. एंट्री-लेवल पीयू फोम गद्दे की वास्तविक कीमतें 6,000 रुपये से शुरू होती हैं, न कि जीएनएफसी द्वारा दावा किए गए 15000 रुपये से। इस क्षेत्र में, फोम सामग्री लागत का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इस प्रकार, टीडीआई लागत में कोई भी वृद्धि सामग्री लागत का सबसे बड़ा हिस्सा होती है।
- xvi. घरेलू उद्योग ओडीसीबी-मुक्त टीडीआई का निर्माण नहीं करता है, जो यूरोप में रीच-अनुरूप निर्यात के लिए आवश्यक है। इस प्रकार, शुल्क लगाना हानिकरक है क्योंकि घरेलू उद्योग और अंतिम प्रयोक्ताओं द्वारा अपेक्षित तकनीकी ग्रेडों की आपूर्ति नहीं कर रहा है।
- xvii. टीडीआई के आयात पर पहले से ही 7.5% का मूल सीमा शुल्क है और साथ में अतिरिक्त कल्याण उप-कर लगता है।

ट.2. घरेलू उद्योग के अनुरोध

142. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से बचाना भारत में घरेलू उद्योग की लंबे समय तक दीर्घावधि वाणिज्यिक अर्थ-क्षमता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए वैध और अनिवार्य, दोनों है।
- ii. यह तथ्य कि संबद्ध सामान की मांग भारतीय उत्पादकों की क्षमता से ज़्यादा है, पाटन को सही नहीं ठहराता।
- iii. आवेदक के पास पूरे भारत में एक अच्छी तरह से स्थापित आपूर्ति ऋंखला है। घरेलू संभारिकी लागतें हमेशा अंतरराष्ट्रीय भाड़ा, शुल्कों और आयात से जुड़े सार-संभाल प्रभारों से तुलना में हमेशा कम और अधिक अनुमाननीय होती है।
- iv. एक गद्दे में लगभग 15-20 किलोग्राम फोम का इस्तेमाल होता है और इसलिए, गद्दे में टीडीआई का हिस्सा लगभग 6 किलोग्राम होता है। पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव प्रति गद्दे पर सिर्फ़ 150 रुपये होगा।
- v. पहले जब पाटनरोधी उपाय लागू थे, तब भी भारत में मांग लगातार बढ़ी।
- vi. हितबद्ध पक्षकारों ने कच्चे माल की लागत में किसी भी वृद्धि का कोई सबूत नहीं दिया है जिसे निचले स्तर के उत्पादक नहीं ले पाएंगे।
- vii. टीडीआई की मांग लगातार बढ़ी है। अगर टीडीआई पर पाटनरोधी शुल्क का असर निचले स्तर के उद्योग पर पड़ता है, तो मांग में वृद्धि नहीं दिखाई देती।
- viii. फोम उद्योग आयात के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता है और लागत को आसानी से आगे बढ़ा सकता है।
- ix. वार्षिक रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि प्रयोक्ता उद्योग अच्छा लाभ कमा रहा है।
- x. घरेलू उद्योग से खरीदारी करना उपभोक्ताओं के हित में है, क्योंकि घरेलू उद्योग भारत में उपभोक्ताओं के हित में काम करेगा।
- xi. सार्वजनिक हित केवल उपभोक्ता उद्योग तक ही सीमित नहीं है और इसमें आवेदक और आम जनता का हित भी शामिल है।
- xii. विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी उपायों को जारी रखना घरेलू उत्पादक के हित में है।
- xiii. यह उपभोक्ता के हित में है कि एक प्रतिस्पर्धी आवेदक हो जो उचित कीमत वाले आयात के मुकाबले उपभोक्ताओं को उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम हो।
- xiv. भारत को वह मैनुफैक्चरिंग पावरहाउस बनाने के लिए घरेलू मैनुफैक्चरिंग गतिविधियों को बढ़ावा देना ज़रूरी है जो वह बनना चाहता है।
- xv. पाटनरोधी शुल्क उद्योग के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, बल्कि यह देश में निष्पक्ष बाज़ार प्रतिस्पर्धा लाने का एक साधन है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

143. प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया कि क्या सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण करने के लिए रिकॉर्ड में मौजूद सूचना और घरेलू उद्योग, विदेशी उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों पर विचार करने के आधार पर है।
144. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों, जिसमें आयातक, उपभोक्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकार शामिल हैं, से विचार आमंत्रित करते हुए एक राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी तय की ताकि वे इस समीक्षा जांच के संबंध में ज़रूरी सूचना दे सकें, जिसमें उनके प्रचालन पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव भी शामिल हैं। प्राधिकारी ने, अन्य बातों के अलावा, अलग-अलग देशों के अलग-अलग आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तनीयता, स्रोतों में जाने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के

प्रभाव, और पाटनरोधी शुल्क जारी रहने से पैदा हुई नई स्थिति में समायोजन बढ़ने अथवा विलंब होने की संभावना वाले कारकों संबंधी सूचना मांगी।

145. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी उपायों का प्रयोजन, आम तौर पर, पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुले और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क जारी रहने से विचाराधीन उत्पाद के साथ-साथ भारत में संबद्ध सामानों का प्रयोग करके बनाए गए अन्य निचले स्तर के उत्पादों की कीमतों स्तरों पर भी असर पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी उपायों को लागू करने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को जारी रखने से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को रोका जा सकेगा जो संबद्ध देशों से कम कीमत पर आयात के कारण हो सकता है और विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों की व्यापक उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
146. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जो इस समीक्षा जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजी गई थी। किसी भी प्रतिभागी हितबद्ध पक्षकार ने निचले स्तर के उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव सिद्ध नहीं किया है।
147. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद, संबद्ध देशों से आयात के कारण घरेलू उद्योग की स्थिति अभी भी सुभेद्य बनी हुई है। घरेलू उद्योग की आर्थिक स्थिति अभी भी प्रतिकूल है।
148. इस तर्क के संबंध में कि दक्षिण और पूर्वी भारत में प्रयोक्ताओं को होने वाली जगह की दिक्कतों की वजह से आयात करना पड़ता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने पूरे देश में उपभोक्ताओं को आपूर्ति की है। इसके अतिरिक्त, घरेलू संभारिकी लागत अंतर्राष्ट्रीय भाड़ा, शुल्कों और आयातों से जुड़े सार-संभाल प्रभारों की तुलना में कम और ज़्यादा अनुमाननीय हैं। किसी भी उत्पाद को आयात करने में पत्तर प्रभार, सीमा शुल्क और सार-संभाल शुल्क शामिल होते हैं, जो घरेलू खरीद के मामले में नहीं होता।
149. यह भी दावा किया गया है कि देश में मांग और आपूर्ति अंतराल है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग-आपूर्ति अंतराल पाटन को सही नहीं ठहराता। पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन आयात को प्रतिबंधित करना नहीं है, बल्कि उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है। उत्पाद की मांग लगातार बढ़ी है, जिससे पता चलता है कि पाटनरोधी शुल्क ने मांग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला। इसलिए, अगर ये उपाय जारी रखे जाते हैं तो उपभोक्ताओं की आपूर्ति प्रतिबंधित नहीं होगी।
150. निचले स्तर के उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में, यह नहीं माना जा सकता कि सिर्फ इसलिए कि शुल्क लगाने से पाटन रुक जाएगा और बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा बहाल हो जाएगी, उपभोक्ताओं के प्रचालन गैर-अर्थक्षम हो जाएंगे। पाटनरोधी शुल्क घरेलू उत्पादकों के लिए एक उचित व्यापारिक क्षेत्र बना सकते हैं, जिससे वे सही तरीके से प्रतिस्पर्धा कर सकें और बाजार में आपूर्ति जारी रख सकें। जांच के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा किए गए अनुरोधों पर ध्यान दिया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापनीय सूचना के साथ यह नहीं दर्शाया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से इन उपभोक्ताओं या आम जनता पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
151. घरेलू उद्योग ने निचले स्तर के उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव बताया है, जो पिछली जांच में जारी अंतिम जांच परिणाम पर आधारित है।

क्र.सं.	अंतिम उत्पाद	बाज़र कीमत	% में प्रभाव
1	चिपकने वाला पदार्थ	रु. 5000 प्रति कि.ग्रा.	0.11%
2	पीवीसी कोटेड पेपर	रु. 70/ वर्गमीटर	1.32%
3	पॉलीयूरेथेन रेज़िन	रु. 1300 प्रति कि.ग्रा.	0.23%
4	फेनिल आइसोसाइनेट	रु. 650 प्रति कि.ग्रा.	1.22%
5	पीयू फोम दर	रु. 420 प्रति कि.ग्रा.	1.74%

152. प्राधिकारी ने उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क का भी विश्लेषण किया है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग ने रिकॉर्ड में साक्ष्य रखे हैं जो दर्शाते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की गुणवत्ता आयातित उत्पाद के समान है। घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद में प्रयुक्त एंटी-ऑक्सीडेंट दर्शाते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि वे निर्धारित सीमा के अंतर्गत हैं तथा यह कि उन्होंने गुणवत्ता के बीआईएस प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है। घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति उपभोक्ताओं को भारी मात्रा में की है तथा 60 से ज़्यादा देशों को निर्यात भी किया है। इसके विपरीत, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है जो यह दर्शाए कि उत्पाद की गुणवत्ता आयातित उत्पाद के बराबर कैसे नहीं है।

153. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग विचाराधीन ओडीबीसी-मुक्त उत्पाद का उत्पादन नहीं करता, घरेलू उद्योग ने उत्पादित ओडीबीसी-मुक्त विचाराधीन उत्पाद दर्शाते हुए रिकॉर्ड में परीक्षण प्रति रखी है। जबकि हितबद्ध पक्षकारों ने साक्ष्यों के साथ बताए बिना केवल आरोप लगाए हैं।

ठ. प्रकटन पश्चात् टिप्पणियाँ

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

154. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की हैं।

- समाप्ति समीक्षा में शुल्क बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। जांच शुरुआत अधिसूचना में भी साफ तौर पर कहा गया है कि "यह समीक्षा लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए शुरू की गई है।"
- डीजीटीआर ने एकतरफा तौर पर उत्पादन लागत को संशोधित किया है, जिसका सीधा असर सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन की गणना पर पड़ा है। उत्पादन लागत में यह बदलाव अगोपनीय प्रकटन विवरण में दर्ज नहीं किया गया है।
- डीजीटीआर ने सामान्य मूल्य, निवल निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य का कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया है। उत्पादन लागत में बढ़ोतरी का कोई औचित्य नहीं बताया गया है, जो प्रश्नावली के उत्तर में सदारा द्वारा जमा किए गए आंकड़ों के विपरीत है।
- प्रकटन विवरण क्षति विश्लेषण के लिए कुछ आंकड़ों पर निर्भर करता है जो रिकॉर्ड पर नहीं रखा गये है। पैरा 69 में, प्रकटन विवरण टोल्युनि लागत, केंद्रित नाइट्रिक एसिड कीमत, प्राकृतिक गैस लागत की जांच का उल्लेख करता है। वही पैरा जांच की अवधि और पिछले तीन वर्षों के दौरान भरूच संयंत्र के लिए बिक्री की लागत पर भी चर्चा करता है। इन आंकड़ों को गोपनीय होने का दावा किया गया है, और बिक्री की लागत और पहुंच कीमत के संबंध में कोई प्रवृत्ति विश्लेषण प्रदान नहीं किया गया है।

- v. विकास मापदंडों के लिए, अनुक्रमित या प्रतिशत रूप में कोई आंकड़े प्रकट नहीं किए गए हैं।
- vi. डीजीटीआर की सतत परिपाटी के अनुसार, एक वस्तुनिष्ठ और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए, पाटनरोधी शुल्क के साथ और बिना दोनों के पहुंच मूल्य के आधार पर कीमत कटौती का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- vii. चूंकि सदारा सऊदी अरब में टीडीआई का एकमात्र उत्पादक है, इसलिए सदारा के लिए कीमत कटौती का मार्जिन पूरे सऊदी अरब के समान होना चाहिए। हालांकि, प्राधिकारी ने सऊदी अरब के लिए नकारात्मक कीमत कटौती और सदारा के लिए सकारात्मक कीमत कटौती की गणना की है।
- viii. सदारा ने जांच की अवधि के दौरान *** एमटी टीडीआई के निर्यात की सूचना दी, जबकि प्राधिकारी ने सऊदी अरब से कुल आयात 6,000 एमटी से कम दर्ज किया।
- ix. प्राधिकारी ने केवल जांच की अवधि के लिए कीमत कटौती का मूल्यांकन किया है, लेकिन जापान, कोरिया और जापान से टीडीआई से संबंधित पिछली निर्णायक समीक्षा जांच में, जांच की अवधि और पूरी क्षति अवधि दोनों के लिए कीमत कटौती का आकलन किया गया था।
- x. सऊदी अरब का बाजार हिस्सा 100 से 52 सूचकांक तक घटा, आवेदक की बाजार हिस्सेदारी में कोई भी गिरावट अन्य देशों से आयात के कारण होनी चाहिए।
- xi. सऊदी अरब से होने वाले संबद्ध आयात से क्षति की संभावना साबित नहीं हुई है क्योंकि संबद्ध आयात में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्षमता में कोई आसानी से इस्तेमाल होने वाली या जल्द होने वाली बढ़ोतरी नहीं है, कीमत में कमी या गिरावट संबद्ध आयात की वजह से नहीं है, सदारा में मालसूची स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और भारत सदारा के लिए कीमत के हिसाब से आकर्षक बाजार नहीं है।
- xii. प्रकटन विवरण में दिखाए गए टीडीआई आयात की मात्रा 24 जून 2022 की पिछले अंतिम जांच परिणाम में दर्ज मात्रा से काफी अलग है।
- xiii. घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबद्ध आयातक की वजह से नहीं मानी जा सकती है क्योंकि क्षति की जांच की अवधि के दौरान संबद्ध आयात प्रवृत्तियों में बदलाव भारतीय घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड की प्रवृत्तियों से मेल नहीं खाते।
- xiv. ज्यादा टीडीआई कीमतें एफटीए व्यवस्था के तहत एशियन देशों से तैयार माल के आयात को भी बढ़ावा देती हैं, जिससे व्यापार संरक्षण का मकसद ही खत्म हो जाता है।
- xv. प्राधिकारी ने बोरसोडकेम के लिए उत्पादन लागत में बढ़ोतरी तय करने का कोई कारण नहीं बताया है। प्राधिकारी द्वारा परिकल्पित की गई उत्पादन लागत बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई है।
- xvi. प्राधिकारी को बोरसोड के लिए भी शुल्क की दर और शुल्क का रूप एक जैसा ही रखना चाहिए।
- xvii. पाटनरोधी शुल्क में बदलाव किया जाना चाहिए, और कोवेस्ट्रो के लिए शून्य शुल्क तय किया जाना चाहिए क्योंकि प्राधिकारी ने कोवेस्ट्रो के लिए नकारात्मक क्षति मार्जिन तय किया है।
- xviii. कोवेस्ट्रो द्वारा निर्यात से क्षति की कोई संभावना नहीं है क्योंकि घरेलू बाजार और अन्य देशों में काफी बिक्री हुई है। तीसरे देशों को इसके निर्यात पर कोई व्यापार उपचार उपाय नहीं हैं। इसलिए, कोवेस्ट्रो के पास अपने निर्यात को तीसरे देशों से भारत में बदलने का कोई कारण नहीं है।
- xix. प्राधिकारी का तीसरे देश के निर्यात कीमतों का विश्लेषण भी बताता है कि कोवेस्ट्रो ने तीसरे देशों को निर्यात की तुलना में भारत को ज्यादा कीमतों पर निर्यात किया है।

ठ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

155. प्रकटन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

- i. इस जांच में पाटन मार्जिन बढ़ गया है और यह मूल जांच के पाटन मार्जिन की तुलना में कहीं ज़्यादा है।
- ii. इस जांच में बोरसोड और सदारा के लिए क्षति का मार्जिन मूल जांच की तुलना में बढ़ गया है। जबकि कोवेस्ट्रो डॉयचलैंड के लिए यह नकारात्मक है, उत्पादक की निर्यात कीमत कृत्रिम रूप से अधिक है।
- iii. घरेलू उद्योग को क्षति की अवधि में [800] करोड़ रुपये से ज़्यादा की हानि हुई है। घरेलू उद्योग को हुई हानियां बहुत ज़्यादा हैं और घरेलू उद्योग के लिए उत्पाद बनाना और बेचना संभव नहीं है।
- iv. कोवेस्ट्रो डॉयचलैंड एजी ने जांच की अवधि के दौरान कीमत कृत्रिम रूप से बढ़ा दी है। इसलिए, कोवेस्ट्रो डॉयचलैंड एजी की आयात कीमत संभावना तय करने के लिए भरोसेमंद नहीं है।
- v. प्राधिकारी ने यह पाया है कि कोवेस्ट्रो डॉयचलैंड एजी द्वारा दूसरे देशों को किए गए 90% से ज़्यादा निर्यात की कीमत भारत को किए गए निर्यात की कीमत से कम है, जो दिखाता है कि निर्यात कीमत लागत एवं पद्धति पर आधारित नहीं हैं।
- vi. कोवेस्ट्रो डॉयचलैंड एजी ने प्रश्नावली के उत्तर के भाग II में दावा किया है कि उसकी कीमतें स्थल बिक्री आधार पर हैं और बाजार कीमतों को अपना रही हैं। यह अनुरोध कि यह लागत एवं पद्धति पर आधारित है, उत्तर के विपरीत है।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

156. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है। यह देखा गया है कि इनमें से ज़्यादातर अनुरोध उन तर्कों और दावों को दोहराते हैं जिनकी जांच पहले ही की जा चुकी है और इन अंतिम जांच परिणाम के संगत पैराग्राफ में आवश्यक समझी गई सीमा तक हल कर दिए गए हैं। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दे, जिन्हें प्राधिकारी ने संगत माना है, उनकी जांच नीचे की गई है। कोई भी अनुरोध जो पिछले अनुरोधों की पुनरावृत्ति मात्र थे, और जिनकी प्राधिकारी ने पहले ही पर्याप्त रूप से जांच कर दी गई है, उसे संक्षिप्तता के दोहराया नहीं गया है।
157. इस तर्क पर कि उच्च टीडीआई कीमतें एफटीए व्यवस्थाओं के अंतर्गत आसियान देशों से तैयार माल के आयात को प्रोत्साहित करेंगी, प्राधिकरण ने नोट किया है कि इच्छुक पक्षों ने लागू शुल्कों के प्रतिकूल प्रभाव को स्थापित करने वाला कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है, और पाटनरोधी शुल्क पाँच वर्षों की अवधि से लागू हैं। जाँच से यह पता नहीं चला है कि शुल्क लगाने का डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
158. इस निवेदन पर कि सामान्य मूल्य, शुद्ध निर्यात मूल्य और पहुँच मूल्य की विस्तृत गणना इच्छुक पक्षों को प्रकट नहीं की गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटीकरण विवरण के बाद, प्रत्येक सहभागी उत्पादक को उनकी गोपनीय उत्पादन लागत, सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पहुँच मूल्य की जानकारी प्रदान की गई थी। ये प्रकटीकरण प्राधिकारी की सतत् कार्यप्रणाली के अनुरूप किए गए हैं। गणनाओं पर उनकी टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, इस अंतिम निष्कर्ष में शामिल की गई हैं।

159. कोवेस्ट्रो डॉयचलैंड एजी ने दावा किया है कि चूँकि उसका क्षति मार्जिन ऋणात्मक है, इसलिए उत्पादक पर शून्य शुल्क लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने नोट किया है कि जाँच से पता चला है कि कोवेस्ट्रो डॉयचलैंड एजी ने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात काफी कम कीमतों पर किया है। यह भी देखा गया है कि उत्पादक द्वारा अन्य देशों को किए गए 90% निर्यात भारत को किए गए निर्यात मूल्य से कम हैं और उत्पादक के पास निष्क्रिय क्षमताएँ देश में माँग से अधिक हैं। इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि उत्पादक पर शून्य शुल्क लगाना उचित नहीं होगा, खासकर जब शुल्कों को संभावना के आधार पर बढ़ाया जा रहा हो।
160. उन टिप्पणियों पर जिनमें कहा गया था कि प्रकटन विवरण कच्ची सामग्री लागत से जुड़े आंकड़ों और पहुँच कीमत से संयंत्र-वार लागत की तुलना पर विश्वास करता है और यह कि यह आंकड़ा रिकॉर्ड में नहीं रखा गया था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने अपने लिखित अनुरोधों में दावा किया था कि दाहेज संयंत्र अदक्ष था और भरूच संयंत्र की लागत से आयातों की पहुँच कीमत से तुलना करने का अनुरोध किया था। हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी दावा किया था कि टोल्युनि की कीमतें कम हो गई हैं जबकि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत बढ़ गई है। इसके उत्तर में, घरेलू उद्योग ने अपने प्रत्युत्तर अनुरोधों में भरूच संयंत्र की लागत और कच्ची सामग्री की लागत से संबंधित सूचना का हवाला दिया था। यह सूचना पहले से ही घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए आवेदन-पत्र का हिस्सा है और इस मामले की प्राधिकरण द्वारा पहले ही जांच की जा चुकी है।
161. हितबद्ध पक्षकारों ने उल्लेख किया कि वृद्धि मापदंडों की प्रवृत्ति और संयंत्र-वार लागत प्रकट नहीं की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की संयंत्र-वार लागत व्यापार संवेदी सूचना है। व्यापार सूचना 10/2018 में प्रवृत्ति में संयंत्र-वार सूचना के प्रकटन की अपेक्षा नहीं है। अतः, प्राधिकारी प्रवृत्ति में संयंत्र-वार लागत प्रकट करना उपयुक्त नहीं मानते हैं। हालाँकि, उत्पादन लागत और पहुँच मूल्य का रुझान दिया गया है। जहाँ तक वृद्धि मापदंडों की प्रवृत्ति का संबंध है, वह घरेलू उद्योग द्वारा लिखित अनुरोधों में दे दी गई थी और सूचना के आधार पर प्रकटन विवरण और अंतिम जांच परिणामों में प्रकट कर दी गई है।
162. हितबद्ध पक्षकारों ने टिप्पणियाँ दायर की हैं कि प्रकटन विवरण के अनुसार आयात की मात्रा 24 जून 2022 की अंतिम जांच परिणाम में दर्ज मात्रा से काफी अलग है। मामले की जांच की गई है और यह नोट किया गया है कि फा.सं.7/26/2021- डीजीटीआर दिनांक 24 जून 2022 में सूचित आयात की मात्रा यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ताइवान के लिए थी, जबकि इस जांच में शामिल देश यूरोपीय संघ और सऊदी अरब हैं। प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के लिए संबद्ध सामान के आयात मात्रा का पता लगाने के लिए सिस्टम एवं आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय (डीजी सिस्टम पर भरोसा किया है।
163. बोरसोड केम ने उत्पादन लागत पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत की हैं। टिप्पणियों की जाँच की गई है। उत्पादक की उत्पादन लागत में सुधार हुआ है और तदनुसार, उत्पादक के सामान्य मूल्य और डंपिंग मार्जिन में परिवर्तन हुआ है। संशोधित डंपिंग मार्जिन डंपिंग मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।
164. इस टिप्पणी पर कि क्षति दूसरे देशों से आयात के कारण है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने पहले ही प्रकटन विवरण में दर्ज किया था कि दूसरे देशों से होने वाले आयात पर पाटनरोधी शुल्क लग रहा है। यह जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, और इसका क्षेत्र यह जांचने तक सीमित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क जारी रखने का कोई औचित्य है। जांच से पता चला है कि संबद्ध देशों पर उपायों की अवधि समाप्त होने की स्थिति में लगातार पाटन और क्षति की संभावना बनी हुई है।
165. इस टिप्पणी पर कि मूल्य कटौती केवल जाँच अवधि के लिए निर्धारित की गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच से पता चला है कि संबद्ध देशों के एक सहभागी उत्पादक के संबंधित आयातक ने विचाराधीन उत्पाद को घाटे में बेचा है। तदनुसार, मूल्य कटौती का निर्धारण सहभागी उत्पादकों के पहुँच मूल्य की गणना, जिसे हानि के बाद

विधिवत समायोजित किया गया है, के बाद किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया जाता है कि संपूर्ण क्षति अवधि के लिए मूल्य कटौती के निर्धारण हेतु हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

166. इस तर्क के संबंध में कि सदारा के लिए कीमत कटौती पूरे सऊदी अरब के लिए कीमत कटौती के बराबर होनी चाहिए, प्राधिकारी ने कीमत कटौती की जांच की है। यह देखा गया है कि आंकड़ों की प्रस्तुति में सऊदी अरब और यूरोपीय संघ के नाम गलती से आपस में बदल गए थे। इस लिपिकीय त्रुटि को प्राधिकारी ने ठीक कर दिया है। शुद्धि के बाद, दोबारा गणना किए गए आंकड़े दिखाते हैं कि सदारा और पूरे सऊदी अरब के लिए कीमत कटौती स्तर तुलनीय हैं। सही किए गए आंकड़े संबद्ध आयातक के संबंधित कीमत व्यवहार को उपयुक्त रूप से दर्शाते हैं।
167. सदारा केमिकल कंपनी के इस निवेदन पर कि उसकी उत्पादन लागत संशोधित कर दी गई है, यह कहा जाता है कि प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत पर विचार किया है। हालाँकि, चूँकि निर्यातक कुछ लागत मदों, जैसे 'टीडीआई श्रृंखला में समाहित लागत', के लिए औचित्य प्रदान नहीं कर सका, इसलिए उपलब्ध सूचना के आधार पर उस पर विचार किया गया है।

3. निष्कर्ष

168. उठाए गए तर्कों, दी गई सूचना, किए गए अनुरोधों और ऊपर दर्ज किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों और घरेलू उद्योग को सतत पाटन और क्षति के उपर्युक्त विश्लेषण तथा क्षति की आगे संभावना के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:-
- वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद टोल्यूनि डाइआइसोसाइनेट (टीडीआई) है, जिसमें आइसोमर कंटेंट 80:20 के अनुपात में है। उत्पाद का क्षेत्र वही है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया था।
 - घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद आयातित उत्पाद की समान वस्तु है।
 - आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग है, और आवेदन-पत्र नियमावली के तहत आवश्यकताओं को पूरा करता है।
 - संबद्ध देशों के भाग लेने वाले उत्पादकों और निर्यातकों के लिए डंपिंग मार्जिन न्यूनतम से अधिक और महत्वपूर्ण है।
 - समीक्षाधीन जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद की डंपिंग में तेजी आई है, और जांच से पता चला है कि शुल्क उपायों की समाप्ति की स्थिति में उत्पाद की डंपिंग जारी रहने की संभावना है।
 - संबद्ध देशों से आयात 2022-23 तक कम हो गया था लेकिन जांच की अवधि में बढ़ गया।
 - आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है और घरेलू उद्योग ने काफी वित्तीय हानियों में बेचा है।
 - पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को लागत में बदलाव के अनुरूप अपनी कीमतें बढ़ाने से रोक दिया है। पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा दिया है।
 - घरेलू उद्योग ने इस जांच में उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर आयात के संभावित प्रतिकूल प्रभावों के रूप में मात्रात्मक क्षति का दावा नहीं किया है।
 - संबद्ध देशों से होने वाले आयात का बाजार हिस्सा 2022-23 तक कम हो गया है और जांच की अवधि में इसमें मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

- xi. शुल्क लगने वाले असंबद्ध देशों से होने वाले आयात का बाजार हिस्सा 2021-2022 में बढ़ा, 2022-2023 में और बढ़ा और जांच की अवधि में कम हो गया।
- xii. जांच अवधि में घरेलू उद्योग को हानि, ब्याज से पूर्व हानि, नकद हानि तथा नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल का सामना करना पड़ा है।
- xiii. घरेलू उद्योग का औसत मालसूची क्षति की अवधि में बढ़ी है।
- xiv. जांच की अवधि और पिछले वर्ष के दौरान घरेलू उद्योग की वृद्धि पिछले सालों की तुलना में अलग-अलग कीमत के मापदंडों पर नकारात्मक रही है।
- xv. संबद्ध देशों में उत्पादक काफी ज़्यादा बेकार क्षमताओं के साथ काम कर रहे हैं। बोरसोड के लिए बेकार क्षमताएं भारतीय मांग का एक-तिहाई है, सदारा के लिए एक-चौथाई है, जबकि कोवेस्ट्रो के मामले में, बेकार क्षमता भारतीय मांग के लगभग बराबर है।
- xvi. संबद्ध देश में उत्पादकों ने ऐसी क्षमताएं स्थापित की हैं जो घरेलू मांग से कहीं ज़्यादा हैं और वे इन क्षमताओं का उपयोग निर्यात प्रयोजनों के लिए कर रहे हैं।
- xvii. शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए, शुल्क जारी रखना व्यापक रूप से जनहित के विरुद्ध नहीं होगा।

ढ. सिफारिशें

169. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को इसकी सूचना दी गई थी और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन और क्षति के जारी रहने/बार-बार होने की संभावना के पहलुओं पर सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था।
170. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि पाटन और क्षति जारी है और अगर पाटनरोधी उपायों को खत्म होने दिया गया तो और क्षति होने की संभावना है, प्राधिकारी का मानना है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर उपायों को जारी रखना ज़रूरी है। प्राधिकारी 28 जनवरी 2021 को जारी अंतिम जांच परिणाम फा.सं..6/43/2019- डीजीटीआर द्वारा सूचित किए गए अनुसार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क जारी रखे जाने की सिफारिश करना उपयुक्त मानते हैं।
171. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम (7) में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क, पांच (5) वर्षों की अगली अवधि के लिए संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूओएम	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29291020*	‘टोल्यूनि डाइआइसोसाइनेट (टीडीआई) जिसमें आइसोमर कंटेंट 80:20 के अनुपात में है’**	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई देश	कोवेस्ट्रो ड्यूटसल और एजी	221.04	एमटी	यूएस डॉ.
2	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	बोसॉडकेम ज़र्ट	102.05	एमटी	यूएस डॉ.
3	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	उपर्युक्त क्र.सं. 1 और 2 में उल्लिखित को छोड़कर कोई उत्पादक	264.96	एमटी	यूएस डॉ.
4	-वही-	-वही-	पाटनरोधी शुल्क लगने वाले देशों को छोड़कर कोई देश	यूरोपीय संघ	कोई	264.96	एमटी	यूएस डॉ.
5	-वही-	-वही-	सऊदी अरब	सऊदी अरब के सहित कोई देश	सदारा केमिकल कंपनी	217.55	एमटी	यूएस डॉ.
6	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	ऊपर क्र.सं. 5 में उल्लिखित को छोड़कर कोई उत्पादक	344.33	एमटी	यूएस डॉ.
7	-वही-	-वही-	पाटनरोधी शुल्क लगने वाले देशों को छोड़कर कोई देश	सऊदी अरब	कोई	344.33	एमटी	यूएस डॉ.

* सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं और जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।

** इस जांच में विचाराधीन उत्पाद टीडीआई है जिसमें आइसोमर कंटेंट (80:20) के अनुपात में है। अन्य सभी ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर हैं।

ण. आगे की प्रक्रिया

172. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/ नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सिद्धार्थ महाजन, (निर्दिष्ट पदाधिकारी)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

NOTIFICATION

CASE NO. AD (SSR) - 05/2024

New Delhi, the 12th November, 2025

FINAL FINDINGS

Subject: Final finding in the sunset review of anti-dumping duty imposed on imports of Toluene Di-Isocyanate (TDI) from European Union and Saudi Arabia.

F. No. 7/14/2024 – DGTR - Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “Rules”)

- a. The Designated Authority (hereinafter referred to as “Authority”) received an application from Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (hereinafter referred to as the ‘applicant’ or the “domestic industry”) seeking initiation of a sunset review for extension and enhancement of the anti-dumping duty imposed on imports of ‘Toluene Di-Isocyanate’ (TDI) (hereinafter to be referred to as the “subject goods” or the “the product under consideration” or the “PUC”), originating in or exported from European Union and Saudi Arabia (hereinafter referred to as the “subject country”).
- b. On the basis of prima facie evidence submitted by the applicant, the Authority issued a public notice vide notification no. 7/14/2024- DGTR dated 30th December 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation. The investigation was initiated in accordance with Section 9A (5) of the Act read with Rule 23 of the Rules to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry and if there is a need for continued imposition of the anti-dumping duties.

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The original anti-dumping investigation into imports of product under consideration from European Union, Saudi Arabia, Chinese Taipei and United Arab Emirates was initiated by the Authority on 31st January 2020. Following a request by the applicant and a thorough preliminary examination, the Authority dated 4th September 2020, recommended imposition of provisional anti-dumping duty. Subsequently, the Ministry of Finance imposed provisional duties vide Customs Notification No. 43/2020-Customs (ADD) dated 2nd December 2020 for a period of 6 months.

2. After an elaborate investigation, the Authority concluded that the imports of the product under consideration from the subject countries had caused injury to the domestic industry and vide final finding dated January 28th, 2021 confirmed the preliminary finding and recommended imposition of measures for a period of 5 years. The Ministry of Finance imposed duties vide Notification No. 28/2021-Customs (ADD), dated 27th April 2021.
3. In terms of Section 9A (5) of the Act, any anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such an imposition. Further, Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:

“any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated Authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry”

4. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, whether the expiry of existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
5. The scope of the present review covers all aspects of the final finding no. 06/43/2019-DGTR dated 28th January 2021, and Notification No. 28/2021-Customs (ADD) dated 27th April 2021.
6. Central Government has, vide Notification No. 28/2025-Customs (ADD) dated 19th August, 2025 extended the levy of definitive anti-dumping duty on imports of Toluene Di-Isocyanate (TDI) from the European Union and Saudi Arabia. The said duties shall remain applicable until 1st March, 2026. In accordance with the above, the Designated Authority has revised the schedule for the completion of the sunset review investigation in respect of the subject goods. The investigation will now be concluded on or before 30th November, 2025.

B. PROCEDURE

7. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - i. In accordance with Rule 5 of the Rules, before proceeding to initiate the investigation, the Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present sunset review anti-dumping application.
 - ii. In accordance with Rule 6 of the Rules, the Authority issued a notification no. 7/14/2024-DGTR dated 30th December 2024, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the sunset review anti-dumping investigation concerning the imports of the product under consideration from the subject countries.
 - iii. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st April 2023 to 30th June 2024 (15 months). The injury period for the investigation will cover the periods 2020-21, 2021-22, 2022-23 and the period of investigation.
 - iv. A request was made to the Directorate General for Systems and Data Management (DG Systems) for transaction-wise import data of the subject goods for the injury period. The Authority received the data and has relied upon this data for the necessary analysis after due examination of the transactions.

- v. In accordance with Rule 6 (2) of the Rules, the Authority sent a copy of the initiation notification dated 30th December 2024 to the embassy of the subject countries in India, the known producers, and exporters from the subject countries, known importers and users in India, and the other interested parties, as per the email addresses made available by the domestic industry. /
- vi. In accordance with Rule 6 (3) of the Rules, the Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of the subject country in India.
- vii. The embassy of the subject countries in India was also requested to advise the exporters/producers from its country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire were sent along with the names and addresses of the known producers/exporters of the subject countries.
- viii. In accordance with Rule 6 (4) of the Rules, the Authority sent exporter questionnaire to the following known producers/ exporters in subject countries.

SN	Name of producer/exporters in the subject countries.
1	BorsodChem Zrt, European Union
2	BASF Schwarzheide GmbH, European Union
3	BorsodChem Zrt Covestro Deutschland AG, European Union
4	Dow Chemical Company, Saudi Arabia
5	Sadara Chemical Company, Saudi Arabia
6	SABIC Asia Pacific Pte Ltd, Saudi Arabia

- ix. The following producers and exporters have registered in the present investigation.

SN	Name of producer/exporters in the subject country.
1	BorsodChem Zrt., European Union
2	Covestro Deutschland AG, European Union
3	Sadara Chemical Company, Saudi Arabia ('Sadara')
4	Saudi Basic Industries Corporation ('SABIC')
5	SABIC Asia Pacific Pte. Ltd., Singapore ('SAPPL')
6	Dow Saudi Arabia Product Marketing BV ('Dow Marketing')
7	Dow Chemical Pacific Singapore Pvt. Ltd. ('Dow Singapore')

- x. In accordance with Rule 6(4) of the Rules, the Authority sent importer's questionnaire to the following known importers/users of the product under consideration in India calling necessary information.

SN	Name of users/importers of the product under consideration in India.
1	Covestro (India) Private Limited
2	Wanhua International (India) Private Limited
3	Moka Business Private Limited
4	Flexipol Foams Pvt Ltd
5	Dow Chemical International Private Limited
6	Duroflex Private Limited
7	Prime Comfort Products Pvt. Ltd
8	Sheela Foam Limited

- xi. The following users/importers have registered in the present investigation.

SN	Name of users and importers.
1	Dow Chemical International Pvt. Ltd. ('DCIPL')
2	Wanhua International (India) Pvt Ltd. (WIPL)
3	Covestro India Pvt. Ltd. (CIPL)
4	Sheela Foam Limited ('SFL')

- xii. The Authority also sent copies of initiation notification to the following association and sought their comments:

SN	Name of producer/exporters in the subject countries.
1	Indian Polyurethane Association ('IPUA')

- xiii. The above association has responded to the initiation notification and participated in the present investigation.
- xiv. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the website. All registered interested parties were directed to circulate the non-confidential version of all their submissions in the present proceedings with all other interested parties.
- xv. The Authority issued an economic interest questionnaire to all the known producers and exporters, importers, and the domestic industry. The economic interest questionnaire was also shared with the administrative line ministry. Economic interest questionnaire was filed by the following interested parties.

SN	Name of interested parties
1	Sadara Chemical Company, Saudi Arabia
2	Saudi Basic Industries Corporation, Saudi Arabia (SABIC) and SABIC Asia Pacific Pvt. Ltd. (SAPPL)
3	Covestro Deutschland AG
4	BorsodChem Zrt
5	Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited

- xvi. Foreign producers, exporters and other interested parties who have not responded to the Authority, or have not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating with interested parties.
- xvii. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by the various interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- xviii. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 13th June 2025 in hybrid mode. Due to change in the Designated Authority, a second oral hearing was held on July 29, 2025. The parties that presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The parties shared their non-confidential submissions with other interested parties and were advised to offer their rebuttals.
- xix. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.

- xx. In accordance with Rule 7, the information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xxi. In accordance with Rule 8, the Authority, during the course of the investigation, satisfied itself with the accuracy of the information supplied by the domestic industry and the interested parties, which forms the basis of this final finding. The information was verified to the extent possible and verified the data documents submitted by the domestic industry and the interested parties to the extent considered relevant, practicable and necessary.
- xxii. In accordance with Rule 8, the Authority conducted verification of the data provided by the domestic industry and other interested parties to the extent considered necessary for the present proceedings. The Authority has considered the verified data of the interested parties in its analysis in the present case.
- xxiii. The Authority calculated the non-injurious price (NIP) for the product under consideration so as to ascertain whether duties lower than the dumping margin would be sufficient to remedy the injury being suffered by the domestic industry. The NIP has been calculated based on the optimum cost of production and cost to produce & sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the applicant and having regard to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).
- xxiv. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties to the extent the same is supported with evidence and considered relevant to the present investigation. The Authority will further examine the evidentiary documents submitted by the interested parties subsequent to the disclosure statement, which will form the basis for conclusions at the time of final findings.
- xxv. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts to all interested parties on 31st October 2025. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission, and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.
- xxvi. “***” in this final finding represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxvii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$=Rs 83.82.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

A.1 C.1 Submission of the other interested parties

- 8. The other interested parties have made the following submissions with regards to the product under consideration and like article: -
 - i. The product supplied by the domestic industry exceeds the internationally prescribed levels of antioxidants including BHT.
 - ii. TDI produced by the domestic industry contains specifications that are lower than the TDI quality offered by international competitors and accepted at international standards.
 - iii. The domestic industry does not produce ODCB-free TDI or BHT-free TDI in sufficient quantities. DI did not produce these grades. They have recently started production of these in one of their plants but the quantities of it is insufficient to meet the demand.
 - iv. The domestic industry is trying to downplay the relevance of specialized variants such as BHT-free or ODCB-free TDI by characterizing its demand as non-essential.

- v. The Authority must evaluate whether the domestically produced article is comparable to the imported product, especially when the imported variant is required to meet technical and regulatory standards that the domestic variant fails to satisfy.
- vi. The limited production of BHT-free TDI in India is not indicative of limited demand but rather a reflection of operational constraints and commercial choices made by domestic industry. The fact that it is manufactured in small quantities demonstrates that such demand exists but is not being adequately served.
- vii. ODCB-free TDI, which is essential for REACH-compliant applications and exports to certain international markets, is not manufactured by domestic industry at all and has to be entirely imported.

A.2 C.2. Submission of the domestic industry

9. The domestic industry has submitted as follows with regards to the scope of the product under consideration and like article:
 - i. The scope of the product under consideration in the present investigation is the same as defined in the original investigation.
 - ii. There have been no developments in the product and the product produced by the domestic industry continues to remain like article to the imported product.
 - iii. The domestic industry has produced and supplied BHT and ODBC free TDI.
 - iv. The Authority has already established in the sunset review of anti-dumping duty on subject goods from China PR, Japan and Korea RP that the demand for BHT free material is very less.
 - v. The domestic industry has supplied the product to users who have sold it to IKEA, which is one of the biggest users. IKEA has acknowledged that the product supplied by the domestic industry meets their requirements.
 - vi. The domestic industry has also exported to 60 countries. No quality issues have been identified.
 - vii. BIS certification in India for the product under consideration is not mandatory. However, the domestic industry is the first one to acquire such certification.
 - viii. Sheela Foam has itself bought the subject goods from the domestic industry in substantial quantities. In fact, the domestic industry has supplied the product under consideration to an affiliate unit of Sheela Foam situated in Spain.

A.3 C.3. Examination by the Authority

10. The present investigation is a sunset review investigation and the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation. The product under consideration as defined in the original investigation is reproduced hereunder-

“9. The product under consideration in the present investigation is Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20. The scope of the PUC in the present investigation is restricted to TDI having isomer content in the ratio of (80:20) and all other grades are beyond the scope of product under consideration. The PUC is used in Flexible Polyurethane foam, Mattresses, Pillows & Quilts, etc.

10. The Authority has considered the PUC as under: - “The product under consideration in the present investigation is “Toluene DiIsocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20”. Toluene di-isocyanate (TDI) is an organic compound having formula CH₃C₆H₃(NCO)₂. Two of the six possible isomers are commercially important: 2,4-TDI (CAS: 584-84-9) and 2,6-TDI (CAS: 91-08-7). 2,4-TDI is produced in the pure state, but TDI is often

marketed as 80/20 and 65/35 mixtures of the 2,4 and 2,6 isomers respectively. The product under consideration in the present investigation concerns TDI having isomer content in the ratio of (80:20). All other grades are beyond the scope of product under consideration.

11. The PUC is classified under the Chapter Heading 29 under the HS code 2929 10 20. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the PUC.”.

11. The Authority has analyzed the contention of the interested parties regarding the quality of the product. The domestic industry placed evidence showing that the antioxidants used in the product under consideration are well within the prescribed limit and that it has acquired BIS certificate for quality. The domestic industry has supplied the product under consideration in large volume to the consumers and has exported the product to more than 60 countries. The Authority takes note that the domestic industry has placed evidence on records showing that the quality of the product under consideration is at par with the imported product.
12. As regards the contention that the domestic industry does not produce ODBC- free product under consideration, the domestic industry has placed the test copy on records showing product under consideration produced ODBC- free. The domestic industry has also provided copies of supplies made to European Union to a related entity of Sheela Foam. Therefore, the Authority holds that the contention of the user industry does not hold true.
13. In view of the above, the Authority confirms the same scope of the product under consideration as was notified earlier. The product under consideration is -

“Toluene DiIsocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20”.

14. The product is classifiable under Chapter 29 under the customs code 29291020.
15. It is also noted that the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of subject investigation.
16. The Authority notes that the product produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from the subject countries in terms of physical and chemical characteristics, product specifications, technical specifications, manufacturing process, and technology, functions and uses, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially interchangeable. Accordingly, the Authority concludes that the product produced by the domestic industry are ‘like article’ to the product under consideration imported from the subject country in terms of Rule 2(d) of the Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

A.4 D.1 Submission made by the other interested parties

17. The other interested parties have not made any submissions with regard to the scope of the domestic industry and standing.

A.5 D.2. Submission made by the domestic industry

18. The domestic industry has submitted as follows with regards to the scope of the domestic industry and standing:
 - i. The domestic industry is the sole producer of the product under consideration

- ii. The domestic industry has not imported the subject goods from subject countries and is not related to any exporter in the subject countries or importer of subject goods in India.
- iii. The domestic industry satisfies the requirement of Rule 2(b), and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the rules.

A.6 D.3. Examination by the Authority

19. The Authority notes that the present application has been filed by Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited. There is no other producer of the product under consideration in India. Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited have certified that it has not imported the product under consideration. The Authority has examined DG System's transaction-wise data and found that there are no imports of the product under consideration by Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited.

20. Rule 2(b) of the Rules defines Domestic Industry as follows:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

21. It is noted that the applicant is eligible domestic industry within the meaning of the Rule 2(b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS AND CONFIDENTIALITY COMMENTS

A.7 E.1 Submission of the other interested parties

22. The other interested parties have made following miscellaneous submissions:

- i. The domestic industry has received sufficient protection of trade remedial measures over an extended period against imports from various countries.
- ii. The import volume reported by the domestic industry is not consistent with what reported in previous investigation from China, Japan and Korea.
- iii. The domestic industry has claimed indexed data for opening and closing stock as confidential in contradiction to Rule 7 of Anti-dumping Rules.
- iv. The domestic industry has made baseless allegations regarding excessive confidentiality claimed in the questionnaire responses filed by interested parties.
- v. On the domestic industry's objection of user not providing data in trends for Annexure 1, it lacks any legal or logical basis. Total cost breakup of end-products using PUC is inapplicable as the information pertains only for period of investigation.
- vi. The claim of domestic industry that the downstream industry has not disclosed broad stage-wise production process is inherently contradictory, as the domestic industry themselves have not disclosed any details of the stage-wise production process.
- vii. Trade Notice No. 10/2018 does not require to submit product catalogue or brochures.

A.8 E.2 Submission made by the domestic industry

23. The domestic industry has made following miscellaneous submissions.

- i. The domestic industry has taken recourse of trade remedial measures because of dumped imports from various sources.
- ii. The shifting of dumping from one source to another has not allowed the domestic industry a chance to operate for a reasonably long period with reasonable profits. The domestic industry is still vulnerable to dumping.
- iii. The trade notice 10/2018 does not require disclosure of the opening or closing inventory. The trade notice only requires disclosure of average inventory.
- iv. The producers and exporters from the subject countries and importers and users have claimed excessive and unwarranted confidentiality, which has prevented the domestic industry from making any meaningful comments.
- v. Sadara group in its non-confidential version of the exporter questionnaire response has not provided trends of information in- Exhibit A-5, Appendix- 2, Appendix- 3B, Appendix- 4A, write-up on related parties involved in exports in India and Broad manufacturing process. Part II of the response filed by Sadara does not provide trends on Installed capacity, production quantity- PUC, capacity utilization, and sales quantity.
- vi. Dow Chemical International Private Limited, a user and related importer of Sadara Chemical Company, has not provided trends of information in Annexure 1, Annexure 2, Annexure 3 and Annexure 5. A summary of write-up on the production process is also not provided.
- vii. SAPPL has not provided trends of information in Appendix 2, Appendix 3A and Appendix 1A. Whereas SABIC has not provided trends of information in Appendix 2, Appendix 3B and Appendix 1A.
- viii. Covestro Deutschland AG has not provided trends of information in Appendix 3A, and Appendix 4A. A summary of write-up on the production process is also not provided.
- ix. Covestro (India) Private Limited, a user and related importer of the Covestro Deutschland AG have not provided trends of information in Annexure 1, Annexure 2, Annexure 3 and Annexure 5.
- x. BorsodChem ZRT has not provided trends of information in Appendix 3A, Appendix 4A and Appendix 13. The exporter has also not provided information on product catalogues and brochures and a write-up on broad stage-wise manufacturing process.
- xi. The information on record establishes that dumping from the subject countries has aggravated and the domestic industry has suffered continuous injury. There is a need for enhancement of duties.

A.9 E.3 Examination by the Authority

24. As regards the contention that the domestic industry has enjoyed sufficient protection of the anti-dumping duty, the Authority notes that anti-dumping duty is not a protection per se. Anti-dumping duty is a remedy to address injurious dumping. The present investigation is the 1st sunset review investigation for the subject countries. The recommendations for the imposition of the anti-dumping duty are made only after investigation by the Authority and when the requisite legal requirements are fully met. The Authority notes that dumping is unfair trade practice and must be addressed, if the same is causing or is likely to cause injury to the domestic industry. There is no bar on the number of times domestic industry can seek redressal from unfair trade practices of the foreign producers/exporters nor is there any bar on the number of times anti-dumping duty can be imposed. The Authority notes that as per Section 9(A)(5) of the Act and Rule 23 of the Rules, there is no restriction on the maximum period for which the duty can remain in force. The only condition necessary for extension of duties is whether cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. The anti-dumping duty can be extended for a period as long as necessary to counteract likelihood of dumping and injury. Further,

anti-dumping duty may be withdrawn, if there is no justification for continuation of duty, regardless of the period for which the duty was in force.

25. The applicant in the present case has filed application contending continuance or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. A review, as provided under Rule 23 (1B), was initiated and the Authority shall determine whether there is a likelihood of continuation of recurrence of dumping and injury in case of cessation of anti-dumping duty.
26. As regards the submission that the import data submitted by the domestic industry is unreliable, the Authority has relied on the DG Systems transaction-wise import data for examination of volume and value of imports.
27. As regards the submission regarding confidentiality of information, it is noted that information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties in the form of public file. The information related to imports, performance parameters and injury parameters of domestic industry has been made available in the public file. Business sensitive information has been kept confidential as per practice.

F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

F.1 Submission by the other interested parties

28. The other interested parties have made the following submissions.
 - i. The import data presented by the domestic industry is unreliable due to the fact that the export price reported is deflated and the import volume reported is not consistent with what was reported in previous investigations.
 - ii. The average export price reported in the exporter questionnaire response is substantially higher than that projected in the application.
 - iii. The veracity of the import data reported by the domestic industry should be examined by the Authority.
 - iv. For determination of the dumping margin and injury margin, the Authority should rely on the normal value, export price and landed value as per the information provided by the exporter.
 - v. The responding exporters have provided the complete information regarding the export price to India and resale price in the domestic market.
 - vi. In the sunset review investigation, it is the consistent practice of the Authority to continue the existing anti-dumping duty if there is continuation of or the likelihood of recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
 - vii. If the Authority thinks that anti-dumping duty should be modified in the present sunset review, individual rate of anti-dumping duty for the Respondents should be based on dumping margin and injury margin.
 - viii. The exports to India are done through SABIC group and sold to independent and unrelated Indian importers and DCIPL has not engaged in any form of trading or resale activity during the period of investigation.

- ix. The landed value for exports from Saudi Arabia in the application is inaccurate and does not reflect the actual transaction values.
- x. The landed value reported by domestic industry is abnormally low and not representative of the actual market conditions.
- xi. The allegation of the domestic industry regarding the import price reported to the customs in India not being the real import price at which the product is sold in the Indian market is completely misplaced insofar as the SABIC and SAPPL are concerned.
- xii. The import data has been drastically revised from what has been reported in the application by the domestic industry.
- xiii. The contention that dumping margin increased from the original investigation is based on the import data which is patently unreliable.
- xiv. The claim of the domestic industry regarding an increase in dumping margin for respondents is meaningless for determining the individual rate for Borsod in a sunset review investigation.
- xv. The domestic industry claim that Sadara has not provided third countries exports details is incorrect. Sadara has already stated that it has sold to SABIC and DOW for export to third countries.
- xvi. No rules are framed for reconstruction of export price when there is no resale of imported article by related importer/user. The Authority has also consistently accepted the actual export price to related importer/user.
- xvii. The export price goes through multiple checks and balances under Customs Law and Income Tax Law. The Special Valuation Branch investigates the transactions between the importer and the related foreign supplier. Therefore, there is no reason to doubt the export price of Covestro Deutschland AG to India.
- xviii. The respondents are also required to comply with transfer pricing regulation, which provides for assessment of fair price in case of transactions between related parties.
- xix. Import price of Covestro from Germany has increased year on year from 2022-23 onwards. After Russia-Ukraine war in February 2022, the energy prices increased significantly, and the impact was felt by Germany in the form of increase in cost of sales.
- xx. The red-sea crisis beginning from October 2023 has led to increase in the freight cost in the period of investigation, which resulted in further increase in import prices from Germany in the period of investigation.
- xxi. The cost of export sales during the POI is *** EUR per MT and its export price during the POI is *** EUR per MT. This shows that export price of Covestro to India is fair and at arm's length.
- xxii. The export price of Covestro continues to remain high in the post-period of investigation period as well.
- xxiii. The import price from Covestro Deutschland AG from Germany was higher than import price from Covestro China in 2022-23, period of investigation and also in the post period of investigation period. It would be irrational for the Respondents to maintain such high price artificially for elongated period and incur higher customs duty liability upon imports into India.
- xxiv. The claim that Anti-dumping Rules permits modification and enhancement of duty in a sunset review is incorrect and there can only be two outcomes of the investigation, which is either termination or continuation.

F.2 Submission by the domestic industry

29. The domestic industry has made the following submissions.

- i. The dumping of subject countries continued. The dumping margin in the present investigation is higher than the dumping margin determined in the original investigation.
- ii. If dumping margin is determined as per the price at which the related entities have sold in the Indian market, the dumping margin will be far higher.
- iii. The claim that the exported product of Covestro Deutschland AG to Covestro (India) Private Limited has not been resold the product in the Indian market must be established by putting evidence in place.
- iv. For Borsod, the import price is not the real price at which the imported product has been sold in the domestic market, and the import volume and price has significantly fluctuated in the period of investigation.
- v. All the exporters in the subject countries have related importers, which then sell the subject goods in the domestic market. Based on interactions with the customers, the domestic industry is aware that the subject good in the Indian market is being sold by these related entities at price which is significantly below the price reported to customs. These related entities are selling the product at huge losses.
- vi. The import price declared to customs is not the real price at which the product is being sold in the domestic market.
- vii. The domestic industry is forced to sell at losses only because the related entities are selling the subject goods at materially low prices.
- viii. In the anti-dumping investigation concerning the imports of the same product from China PR, Japan and Korea RP, the Authority had made observation that the related importer of Wanhua Chemical Group Co. had made sales in India at losses.
- ix. In the similar manner, the Authority in the original investigation on the product under consideration from subject countries had noted that the related importer of Sadara Chemicals had incurred losses on sales of the subject goods in India.
- x. The anti-dumping rules provide that when export price is impacted because of an association between the exporter and the importer, then export price is required to be constructed. The price at which the exporter has sold the product to a related importer cannot be considered.
- xi. The price at which Covestro Deutschland AG has sold the product to M/s Covestro (India) Private Limited cannot be considered for calculation of net export price. The resale price of the subject goods from China PR may be considered for calculation net export price.
- xii. The price at which Covestro (India) Private Limited has sold the product in the Indian market should be considered for determination of export price in respect of imports from Covestro Deutschland AG.

F.3 Examination by Authority

30. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

- i) *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
- ii) *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either: (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profit, as determined in accordance with the rules made under sub-section 6);

b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

31. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers and exporters from the subject countries, along with their related entities in India, have filed the prescribed questionnaire responses.
 - i. M/s BorsodChemZrt, Hungary, European Union
 - ii. M/s Covestro Deutschland AG, Germany, European Union
 - iii. M/s Sadara Chemical Company, Saudi Arabia
 - iv. M/s Dow Saudi Arabia Product Marketing B.V
 - v. M/s Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited
 - vi. M/s Saudi Basic Industries Corporation, Saudi Arabia (SABIC)
 - vii. M/s SABIC Asia Pacific Pvt. Ltd. (SAPPL)
32. The normal value and export prices for all the producers/exporters from the subject countries have been determined as below at para 59:

EUROPEAN UNION

- i. M/s Borsod ChemZrt
33. M/s Borsod ChemZrt (“Borsod”) is a private limited company limited by shares established under Hungarian law. It is noted from the exporter’s questionnaire response that in the domestic market, Borsod has sold to both related and unrelated customers. The information has been provided on the related party sales to unaffiliated customers. For exports to India, Borsod has sold the subject goods only to its related parties, namely, Wanhua International (India) Private Limited which has further resold the goods in the Indian market.

➤ Normal Value

34. BorsodChemZrt has submitted Exporter’s Questionnaire response furnishing the required information. Authority notes that during the POI, BorsodChemZrt, has sold ***MT of subject goods at invoice price of Euro ***/MT directly to unrelated customers in the domestic market. BorsodChemZrt, has also sold ***MT of subject goods at invoice price of Euro ***/MT through its related company, Wanhua BorsodChem Italia S.R.L., Italy. BorsodChemZrt has provided details of sales made in the domestic market to unrelated customers, details of sales made in the domestic market to its related party and details of resale price of the related party to independent customers. It is noted that domestic sales are in sufficient quantity in the domestic market.
35. In order to determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit making transactions are more than 80% then the authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value. Where the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the

determination of normal value. Based on the ordinary course of trade test, profitable sales have been taken into account for determination of normal value, since the profitable sales were less than 80%.

36. BorsodChemZrt has claimed adjustments on account of insurance, inland transportation, credit cost, packing cost and other related expenses. The Authority has allowed the adjustments as claimed after desk verification, and accordingly determined the normal value at ex-factory level. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table at para 59.

➤ **Export Price**

37. During the POI, BorsodChemZrt has exported the subject goods to its Indian related company, Wanhua International (India) Pvt Ltd, which has in turn resold the subject goods to unrelated customers in India. BorsodChemZrt and Wanhua International (India) Pvt Ltd have provided the relevant information in the requisite formats.

38. It is noted from the response submitted by the related Indian importer that the subject goods imported from BorsodChem Zrt were resold at a loss in the Indian market during the POI. Accordingly, the Authority has made appropriate adjustment for the loss incurred by the related importer to arrive at the net export. BorsodChemZrt has claimed adjustments on account of ocean freight, inland transportation, port related expenses, insurance, credit cost and packing expenses and the same have been allowed by the Authority after due verification. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table at para 59.

ii. **M/s Covestro Deutschland AG**

39. M/s. Covestro Deutschland AG (“Covestro Germany”) is a stock corporation company registered and established under German Company Laws. It is noted from the exporter’s questionnaire response that in the domestic market, Covestro Germany has sold to Covestro International SA and Covestro S.R.L. The information has been provided on the related party sales to unaffiliated customers. For exports to India, Covestro Germany has sold the subject goods only to its related parties, namely, Covestro India Private Limited’. Covestro India Private Limited has consumed the imported product for captive purpose. There are no sales to any unaffiliated party in India.

➤ **Normal Value**

40. Covestro Deutschland AG has submitted Exporter’s Questionnaire response furnishing the required information. Authority notes that during the POI, Covestro Deutschland AG, has sold the subject goods directly to unrelated customers in the domestic market and also through related entities. Covestro Deutschland AG has provided details of sales made in the domestic market to unrelated customers, details of sales made in the domestic market to its related parties and details of resale price of the related parties to independent customers. It is noted that domestic sales are in sufficient quantity in the domestic market.

41. In order to determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit making transactions are more than 80% then the authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value. Where the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Based on the ordinary course of trade test, profitable sales have been taken into account for determination of normal value, since the profitable sales were less than 80%.

42. Covestro Deutschland AG has claimed adjustments on account of insurance, transportation, credit cost and packing cost. The Authority has allowed the adjustments as claimed and verified and accordingly determined the normal value at ex-factory level. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table at para 59.

➤ **Export Price**

43. During the POI, Covestro Deutschland AG has exported the subject goods to its Indian related entity, Covestro (India) Pvt Ltd, which has consumed the subject goods to manufacture value added products in India. Covestro Deutschland AG and Covestro (India) Pvt Ltd have provided the relevant information in the requisite formats.
44. Covestro Deutschland AG has claimed adjustments on account of ocean freight, inland transportation, port related expenses, insurance, credit cost and packing expenses (wherever applicable) and the same have been allowed by the Authority after desk verification. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table at para 59.

iii. **Non- cooperating producers/exporters**

45. The normal value and export price for all other non-cooperating producers and exporters of European Union have been determined as per facts available considering the data provided by the co-operating exporters and the same is mentioned in the dumping margin table at para 59.

SAUDI ARABIA

46. In response to the initiation of the subject investigation, following producers/exporters from Saudi Arabia have responded by filing questionnaire response: -
- a.M/s Sadara Chemical Company, Saudi Arabia
 - b. M/s Dow Saudi Arabia Product Marketing B.V
 - c.M/s Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited
 - d. M/s Saudi Basic Industries Corporation, Saudi Arabia (SABIC)
 - e.SABIC Asia Pacific Pvt. Ltd. (SAPPL)
47. Dow Chemical International Private Limited ('DCIPL') has also filed the importer's questionnaire response.
48. Accordingly, the Authority has determined the normal value, export price and dumping margin in respect of various producers/exporters of the subject country as follows at para 59:

➤ **Normal value**

49. SABIC and Sadara are related companies. Sadara has a marketing agreement with SABIC, whereby SABIC sells the goods produced by Sadara in the domestic market. SABIC charges a marketing fee from Sadara for sales of the subject goods. SABIC thereafter resells the subject goods produced by Sadara to unrelated customers in the domestic market. SABIC has sold *** MT of the subject goods produced by Sadara in the domestic market.
50. To arrive at the ex-factory normal value, the Authority has deducted the inland and credit cost incurred by SADARA for sales to SABIC, and land transport, insurance, storage charges, inspection

charges, and other expenses incurred by SABIC for sales to unrelated customers in Saudi Arabia. The adjustments claimed by both Sadara and SABIC have been verified after desk verification and have been accepted wherever appropriate.

51. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine the profit-making domestic sales transactions with reference to cost of production of SADARA and SGA expenses of both Sadara and SABIC. Since less than 80% of domestic sales were profitable, the normal value is determined based on ex-factory selling price of the profitable sales only.
52. The normal value determined is provided in the dumping margin table at para 59.

➤ **Export Price**

53. Sadara has sold the subject goods to Dow Marketing and SABIC affiliated entities for exports to India under the Product Marketing and Lifting Agreements. During the POI, Sadara has sold ***MT of subject goods to Dow Marketing and the remaining *** MT of subject goods to SABIC, for exports to India.
54. During the POI, Dow Marketing has sold ***MT of subject goods to Dow Singapore at a value of ***USD. Thereafter, Dow Singapore re-sold ***MT of the subject goods to DCIPL for captive consumption at sales price of *** USD. Since Dow has sold the subject goods at loss, the export price has been computed at the sales price of Dow Singapore to India, after deducting all post sales expenses incurred by Sadara and Dow entities, namely, inland freight, port and other expenses, credit cost, ocean freight and insurance.
55. Sadara has exported *** MT of the subject goods to India through SABIC. SABIC has sold *** MT of the subject goods to SAPPL at a value of *** USD. The remaining *** MT of the subject goods sourced by Sadara were sold to an unrelated trader i.e. Radius Global DMCC for exports to India who has not participated in the investigation. Since Radius Global DMCC has not filed the questionnaire response, the Authority has considered data of Radius Global DMCC on facts available basis for present determination.
56. SAPPL resold ***MT of the subject goods to unrelated customers in India at a value of *** USD. Sales of both SABIC and SAPPL were profitable. The export price has been computed at the sales price of SAPPL to India, after deducting all post sales expenses incurred by SADARA, SABIC and SAPPL, including, inland freight, bank charges, documentation and inspection charges, insurance, credit cost, and ocean freight.
57. Based on above, the weighted export price of Sadara is determined on the basis of overall sales to India through Dow, SABIC and Radius Global DMCC, as reflected in the dumping margin table at para 59.

i. **Non- cooperating producers/exporters**

58. The normal value and export price for all other non-cooperating producers and exporters of Saudi Arabia have been determined as per facts available considering the data provided by the co-operating exporters and the same is mentioned in the dumping margin table at para 59.

Dumping margin

59. Based on normal value and export price is determined as above, the dumping margin has been determined below.

SN	Particulars	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	%	Range
A	European Union					
1	BorsodChem Zrt.,	***	***	***	***	90-100%
2	Covestro Deutschland AG	***	***	***	***	20-30%
3	Any other	***	***	***	***	110-120%
B	Saudi Arabia					
1	Sadara Chemical Company,	***	***	***	***	50-60%
2	Any other	***	***	***	***	60-70%

60. It is seen that the product has been exported to India at significantly dumped prices.

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK.**G.1. Submission of the other interested parties.**

61. The other interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link:
- Domestic industry's products cannot be lying unsold as it was running at 125-145% of the capacity. No entity would produce a product at maximum capacity with a favourable market condition and yet remain in losses.
 - The domestic industry is claiming that they are suffering from unprecedented injury and still exporting to more than 70 countries. In such scenario, the claim that it can meet even 60-80% of the domestic demand is implausible.
 - The data of the domestic industry shows that there is no volume effect, price effect or injury due to subject imports, and therefore there is no likelihood of continuation of injury.
 - The price movement of imports from subject countries is in tandem with the movement in selling price of the domestic industry.
 - All suppliers in the market, including the domestic industry and exporters from subject countries are subject to the same global price trends, which is determined based on the global supply-demand dynamics, raw material costs, and other market factors.
 - The domestic sales over the injury period have increased by 60% and the demand increased by 64%. The correlation demonstrates that the domestic industry has maintained its market position.
 - The domestic industry has demonstrated the ability to increase production and sales in line with growing market demand.
 - The subject imports have shown a 35% decrease in the market share of subject imports.

- ix. The volume of exports from Saudi Arabia have remained more or less constant historically despite the levy of anti-dumping duty.
- x. The annual reports published by the domestic industry show growth and absence of any injury and constitute a clear acknowledgment of improved performance and profitability, conditions incompatible with existence of injury.
- xi. The domestic industry has installed a new power generation system for captive use at Dahej plant which shows ongoing capital investment for operational improvements.
- xii. The annual report also reveals an extensive pattern of plant shutdown that has directly impacted production, sales, and financial performance.
- xiii. The frequency of plant shutdowns experienced by the domestic industry far exceeds the claimed industry norm. The Authority should address these unusual shutdowns while performing the non-attribution analysis.
- xiv. The Authority should also analyse that the reduced capacity of the domestic industry is as a result of the technical difficulties while analysing the growth or decline in capacity and capacity utilization during the injury analysis period.
- xv. Despite existence of anti-dumping duty on the imports from subject countries as well as from China, Japan and Korea, and a slight decrease in the prices of the primary raw material, the domestic industry still incurred heavy losses on the sale of the subject goods, which only reinforces that the losses is due to technical difficulties.
- xvi. The productivity of the domestic industry increased 18% over the injury period.
- xvii. The financial report (2021-2022 and 2022-2023) and the investor's conference call of the domestic industry shows that the plant often suffers from technical glitches which constrains production and causes financial loss to the domestic industry.
- xviii. As per the financial statement 2023-2024, the prices of toluene, a significant raw material, has decreased.
- xix. The losses incurred by the domestic industry correspond to the years in which the production plants of the domestic industry faced technical glitches.
- xx. There is significant variance between the cost of sales and profits of the domestic industry between the years 2022-2023 and the POI without a commensurate variance in the import volume for the said periods.
- xxi. It is an undisputed fact that the plant shutdowns remain a recurring challenge in the domestic production of TDI. In such circumstances, the criticality of imports to maintain supply stability becomes self-evident.
- xxii. A substantial increase in the cost of sales for 2022-23 is attributable to higher fixed costs on account of plant shutdown.
- xxiii. The losses of the domestic industry continued to increase despite there being a decrease in the volume of imports and a decrease in the price of raw materials.
- xxiv. An increase in imports is due to a demand-supply gap. Thus, injury due to the increase in imports into India can't be claimed.
- xxv. Inventory, production, capacity utilization, and sales volume of the domestic industry have increased in period of investigation as compared to 2020-2021. Whereas export sales have declined significantly.
- xxvi. The price undercutting due to imports of subject goods from the subject countries is negative.
- xxvii. The injury margin claimed by the domestic industry is exaggerated because the domestic industry has considered the landed price without adding the anti-dumping duty.
- xxviii. The market share of imports of subject goods from the EU in demand is insignificant.
- xxix. Price suppression/depression is inflated due to abnormal increase in cost of sales.

- xxx. Price suppression cannot be attributed to imports unless it is shown that the subject imports forced the domestic industry to reduce prices or prevented it from increasing prices. In the present case, the domestic industry's own price increased over most of the injury period.
- xxxi. Cost undercutting is not a factor of injury under Annexure II of the AD Rules. The AD Rules refer to volume and price effects including price undercutting and not cost undercutting.
- xxxii. The increase in cost of sales is abnormal since the increase in raw material price for Toluene has a limited impact on the overall cost of sales. Toluene accounts for ***% of the total production cost.
- xxxiii. The Authority should conduct a detailed comparison of raw material costs, including Toluene, and other manufacturing expenses over the period of investigation and the preceding injury analysis period.
- xxxiv. The capacity of the domestic industry should be taken as per annual report and not as per the pollution control board certificate.
- xxxv. The domestic industry has projected ***% as increase in price of toluene, whereas in reality the increase in price of toluene has been ***%.
- xxxvi. Dahej plant of the domestic industry is defective which has caused frequent shutdown. No such frequent shutdown for prolonged periods is ever witnessed at Bharuch plant which is an old plant. This can also be evidenced from the gas leak instances of 2014, 2016 and 2018.
- xxxvii. For fair comparison, the Authority should compare the landed value of imports with the cost of sales for Bharuch plant of the domestic industry.
- xxxviii. 80% of the product under consideration exported by Sadara was consumed by DCIPL for production of downstream products. Thus, does not impact the domestic industry. The Authority should undertake analysis after deducting the product under consideration for captive consumption.
- xxxix. The fertiliser segment of the company is incurring massive losses. Thus, domestic industry's ability to make capital investments is not impacted at all or impacted by the losses incurred in the fertilizer segment.
- xl. The domestic industry does not manufacture ODCB-free TDI, which is essential for REACH-compliant exports to Europe. Thus, levy of duty is disadvantageous as domestic industry is not supplying the technical grades required by end-users.
- xli. The domestic industry contradicts its previous claim by stating that plant shutdown is carried out after every 2-3 years. In the application, it has been claimed that plant shutdowns are carried out every 3-4 years by all producers globally.
- xlii. The imports prices of product under consideration from China PR is dictated by minus/market minus method whereas the imports prices from Germany are determined based on cost plus method. Thus, there cannot be an apple-to-apple comparison between the import prices from China PR and Germany.
- xliii. The exported product, TDI- T80, by Covestro Deutschalnd AG is captively used by Covestro India. These imports cannot displace domestic industry's sale.
- xliv. The Authority should undertake the volume and price analysis after deducting TDI import volume consumed directly by DCIPL for self-consumption.

G.2. Submission of the domestic industry

- 62. The domestic industry has made the following submissions with regard to injury and causal link:
 - i. TDI industry is highly concentrated with only a few selected groups of companies leading every regional capacity distribution of TDI.
 - ii. The select few leading manufacturers of TDI are Wanhua Group, China, which is BorsodChemZrt in European Union, Covestro Group in China and European Union, Sadara Chemical Company in Saudi Arabia.

- iii. The plants by these manufacturers have been set up in different zones only to counter the locational disadvantages.
- iv. All the exporters in the subject countries have related entities in India. Therefore, the import price reported to the Custom in India is not the true reflection of the price at which these exporters are ultimately selling to the unaffiliated customers in India.
- v. The dumping of the product under consideration has continued even after imposition of duty. This dumping margin is as per the import price declared to the custom. The dumping margin will be much higher if determined at the price on which related parties sell in the domestic market.
- vi. Though the imports from subject countries increased from base year with only exception is the year 2021-2022, when the imports decreased substantially. However, the domestic industry is not claiming volume injury.
- vii. The selling price has not increased at the same pace as cost of sales of the domestic industry. This shows that the selling price of the domestic industry is suppressed.
- viii. The import price is consistently below the cost of sales of the domestic industry.
- ix. The gap between the landed price of imports and the cost of sales of the domestic industry was highest in 2021-22 and 2022-23 and the domestic industry suffered volume injury.
- x. The price undercutting remained marginally positive. However, this is not the real price undercutting because of the presence of related party in India and significant fluctuation in the import volume and price in the period of investigation.
- xi. Production and domestic sales of the domestic industry have increased in the period of investigation. The domestic industry is not claiming volume injury by continued dumping.
- xii. The domestic industry has in the present case met ***% of the demand and the domestic industry at ***% capacity utilisation could have produced and sold upto ***% of the demand.
- xiii. Even when the losses increased, the domestic industry increased production with a view to reduce fixed cost per unit.
- xiv. The profitability has declined consistently over the injury period. The losses were highest in 2022- 2023.
- xv. The total losses suffered by the domestic industry in the three years of the injury period are more than Rs [***] crores which is almost half of the capital employed in the business.
- xvi. The domestic industry recorded positive profit before interest, cash profit and a positive return on capital employed in the base year. However, these parameters declined thereafter.
- xvii. The market share of the applicant has improved but at the cost of significant profitability decline.
- xviii. The average inventory was highest in the period of investigation.
- xix. The domestic industry is the sole producer in India. The performance of the product is very poor. The domestic industry is not in a position to raise capital for capacity expansion.
- xx. On the submission that the user industry is forced to import due to shut down, the domestic industry operates two TDI plants and maintains inventories to ensure consistent supply, even during maintenance shutdowns.
- xxi. Some shutdowns occurred due to dumping, forcing the domestic industry to suspend production. This highlights the injury suffered by the domestic industry due to dumped imports.
- xxii. The shifting of dumping from one source to another has not allowed the domestic industry a chance to operate for a reasonably long period with reasonable profits.
- xxiii. The interested parties argued that the prices of toluene decreased. However, the price of major raw materials and utilities has in fact increased 2022-2023. Thus, the increase in the cost of production in the same year.

- xxiv. On the submission of the interested parties that the capacity of the domestic industry should be taken as per annual report, the domestic industry has consistently produced at level higher than the production capacity reported in the annual report.
- xxv. The Panel in European Communities – Anti-dumping duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil [DS 219] held that even if imports from other countries may have contributed to material injury to the domestic industry, such imports are not such to have broken the causal link between dumping and injury.
- xxvi. On the submission of the interested parties that the annual report of the domestic industry shows long-term investments plan and therefore, it cannot be considered that the domestic industry is injured, the interested parties have relied on the performance of the chemical segment as a whole. The domestic industry produces more than 15 chemical products.
- xxvii. Even in the event of low volumes of imports reported during the period of investigation of a sunset review, there are number of instances when Indian Authority and foreign Authority have continued the anti-dumping duty.
- xxviii. On the submission of the interested parties that the domestic industry has not undertaken capacity expansion, the lack of capacity expansion cannot be construed as a lack of intent or inefficiency on the part of the domestic industry, but rather as a direct consequence of the injurious effects caused by dumped imports.
- xxix. On the submission of the interested parties that the injury to the domestic industry is skewed as the domestic industry has not added the anti-dumping duty on the landed value of the imports, the Injury margin calculation is never considered after adding with anti-dumping duty.
- xxx. On the submission of the interested parties that the import data submitted by domestic industry is unreliable, the Authority may call upon the import data from DGCI&S or DG Systems and rely on the same for the examination of volume and value of imports.

G.3. Examination by the Authority

- 63. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles...*”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.
- 64. The Authority has taken note of the various submissions made by the domestic industry and other interested parties on injury and causal link and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis carried out by the Authority *ipso facto* addresses submissions made by the domestic industry and other interested parties.
- 65. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority has examined the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury.

66. With regards to submissions made by other interested parties about injury not being suffered by the domestic industry, it is noted that it is not necessary that all parameters of injury should show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority considers all injury parameters before concluding whether the domestic industry has suffered injury due to dumping or not. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties.
67. The other interested parties submitted that domestic industry has exported to more than 70 countries and due to this it is impossible that domestic industry can meet 60-80% of the demand. The Authority notes that it has examined the injury only for the domestic operations.
68. As regards the submission of other interested parties regarding recurring plant shutdown of the domestic industry, the Authority notes the submission of the domestic industry that the plant shutdown is a regular and global occurrence for TDI plants owing to the complex nature of the production process and use of hazardous chemicals and gases. The plant globally also undergoes similar shutdowns to ensure smooth functioning of the plant. The domestic industry has provided shutdown details and it is seen that in some of the years the shutdown was taken due to adverse market conditions as well. The domestic industry has not claimed volume injury and the production reported in the period of investigation is the highest when seen over the injury period. The continuous increase in production contradicts the claims of the other interested parties that the recurring shutdown in the plant is a cause of injury to the domestic industry. Therefore, a decline in the performance in the period of investigation cannot be attributed to the plant shutdown.
69. As regards the submission of other interested parties on the difference in the capacity reported in the pollution control board and the capacity reported in the annual reports, the Authority, on analysis of the monthly production of the domestic industry, notes that the domestic industry has produced more than the name plate capacity mentioned in the annual report which shows that domestic industry can produce at higher level. The Authority has considered the same capacities in the previous investigations as well.
70. As regards the submission of the interested parties that the toluene prices have declined, the Authority has examined the cost of production of the domestic industry. It is seen that while the Toluene prices increased till 2022-23 it has declined marginally in the period of investigation.

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Toluene Cost	Rs/MT	***	***	***	***
2	Concentrated Nitric Acid Price	Rs/MT	***	***	***	***
3	Natural Gas Cost	Rs/MT	***	***	***	***

71. As regards the submission of interested parties that the landed value of the imports should be compared with the cost of sales for the Bharuch plant as the Dahej plant of the domestic industry is inefficient, the Authority notes that the contention of the interested parties is contrary to the law and therefore cannot be accepted. There is no basis to compare the cost of production of only one plant with the landed price of imports. The Authority has found from the response of the producers that exports to India are at dumped prices. The injurious effect of the dumped imports is required to be examined on the operations of the domestic industry. Since the domestic industry in the present case has two plants, the injury analysis has been conducted after comparing the cost of production of both

the plants. However, in view of these submissions made, the Authority has compared the cost of sales of Bharuch plant with the landed price which is shown below.

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Cost of sales for Bharuch Plant	₹/MT	***	***	***	***
2	Landed Value	₹/MT	***	***	***	***
3	Difference	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	-100	-223	-529	-425

72. It is seen that the landed value of the imported product has been consistently below the cost of sales of the product under consideration even when compared with the cost of sales for the Bharuch plant.
73. With regard to the submission that the injury analysis should be undertaken after excluding the captive imports of DCIPL, the Authority notes that there is no basis for the submission. The injury analysis is required to be undertaken considering all imports into India irrespective where they are consumed irrespective of source.
74. With regard to the submission of the interested parties that anti-dumping duty should be added in the landed price of the imports for calculation of injury margin, the Authority notes that there is no basis for the above submission. The purpose of the injury margin is to examine if an anti-dumping duty lower than dumping would be sufficient to address the injury suffered by the industry. The calculation of injury margin has been undertaken as per the consistent practice which is after including only the basic customs duty on the CIF import price.
75. The Authority has also examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

G.3.1. Volume effect of the dumped imports

a. Assessment of demand/consumption

76. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry, and imports of TDI from all sources.

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
1	Sales of the domestic industry	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	117	121	160
2	Subject countries import	MT	15,769	10,889	10,781	13,379
3	Import from other countries attracting anti-dumping duties	MT	17,318	26,413	38,965	43,674
4	Import from other countries	MT	1,453	4,562	4,770	722
5	Total demand	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	119	138	164

77. It is seen that as compared to 2020-2021, the demand for the product increased in 2021-22, which further increased in 2022-23 and in the period of investigation. The demand has continuously increased over the injury period.

b. Imports in absolute and relative terms

78. The information on volume of imports in absolute terms and relative terms over the injury period and in the period of investigation is as below.

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Subject countries	MT	15,749	10,889	10,781	13,379
i	European Union	MT	11,609	8,249	5,155	7,742
ii	Saudi Arabia	MT	4,140	2,640	5,625	5,636
2	Import from other countries attracting anti-dumping duties	MT	17,318	26,413	38,965	43,674
3	Other Countries	MT	1,473	4,562	4,770	721
4	Total	MT	34,539	41,864	54,515	57,774
5	Subject imports in relation to:					
i	Indian production	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	76	71	72
ii	Demand	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	58	50	52
iii	Total Imports	%	46%	26%	20%	23%

79. It is seen that:

- The volume of subject imports from subject countries declined till 2022-23. The imports increased in period of investigation.
- The imports from other countries attracting anti-dumping duty have consistently increased over the injury period.
- The imports from subject countries have also declined in relation to Indian production, Indian demand and total imports.
- The Authority notes that the domestic industry has not claimed injury in the present investigation on account of volume effect.

G.3.2. Price effect of dumped imports

80. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a. Price undercutting

81. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the imports for the period of investigation. The table below shows the price undercutting from the subject countries.

SN	Particulars	UOM	European Union	Saudi Arabia	Subject Countries as Whole
1	Net sales realisation	Rs/MT	***	***	***
2	Landed price	Rs/MT	***	***	***
3	Price undercutting	Rs/MT	***	***	***
4	Price undercutting	%	***	***	***
5	Price undercutting	Range	Negative	20-30%	0-10%

SN	Particulars	UOM	BorsodChem Zrt.,	Covestro Deutschland AG	Sadara Chemical Company,
1	Net sales realisation	Rs/MT	***	***	***
2	Landed price	Rs/MT	***	***	***
3	Price undercutting	Rs/MT	***	***	***
4	Price undercutting	%	***	***	***
5	Price undercutting	Range	10-20%	Negative	20-30%

82. It is seen that the weighted average price undercutting is marginally positive. It is also seen that the landed price of imports is below the cost of sales of the domestic industry and the domestic industry has sold at significant financial losses. The Authority also notes that the present investigation has shown that the related importer of the one of the participating producers of the product under consideration in India has sold the product at losses.

b. Price suppression / depression

83. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, are compared as below.

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
	Change	₹/MT		***	***	***
	Trend	Index	100	149	197	139
2	Net Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
	Change	₹/MT		***	***	***
	Trend	Index	100	122	141	110

84. It is seen that in the year 2021-2022, the cost of sales of the domestic industry increased by Rs [***] per MT, the selling price has increased by Rs [***] per MT. The domestic industry suffered losses. The cost of sales has further increased in 2022-23 by Rs [***] per MT but the selling price increased only by Rs [***] per MT. The losses increased in the year. The rate of increase in selling price is at lower rate of increase in cost sales of the domestic industry.
85. In the period of investigation, the cost of sales has declined in the period of investigation by Rs [***] per MT, the selling price has declined by Rs [***] per MT. While the decline in the cost of sales was more than the decline in the selling price, the domestic industry continued to suffer losses.

86. Over the injury period, the rate of increase in selling price Rs [***] per MT is much lower than the increase in cost of sales Rs [***] per MT. Therefore, the selling price of the domestic industry are suppressed.
87. The table below shows the landed price of imports, selling price and cost of sales of the domestic industry in the period of investigation.

SN	Particulars	UOM	POI
1	Cost of sales of domestic industry	₹/MT	***
2	Selling price of domestic industry	₹/MT	***
3	Landed price of imports	₹/MT	***

88. It is seen that the landed price of imports is below the cost of sales of the domestic industry in the period of investigation.
89. On the basis of above analysis, it is noted that the dumped imports have prevented the domestic industry from increasing its prices in line with the changes in the costs. Therefore, the dumped imports have suppressed the prices of the domestic industry.

G.3.4. Impact on economic parameters of the domestic industry

90. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a. Capacity, production, capacity utilization and domestic sales

91. Information on capacity, production, capacity utilization and domestic sales over injury period is as follows:

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
1	Installed capacity	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	100	100	100
2	Capacity utilization	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	91	96	117
3	Production	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	92	96	118
4	Domestic Sales	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	117	121	160

92. It is seen that: -

- a. The capacity of the domestic industry has remained the same over the injury period.
- b. The capacity utilization of the domestic industry declined in 2021-22, but increased in 2022-23 and increased again in the period of investigation. The domestic industry has submitted that capacity utilization was at an optimum level during the period of investigation. When seen over the injury period, the capacity utilisation of the domestic industry has increased.
- c. The production of the domestic industry declined in 2021-2022, but increased in 2022-2023, and increased again in the period of investigation. When seen over the injury period, the production of the domestic industry has increased.
- d. The domestic sales of the domestic industry have increased during the entire injury period.
- e. The domestic industry has claimed that the increase in domestic sales in the injury period was attributable to the fact that the domestic industry had sold at losses. The domestic industry also claimed that an increase in production was done to recover the fixed costs.
- f. The Authority also notes that the domestic industry has not claimed volume injury.

b. Market share

93. Information on market share of imports and the domestic industry over the period was as follows:

SN	Market share of	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
1	Domestic industry	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	98	88	98
3	Share of subject countries imports	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	58	50	52
3	Imports from other countries attracting duty	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	128	163	154
4	Share of other countries imports	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	260	235	30

94. It is seen that: -

- a. The market share of the domestic industry remained similar in the entire injury period except in 2022-2023, when the share of the domestic industry declined.
- b. The market share of imports from the subject countries has declined till 2022-23 and recorded marginal increase in the period of investigation.
- c. The market share of imports from the non-subject countries attracting duties have increased in 2021-2022, increased further in 2022-2023 and declined in period of investigation. However, the share in the period of investigation remained higher than the base year.
- d. The Authority notes that the domestic industry has not claimed volume injury.

c. Profitability, cash profits and return on investment

95. Information on profitability, return on investment and cash profits is as follows:

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
1	Profit/(Loss)	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	-1,075	-2,318	- 1,148
2	Profit/ (loss)	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	-1,259	-2,809	-1,843

3	PBIT	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	-923	-1,990	-981
4	Profit before interest and tax	₹ Lakhs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	-1,081	-2,411	-1,575
5	Cash Profit	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	-44	-208	-74
6	Cash Profit	₹ Lakhs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	-51	-252	-119
7	ROCE	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	-1,071	-2,537	-1,633

96. The domestic industry was in profits in 2020-21. The profits turned into losses in 2021-22. The losses increased in 2022-23 but declined in the period of investigation. Even when losses declined in POI, the same were still higher than 2021-22.

97. The domestic industry has earned profit before tax, cash profit and a positive return on capital employed in the base year. Thereafter, the domestic industry incurred losses even before interest and depreciation. The profit before interest and cash profit are negative in the period of investigation. The return on capital employed of the domestic industry is significantly negative in the period of investigation.

d. Inventories

98. Information on inventories is as follows:

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
1	Opening inventory	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	526	392	625
2	Closing inventory	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	74	119	111
3	Average inventory	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	147	162	193

99. It is seen that the average inventory of the domestic industry has increased over the injury period.

e. Employment, wages and productivity

100. Information on employment, wages and productivity over the injury period is as under:

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
1	No of employees	Nos	***	***	***	***
	Trend	Index	100	98	95	90
2	Salary & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	105	110	124
3	Productivity per day	MT/Days	***	***	***	***
	Trend	Index	100	92	96	118
4	Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***

	Trend	Index	100	93	101	131
--	-------	-------	-----	----	-----	-----

101. The productivity of the domestic industry has moved in line with production. While wages paid have increased, number of employees has declined.

f. Growth

102. The information on growth is provided below: -

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	POI
1	Capacity	Y/Y	0%	0%	0%
2	Production	Y/Y	-8%	5%	23%
3	Sales	Y/Y	17%	3%	32%
4	Market share	Y/Y	0%	-18%	20%
5	Profit/loss	Y/Y	-1359%	-123%	34%
6	Cash profit	Y/Y	-151%	-389%	53%
7	ROCE	Y/Y	-1171%	-137%	36%

103. The growth of the domestic industry during the period of investigation and preceding year has been negative on various price parameters as compared to earlier years.

g. Ability to raise capital investment

104. It is seen that there is demand and supply gap in the country. It is also noted that the profitability and return on capital employed of the domestic industry has declined. The domestic industry was earning losses during the period of investigation as well as in the preceding injury analysis period. Therefore, the ability to raise capital investment has been impacted which has prevented the domestic industry from expanding its capacity. It is also seen that despite the imports of the product attracting measures, no other producer has invested in the product.

h. Factors affecting domestic prices

105. Examination of import price shows that the import price from the subject countries is below the cost of sales of the domestic industry. As imports from the subject countries continue at dumped prices, the domestic industry has been unable to align its prices in line with the changes in the cost of sales. The fact that the imports are entering Indian market below the selling price of the domestic industry and the domestic industry has suffered significant decline in the profitability itself establishes the adverse impact of the continued dumped imports. Therefore, the imports from the subject countries have affected the prices of the domestic industry.

i. Margin of dumping

106. It is seen that there is continued dumping of the subject goods in India from European Union and Saudi Arabia.

j. Conclusions on injury

107. Based on the above analysis, the Authority concludes as follows
- The volume of subject imports from subject countries declined till 2022-23 but increased in period of investigation.
 - The imports from subject countries have also declined in relation to Indian production, Indian demand and total imports.

- c. The domestic industry has not claimed volume injury in the present investigation in the form of possible adverse effects of imports on production, sales, capacity utilization, market share of the domestic industry.
- d. Weighted average price undercutting determining on the basis of CIF import prices is marginally positive. However, it is seen that the related importer of the one of the participating producers of the product under consideration has sold the product at losses in Indian market.
- e. The landed price of imports is below the cost of sales of the domestic industry.
- f. Dumped imports have prevented the domestic industry from increasing its prices in line with the changes in the costs. The dumped imports have suppressed the prices of the domestic industry.
- g. The domestic industry has sold the product at significant financial losses.
- h. The capacity utilisation of the domestic industry has increased. The domestic industry has submitted that capacity utilization was at an optimum level during the period of investigation.
- i. The production and domestic sales of the domestic industry has increased over the injury period. The increase in domestic sales in the injury period was attributable to the fact that the domestic industry had sold at losses. The Authority also notes that the domestic industry has not claimed volume injury as the impact of dumped imports on the domestic industry.
- j. The market share of imports from the subject countries has declined till 2022-23 and recorded marginal increase in the period of investigation.
- k. The market share of imports from the non-subject countries attracting duties have increased in 2021-2022, increased further in 2022-2023 and declined in period of investigation.
- l. The domestic industry was in profits in 2020-21. The profits turned into losses in 2021-22. The losses increased in 2022-23 but declined in the period of investigation. Even when losses declined in POI, the same were still higher than 2021-22. Further, the domestic industry has suffered financial losses in the most of the injury period.
- m. The profit before interest, cash profit and return on capital employed of the domestic industry is significantly negative in the period of investigation
- n. Average inventory of the domestic industry has increased over the injury period.
- o. The growth of the domestic industry during the period of investigation and preceding year has been negative on various price parameters compared to earlier years.
- p. The fact that the imports are entering Indian market below the cost of the domestic industry and the domestic industry has suffered significant decline in the profitability itself establishes the adverse impact of the continued dumped imports on the domestic industry.
- q. There is continued dumping of the subject goods in India from European Union and Saudi Arabia.

108. The Authority notes that in view of the continued and intensified dumping of the product, the domestic industry has suffered continued injury.

H. LIKLIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY

H.1. Submissions made by other interested parties

109. The other interested parties have made the following submissions with regard to likelihood:

- i. The Authority should not assess the likelihood of injury by cumulating imports from the EU and Saudi Arabia, and imports need to be assessed separately, in the same way as it treated Chinese Taipei and the UAE at the initiation stage.

- ii. Imports from European Union have remained stable, and the import price from subject countries (CIF) increased consistently.
- iii. Imports from the EU will continue to be at a high price since imports into India would be necessary due to the demand-supply gap, and there is no incentive for exporters to reduce export prices to India.
- iv. The domestic sales, export sales to other countries and captive consumption of subject goods for the exporters from European Union constitutes more than 98% and exports to India account for less than 2% of the total sales during the period of investigation. This indicates that exporters have no intention to increase exports to Indian market.
- v. The share of imports of other countries attracting anti-dumping duty has increased, whereas the share of imports of subject goods from the EU has declined.
- vi. The domestic industry has not provided any substantive information regarding the likelihood of an increase in imports or the likelihood of injury.
- vii. There is no increase in capacity by the exporters during the injury investigation period.
- viii. Exporters do not have substantial surplus capacity to increase production of subject goods for exporting to India if the anti-dumping duty expires.
- ix. Exporters have substantial sales in the domestic market and other countries. Exporters also uses the product for captive consumption.
- x. The volume of imports from subject countries increased marginally in comparison to the demand. Whereas imports from non-subject countries have increased at a pace that surpasses both the demand as well as sales volume expansion of the domestic industry.
- xi. The imports from subject countries have declined in relation to Indian production, demand as well as overall imports.
- xii. The claim that there are excessive production capacities in subject countries is incorrect.
- xiii. The authority must determine the accuracy of the claims regarding global capacity and demand of the Product under consideration.
- xiv. The global capacity is not relevant for the purpose of determining likelihood of dumping and injury to the domestic industry.
- xv. Termination of duty after five years of imposition is a rule and extension is an exception.
- xvi. The contention of the domestic industry that the enhancement of duty is warranted on the ground of increase in cost and price of the product is incorrect. The enhancement duty shall be based on an increase in injury margin.
- xvii. The data on record does not support an increased quantum of duty. The injury margin is negative for at least one major exporter from European Union, and no present or future injury has been demonstrated in relation to the subject imports.
- xviii. The claim that Anti-dumping Rules permits modification and enhancement of duty in a sunset review is incorrect and there can only be two outcomes of the investigation, which is either termination or continuation.
- xix. The product under consideration is limited to TDI with isomer content of 80:20, the Authority should not account the overall production capacity of TDI for likelihood analysis.
- xx. Third country export data is not conclusive for likelihood analysis. In case third country export data is relevant for likelihood analysis, Sadara undertakes to furnish the same as and when sought by the Authority.

H.2. Submission made by the domestic industry

110. The domestic industry has made the following submissions with regard to likelihood:

- i. The issue of cumulative assessment of the impact of imports from subject countries has already been settled in the original investigation and thus, may not require re-examination. In addition,

- barring mere statements, no reason has been provided as to justify why cumulation is not warranted.
- ii. Despite measures in force, the imports subject countries are coming at dumped prices severely displacing the profitability of the domestic industry.
 - iii. The losses incurred by the domestic industry is reflective of the fact that the injury is continued despite duty in force.
 - iv. TDI global capacity is around 3510 KT whereas the global demand is only around 2400-2500 KT.
 - v. The producers globally have set up huge capacities, which is far more than the demand and further capacity expansions are taking place. Therefore, there is always significant competition with respect to prices.
 - vi. Capacity in European Union is around 700-800 KT and accounts for 25% of the global TDI capacity. Sadara Chemical has a capacity of around 200 KT. The demand in these countries is far lower than the capacities set up.
 - vii. The demand in European union has seen a consistent decline and the producers in the subject countries are operating at idle capacities.
 - viii. The continuous decrease in demand can be evidenced from the decrease in domestic sale of the participating exporter, Borsod ChemZRT as well as Covestro Deutschland AG, as reported in the Appendix 1 of the Exporter Questionnaire Response.
 - ix. Covestro India Pvt., Ltd. though has not resold the goods produced by Covestro Deutschland AG but nothing prevents the importer from reselling the product in the Indian market in future.
 - x. Covestro Deutschland AG has artificially increased the price of the product under consideration during the period of investigation.
 - xi. Sadara, the major exporter from Saudi Arabia, has not provided third country exports.
 - xii. Continued dumping from the subject countries establishes the need for continued imposition of anti-dumping duty.
 - xiii. On the submission of the interested parties that imports from other countries have increased, the injury is admittedly also due to the imports from China and Korea. However, the Authority is required to consider whether dumped imports from subject countries are likely to cause injury in case of cessation of anti-dumping duty.
 - xiv. Sadara Chemical Company has also not provided information on exports to third countries in its Part II of the exporter questionnaire response.
 - xv. The import price of Covestro Deutschland Ag has been consistently below the import price from Borsodchem Zrt. It was only in the period of investigation that Covestro Deutschland Ag has artificially increased its prices.
 - xvi. Covestro Deutschland AG and Covestro Polymers (China) Co., Limited are part of the same group and therefore, their prices should move in tandem. A comparison between the prices of Covestro Deutschland AG and Covestro China clearly indicates that Covestro Deutschland AG's prices are higher. Covestro India Pvt. Ltd. procured the product for captive consumption. Given this, Covestro India Pvt. Ltd. could have sourced the product from Covestro China at a lower cost.
 - xvii. It is evident that the import price from Covestro Deutschland AG has been artificially inflated. The producer was likely aware of the impending sunset review and accordingly raised prices.
 - xviii. While in the period investigation Covestro India Pvt. Ltd. has not resold, the goods produced by Covestro Deutschland AG, nothing prevents the importer from reselling the product in the Indian market. The importer was infact reselling the product in the Indian market in the original investigation

H.3. Examination by the Authority

111. The present investigation is a sunset review of duties imposed on the imports of the product under consideration from European Union and Saudi Arabia. Under the Rules, the Authority is required to determine whether cessation of existing duty is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
112. The argument of the interested parties regarding the modification or change in form of duty was considered. The Authority in the past investigations, after looking at the facts and circumstances, has continued or enhanced the duty as well changed the form of the duty.
113. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A (5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure - II (vii) of the Rule, and other relevant factors brought on record by the interested parties.
114. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, *inter alia* for factors which are required to be taken into consideration, viz.
- a. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.
 - b. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.
 - c. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices and would likely increase demand for further imports; and
 - d. Inventories of the article are being investigated.
115. The Authority has, *inter alia*, considered the above requirements and following parameters in order to determine whether dumping is likely in the event of cessation of anti-dumping duty, and if so, whether the same is likely to cause injury to the domestic industry in case of cessation of anti-dumping duty. Additionally, the Authority has examined all the relevant information brought on record by the domestic industry and the other interested parties.

a. Imports from subject countries

116. The table below shows the information regarding imports from the subject countries.

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
1	Subject countries import	MT	15,749	10,889	10,781	13,379
	Saudi Arabia	MT	11,609	8,249	5,155	7,742
	European Union	MT	4,140	2,640	5,625	5,636
2	Imports from countries attracting duties	MT	17,318	26,413	38,965	43,674
	China	MT	7,878	8,253	16,007	18,774
	Japan	MT	3,900	5,620	8,558	18,280
	South Korea	MT	5,540	12,540	14,400	6,620

117. It is seen that the volume of imports from the subject countries declined first, but then increased.

b. Freely disposable capacity

118. The tables below show the information regarding capacity and production of the participating producers from Saudi Arabia and European Union.

SN	Particulars	UOM	Borsod	Covestro	Sadara	Total
1	Capacity	MT	***	***	***	***
2	Production	MT	***	***	***	***
3	Idle capacity	MT	***	***	***	***
4	Idle capacity	%	***	***	***	***
5	Idle capacity	Range	10-20%	30-40%	10-20%	20-30%

119. It is seen that the producers in the subject countries are operating with significantly high idle capacities. The idle capacities for Borsod and Sadara are in the range of 0-20% whereas it is in the range of 30-40% in case of Covestro. The idle capacity of Covestro alone is almost equal to the demand in the country.

c. Export orientation of the producers in the subject countries

120. The table below shows the information on the production and exports of the participating producers from Saudi Arabia and European Union.

SN	Particulars	UOM	Borsod	Covestro	Sadara	Total
1	Production	MT	***	***	***	***
2	Exports total	MT	***	***	***	***
3	Export orientation	%	***	***	***	***
4	Export orientation	Range	35-45%	35-45%	75-85%	45-55%

121. It is seen that a significant share of production has been used for export purposes. This shows that the producers in the subject country have set up capacities which are far higher than domestic demand and are utilizing these capacities for export purposes. On cumulative basis, more than 50% of the production of the three producers is for export purposes, with some countries such as Saudi holding very high export orientation.

d. Business nature of the participating producers

122. The domestic industry has contended that prior to 2017-18, India was not an important market for the producers in the subject countries because imports were taking place largely from China and Korea. After imposition of measures, the Chinese producers changed their operations and started exporting the product from the European market. The Chinese imports declined and the imports from Europe increased. As the measures were imposed on European imports, the Chinese producers again shifted back to their Chinese plants for catering the demand in the Indian market.

123. The Authority has examined the information. It is seen that both the participating producers from European Union have related entities in China who are involved in the production of the subject goods. The imports of the related entities are at present subject to anti-dumping measures. The total import volume of the group as per DG System is produced below.

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
A	Covestro Group	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	73	113	133
1	China	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	119	243	295
2	European Union	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	41	23	23
B	Wanhua	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	121	111	160
1	China	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	61	115	111
2	European Union	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	163	109	194

124. It is seen that the exports of Covestro Group from Europe have declined while that of exports from China has increased. Covestro India Private Limited, the related entity in India, has imported from both sources. While the related entity has captively consumed the product imported from European Union, the product imported from China has been resold in the domestic market. The Authority notes that in the original investigation, it was found that Covestro India Private Limited was involved in trading of the product from European Union as well.

125. Similarly, it is also seen that Borsod Chem has a related entity in China, Wanhua Chemicals which is engaged in the production of the product under consideration. Wanhua International (India) Pvt Ltd. is the related entity in India and imported from both sources. The related entity has imported from both sources and has resold the product in the Indian market to unaffiliated customers. It is seen that the imports from both the sources have seen an increase.

e. Depressing or suppressing effect of imports on domestic prices

126. The table below shows a comparison between the import price and the cost of sales of the domestic industry.

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
1	Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	149	197	139
2	Landed price from subject countries	₹/MT	1,27,147	1,70,403	2,13,794	1,78,752
	Trends	Indexed	100	134	168	141

127. It can be seen that the cost of sales of the domestic industry has been continuously higher than the landed price during the injury period. The imports are entering the Indian market at a price which is below the cost of sales of the domestic industry. When the imports are priced below the cost of sales of the domestic industry, it is evident that they are likely to have a suppressing or depressing impact on the prices of the domestic industry.

f. Third country prices attractiveness

128. The Authority has examined the information with regard to exports to third countries, as provided by the participating producers. The exports to related entities have not been considered for the purpose of the below analysis.

Name of producer	Particulars	UOM	Below price in India	Dumped price	Injurious price	Total exports
Borsod Chem Zrt	Export volume	MT	***	***	***	***
	Share of exports	%	0-10%	90-100%	90-100%	
Covestro Polymers	Export volume	MT	***	***	***	***
	Share of exports	%	90-100%	90-100%	85-95%	
Sadara Chemical	Export volume	MT	***	***	***	***
	Share of exports	%	0-10%	90-100%	90-100%	

129. It is seen from the above that more than 90% exports made by each of the participating exporters, to third countries are priced below the normal value and the non-injurious price. Further, on comparison of export price to third countries with the export price to India, it would be seen that less than 1% exports by Borsod Chem Zrt and only 7% of exports by Sadara Chemical are priced below the export price to India. This shows that the export price to India is significantly low, implying that the exporters are selectively exporting the goods to India at low prices. The Authority also notes that in case of Covestro Polymers, more than 90% exports to other countries are priced below export price to India showing the likelihood of significant increase in the exports to India in an event of expiry of measures.

g. Conclusions on likelihood of further injury

130. Based on the above analysis, the Authority concludes as follows

- The idle capacities for Borsod and Sadara are in the range of 0-20% whereas it is in the range of 30-40% in case of Covestro. These ideal capacities for Borsod are 1/3rd of demand in India, for Sadara 1/4th of demand in India and for Covestro more than the demand in India. Producers in the subject countries are operating with significantly high idle capacities.
- On cumulative basis, more than 50% of the production of the three producers is for export purposes, with some countries such as Saudi holding very high export orientation. Producers in the subject country have set up capacities which are far higher than domestic demand and are utilizing these capacities for export purposes.
- Exports of Covestro Group from Europe have declined while that of exports from China has increased. While the Covestro India Private Limited, has captively consumed the product imported from European Union, the product imported from China has been resold in the domestic market. The Authority notes that in the original investigation, it was found that Covestro India Private Limited was involved in trading of the product from European Union as well.
- Borsod Chem has a related entity in China, Wanhua Chemicals which is engaged in the production of the product under consideration. Wanhua International (India) Pvt Ltd. is the related entity in India and imported from both sources. The related entity has imported from both sources and has resold the product in the Indian market to unaffiliated customers. It is seen that the imports from both the sources have seen an increase.
- The imports are entering the Indian market at a price which is below the cost of sales of the domestic industry. When the imports are priced below the cost of sales of the domestic

- industry, it is evident that they are likely to have a suppressing or depressing impact on the prices of the domestic industry
- vi. More than 90% exports made by each of the participating exporters, to third countries are priced below the normal value and the non-injurious price.
 - vii. In case of Covestro Polymers, more than 90% exports to other countries are priced below export price to India showing the likelihood of significant increase in the exports to India in an event of expiry of measures

131. The Authority concludes that the investigation has shown that there exists sufficient evidence of likelihood of injury to the domestic industry in event of cessation of anti-dumping duty.

I. CAUSAL LINK & NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

132. As per the Rules, the Authority is required to, inter alia, examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the Rules could have contributed or likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry.

a. Volume and price of imports from third countries

133. It is seen that there were imports above *de-minimis* limits from countries already attracting duties, namely, Japan, China and Korea RP. The table below shows the price of imports from non-subject countries in the injury period.

SN	Country	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
Countries subject to present review						
1	European Union	MT	7,841	4,175	5,059	5,904
2	Saudi Arabia	MT	2,140	980	5,000	4,672
Countries attracting duties						
1	Japan	MT	4,380	5,820	8,778	15,948
2	China	MT	7,620	8,268	14,827	14,433
3	Korea RP	MT	5,120	12,280	16,560	6,363
Imports from other countries						
1	Other Countries	MT	1,278	1,939	3,135	604

134. It is seen that the imports from Japan, China and Korea RP are also at injurious prices. At present, these countries are also attracting anti-dumping duty.

b. Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

135. The demand for the product under consideration has increased over the injury period. The investigation has not shown that the demand is likely to decline. Therefore, decline in the demand cannot be a cause of injury to the domestic industry.

c. Trade restrictive practices

136. The Authority notes that there is no trade restrictive practice which has caused or is likely to cause injury to the domestic industry.

d. Development of technology

137. The Authority notes that information on record shows that technology for production of the product has not undergone any change. Therefore, technology cannot be a cause of injury to the domestic industry.

e. Export performance

138. The Authority has considered the injury data for the domestic operations separately for the injury analysis. Therefore, export performance is not the cause of injury to the domestic industry.

f. Performance of other products

139. The Authority has considered the data relating to the performance of the product under consideration only. Therefore, performance of other products produced and sold by the domestic industry is not a possible cause of the injury to the domestic industry.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

140. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The non-injurious price has been compared with the landed price of the product under consideration from the subject countries for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilization of the raw materials and utilities and best utilization of production capacity has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses and/or assets have been excluded from the cost of production and/or non-injurious price. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) deployed for the product under consideration has been allowed for recovery of interest, corporate tax, and profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules.

SN	Particulars	NIP	Landed price	Injury margin		
		\$/MT	\$/MT	\$/MT	%	Range
1	European Union					
	BorsodChem Zrt.,	***	***	***	***	50-60
	Covestro Deutschland AG	***	***	***	***	Negative
	Any other	***	***	***	***	60-70%
2	Saudi Arabia					
	Sadara Chemical Company,	***	***	***	***	70-80%
	Any other	***	***	***	***	80-90%

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

A.10 K.1. Submission of the other interested parties

141. The other interested parties have made following submissions on Indian industry interest:

- The domestic industry meets only 50% of India's demand. Despite multiple protection from 2017, no capacity expansion has undertaken.
- The duty drawback on foam exports is merely 1.3% and the use of the Advance authorisation scheme disqualifies exporters from availing RoDTEP benefits. Therefore, exporters are not able to recover additional anti-dumping cost.
- The domestic industry's plant is located in western India. Thus, manufacturers in the South and East face higher logistical costs in sourcing domestic TDI and thus rely on imports.

- iv. Since the Indian producer is unable to meet the domestic demand, the continued imposition of duty is against the downstream industry and public at large.
- v. The gap between domestic demand and domestic supply has widened.
- vi. The domestic industry has not increased its capacity to meet the domestic demand fully.
- vii. The continuation of anti-dumping duties would cause economic harm to downstream industries and consumers.
- viii. The relevant consideration for the downstream producers for opposing the imposition of anti-dumping duty is whether the imposition of duty would lead to adverse economic consequences and not closure or shutdowns of downstream users.
- ix. TDI constitutes 25-30% of manufacturing cost for downstream products and the user industry earns a thin profit margin of 2-5% merely.
- x. The downstream producers lack the financial capacity to absorb increased input costs.
- xi. The continuation of anti-dumping duty would create market monopolisation.
- xii. The imports of the product under consideration are required as the domestic industry is not able to meet the quality standards.
- xiii. The quality differential between domestic and imported TDI creates a non-price barrier to substitution.
- xiv. The export competitiveness of India's foam industry would be compromised by forced reliance on lower-quality domestic TDI.
- xv. The actual prices for entry-level PU foam mattress start at 6,000 and not 15000 as claimed by GNFC. In this segment, foam contributes the largest share of material cost. Thus, any increase in TDI cost contributes the largest share of material cost.
- xvi. The domestic industry does not manufacture ODCB-free TDI, which is essential for REACH-compliant exports to Europe. Thus, levy of duty is disadvantageous as domestic industry is not supplying the technical grades required by end-users.
- xvii. The imports of TDI are already subject to a basic custom duty of 7.5% along with additional welfare surcharge

K.2. Submission of the domestic industry

142. The domestic industry has made been following submissions on Indian industry interest:
- i. Protecting the domestic industry from dumped imports is both legitimate and essential to ensure the long-term commercial viability and self-reliance of the domestic industry in India.
 - ii. The fact that demand of the subject goods is higher than the capacity with the Indian producers does not justify dumping.
 - iii. The applicant has a well-established pan-India supply chain. The domestic logistics costs are always lower and more predictable than the international freight, duties and handling charges associated with imports.
 - iv. Around 15–20 kg of foam is used in a mattress and therefore, share of TDI in the mattress is around 6KG. The impact of anti-dumping duty will only be Rs 150 per mattress.
 - v. Even when the anti-dumping measures were in force in the past, the demand in India grew constantly.
 - vi. The interested parties have not provided evidence of any increase of raw material cost which will not be absorbed by the downstream producers.
 - vii. The demand for TDI has continuously increased. Had an anti-dumping duty on TDI impacted the downstream industry, the demand would have not shown an increase.
 - viii. Foam industry does not compete with imports and can easily pass on the cost.
 - ix. The analysis of annual report shows that the user industry is earning handsome profits.
 - x. Procuring from the domestic industry is in the interest of the consumers, as the domestic industry will work for the interest of the consumers in India.

- xi. Public interest is not limited to only consumer industry and also covers the interest of the applicant and ultimate public at large.
- xii. The continuation of the anti-dumping measures on imports of the product under consideration is in the interest of the domestic producer.
- xiii. It is in the interest of consumer's interest to have a competitive applicant capable of supplying the product to the consumers in competition to fair priced imports.
- xiv. Encouraging domestic manufacturing activities is essential to make India the manufacturing powerhouse it aims to become.
- xv. Anti-dumping duty is not a protection to the industry, but rather a tool to bring fair market competition in the country.

K.3. Examination of the Authority

- 143. The Authority considered whether imposition of the recommended anti-dumping duty will be against public interest. This determination is based on consideration of information on records and interests of various parties including the domestic industry, foreign producers and consumers.
- 144. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the users to provide the relevant information with regard to the present review investigation, including possible effect of the anti-dumping duty on their operation. The Authority sought information on, inter-alia, interchangeability of the product supplied by the various suppliers from different countries, ability to switch sources, the effect of the anti-dumping duty on the consumers, the factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the continuation of the anti-dumping duty.
- 145. It is noted that the purpose of anti-dumping measures, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The Authority recognizes that the continuation of the anti-dumping duties might affect the price levels of the product under consideration as well as other downstream products manufactured by using the subject goods in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, the continuation of anti-dumping measures would prevent the decline of the domestic industry that may ensue as a consequence of low-priced imports from the subject countries and help maintain the wider availability of choices to the consumers of the product under consideration.
- 146. The Authority had prescribed an economic interest questionnaire which was sent to all interested parties to this review investigation. None of the participating interested parties have established the impact of anti-dumping duty on the downstream industry.
- 147. The Authority notes that despite anti-dumping duties are in force, the condition of the domestic industry still remains vulnerable due to imports from subject countries. The domestic industry's economic condition still remains adverse.
- 148. In regard to the contention that the locational disadvantages faced by the users in the southern and eastern India prompts imports, the Authority notes that the domestic industry has supplied to the consumers all over the country. Furthermore, the domestic logistics costs are lower and more predictable than international freight, duties, and handling charges associated with imports.

Importing any product involves port charges, customs duties and handling fees, which is not the case with domestic purchase.

149. It has also been claimed that there is a demand and supply gap in the country. However, the Authority notes that the demand-supply gap does not justify dumping. The purpose of the anti-dumping duty is not to restrict imports but to ensure fair competition. The demand for the product has consistently increased which shows that the anti-dumping duties did not adversely affect the demand. Therefore, the supply of the consumers will not be restricted if the measures are continued.
150. As regards the impact of anti-dumping duty on the downstream industry, it cannot be construed that the operations of the consumers would become unviable, merely because dumping is prevented by imposition of duty and fair competition is restored in the market. Anti-dumping duties can create a level playing field for domestic producers, allowing them to compete fairly and continue supplying the market. The submissions made by the consumers during the course of the investigation have been taken into account. The Authority notes that these interested parties have not shown with verifiable information that the imposition of the antidumping duties shall have significant adverse effect either on these consumers or the public at large.
151. The domestic industry has provided the impact of anti-dumping duty on the downstream industry which is based on the final finding issued in the previous investigation.

SN	End product	Market price	Impact in %
1	Adhesive	Rs 5000 per KG	0.11%
2	PVC coated paper	Rs 70/sqm	1.32%
3	Polyurethane Resin	Rs 1300 per KG	0.23%
4	Phenyl Isocyanate	Rs 650 per KG	1.22%
5	PU Foam Rate	Rs 420 per KG	1.74%

152. The Authority has also analysed the contention of the interested parties regarding the quality of the product. The Authority takes note that the domestic industry has placed evidence on records showing the quality of the product under consideration is at par with the imported product. The domestic industry placed evidence showing the anti-oxidants used in the product under consideration are well within the prescribed limit and that it has acquired BIS certificate for quality. The domestic industry has supplied the product under consideration in large volume to the consumers and has exported the product to more than 60 countries. On the contrary, none of the interested parties have provided any evidence showing how the quality of the product is not at par with the imported product.
153. Regarding the contention that the domestic industry does not produce ODBC- free product under consideration. The domestic industry has placed the test copy on records showing product under consideration produced ODBC- free. Whereas the interested parties have made mere allegations without backing up it with evidences.

L. POST DISCLOSURE COMMENTS

L.1. Submission of the other interested parties

154. The other interested parties have made following comments on disclosure.

- i. There is no scope for enhancement of duty in an expiry review. Initiation notification also specifically states that “the present review has been initiated to evaluate the need for continued imposition of duty in force.”
- ii. DGTR has unilaterally revised the cost of production which directly impacted the computation of normal value and dumping margin. This change in cost of production has not been recorded in the non-confidential disclosure statement.
- iii. DGTR has not provided any detailed working of normal value, net export price and landed value. No justification has been offered for the increase in the cost of production, which contradicts the data submitted by Sadara in the questionnaire response.
- iv. The disclosure statement relies on certain data for injury analysis that has not been placed on record. In para 69, the disclosure statement refers to the examination of toluene cost, concentrated nitric acid price, natural gas cost. The same para also discusses the cost of sales for the Bharuch plant during the period of investigation and the preceding three years. This data has been claimed to be confidential, and no trend analysis has been provided in relation to cost of sales and landed value.
- v. For growth parameters, no data whether in indexed or percentage form has been disclosed.
- vi. As per consistent DGTR practice, price undercutting should be evaluated based on landed value both with and without the anti-dumping duty, to ensure an objective and comprehensive assessment.
- vii. As Sadara is the sole producer of TDI in Saudi Arabia thus the price undercutting margin for Sadara should be identical to that of Saudi Arabia as a whole. However, the Authority has computed negative price undercutting for Saudi Arabia and positive price undercutting for Sadara.
- viii. Sadara reported exports of ***MT of TDI during the POI, while the Authority recorded total imports from Saudi Arabia as less than 6,000 MT.
- ix. The Authority has evaluated price undercutting only for the period of investigation but in the previous sunset review investigation concerning TDI from Japan, Korea and Japan, price undercutting was assessed for both the period of investigation and the entire injury period.
- x. The market share of Saudi Arabia declined from 100 to 52 indexed points, any decline in applicant's market share should be attributed to imports from other countries.
- xi. Likelihood of injury from subject imports from Saudi Arabia is not established as there is no significant increase in subject imports, no freely disposable or imminent increase in capacity, price suppression or depression is not attributable to subject imports, no increase in inventory level at Sadara and India is not a price- attractive market for Sadara.
- xii. The volume of TDI imports reflected in the disclosure statement differs materially from the volumes recorded in the earlier final findings dated 24 June 2022.
- xiii. Injury suffered by the domestic industry cannot be attributed to subject imports since the change in the subject imports trends through the injury investigation period does not coincide with the trends of the economic parameters of the Indian domestic industry.
- xiv. Higher TDI prices also encourage import of finished goods from ASEAN countries under FTA regimes, defeating the purpose of trade protection.
- xv. The Authority has not provided any reason for determining an increased cost of production for BorsodChem. The cost of production calculated by the Authority is exaggerated.
- xvi. The Authority should extend the same rate of duty and same form of duty for Borsod.
- xvii. The anti-dumping duty should be modified, and nil duty should be prescribed for Covestro as the Authority has determined a negative injury margin for Covestro.
- xviii. There is no likelihood of injury due to exports by Covestro as there have been substantial sales in the domestic market and other countries. There is no trade remedy measures on its exports

- to third countries. Therefore, there is no reason for Covestro to shift its exports to India from third countries.
- xix. Authority's analysis of third- country export prices also indicates that Covestro has exported to India at higher prices in comparison to export to third countries.

L.2. Submission of the domestic industry

155. The domestic industry has made following comments on disclosure.

- vii. The dumping margin in the present investigation has intensified and is far higher in comparison to the dumping margin of the original investigation.
- viii. The injury margin for the present investigation has increased for Borsod and Sadara in comparison to original investigation. While it is negative for Covestro Deutschland, the export price of the producer is artificially higher.
- ix. The domestic industry has suffered losses amounting to more than Rs. [800] crore over the injury period. The losses suffered by the domestic industry are significant and there is no viability for the domestic industry to produce and sell the product.
- x. Covestro Deutschland AG has artificially increased the price during the period of investigation. Thus, the import price of Covestro Deutschland AG is not reliable to determine likelihood.
- xi. The Authority has observed that more than 90% of the exports made by Covestro Deutschland AG to other countries are priced lower than the export price to India which shows that export price are not based on cost plus method.
- xii. Covestro Deutschland AG has part II of the questionnaire response claimed that its prices are on spot sales basis and are following market prices. The submission that its based on cost plus method is contradictory to the response.

L.3. Examination by the Authority

156. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties. It is observed that most of these submissions are reiterations of arguments and contentions that have already been examined and addressed to the extent deemed necessary in the relevant paragraphs of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry and considered relevant by the Authority are examined below. Any submission which was merely a reproduction of the previous submissions, and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.
157. On the submission that higher TDI prices will encourage import of finished goods from ASEAN countries under FTA regimes, the Authority notes that the interested parties have not provided any evidence establishing the adverse effect of the duties in force. The present investigation is a sunset review investigation, and anti-dumping duties have been in force for a period of five years. The investigation has not shown that the imposition of duties has had any adverse effect on the downstream industry.
158. On the submission that detailed working of normal value, net export price and landed value have not been disclosed to the interested parties, the Authority notes that subsequent to the disclosure statement, each participating producer was provided information on their confidential cost of production, normal value, export price and landed price. The disclosures have been made in line with the consistent practice of the Authority. Their comments on the calculations, if any, have been addressed in this final finding.

159. Covestro Deutschland AG has claimed that since its injury margin is negative, nil duty should be accorded to the producer. The Authority notes that the investigation has shown that Covestro Deutschland AG has exported the product under consideration at significantly dumped prices. It is also seen that 90% of the exports of the producer to other countries are below the export price to India and the idle capacities with the producer is more than the demand in the country. The Authority therefore considers that it would not be appropriate to provide nil duty to the producer particularly when the duties are being extended on the ground of likelihood.
160. On the comments that disclosure statement relies on data with respect to raw material cost and comparison of plant wise cost with landed price and that this data was not placed on record, the Authority notes that the interested parties had in their written submission claimed that the Dahej plant was inefficient and requested comparison of the cost of Bharuch plant with the landed price of imports. The interested parties had also claimed that the toluene prices have declined whereas the cost of production of the domestic industry had increased. In response to this, the domestic industry had referred to information with respect cost of Bharuch plant and raw material cost in its rejoinder submissions. The said information is already part of the application filed by the domestic industry, and the matter has already been examined by the Authority
161. The interested parties stated that trend of growth parameters and plant wise cost has not been disclosed. The Authority notes that the plant wise cost of the domestic industry is business sensitive information. The trade notice 10/2018 does not require disclosure of plant wise information in trend. Therefore, the Authority does not consider it appropriate to disclose plant wise cost in trend. However, the trend of cost of production, and landed price is given. As regards trend of growth parameters, the same was provided by the domestic industry in the written submissions and based on information, and the same has been disclosed in the disclosure statement, and in the final findings.
162. The interested parties have filed comments that the volume of imports as per the disclosure statement differs materially from the volumes recorded in the final findings dated 24 June 2022. The matter has been examined, and it is noted that the volume of imports reported in the F.No.7/26/2021- DGTR dated 24th June 2022 was for European Union, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Taiwan, whereas the subject countries in the present investigation are European Union and Saudi Arabia. Further, the Authority has relied on the Directorate General for Systems and Data Management (DG Systems) to ascertain the import volume of the subject goods for the injury period.
163. Borsod Chem has filed comments on the cost of production. The comments have been examined. The cost of production of the producer has corrected and accordingly, the normal value and the dumping margin of the producer has undergone a change. The revised dumping margin is shown in the dumping margin table.
164. On the comments made by other interested parties that the injury is due to imports from other countries, the Authority notes that it had already recorded in the disclosure statement that the imports from other countries are attracting anti-dumping duty. The present investigation is a sunset review investigation, and the scope is restricted to examining if there is a justification for continued imposition of anti-dumping duty. The investigation has shown that there is continued dumping and injury and likelihood of dumping and injury in event of expiry of measures on the subject countries.
165. On the comment that the price undercutting has been determined only for the period of investigation, the Authority notes that the investigation has shown that the related importer of one of the

participating producers from the subject countries has sold the product under consideration at losses. Accordingly, the price undercutting has been determined after calculating the landed price of the participating producers duly adjusted after loss. Further, it is also noted that there is no justification advanced by the interested parties for determination of price undercutting for the whole injury period.

166. With respect to the contention that the price undercutting for Sadara should be identical to the price undercutting for Saudi Arabia as a whole, the Authority has examined the matter. It is observed that the names of Saudi Arabia and the European Union were inadvertently interchanged in the presentation of data. This clerical error has since been rectified by the Authority. Following the correction, the recalculated figures demonstrate that the price undercutting levels attributed to Sadara and to Saudi Arabia as a whole are comparable. The corrected data appropriately reflects the relative pricing behavior of the subject exporter.
167. On the submission of Sadara Chemical Company that its cost of production has been revised, it is stated that the Authority has considered the cost of production claimed by the exporter. However, as the exporter could not provide justification for some of the cost heads e.g. 'cost absorbed within the TDI chain', the same has been considered based on available information.

M. CONCLUSION

168. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made and the facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of the continued dumping and injury to the domestic industry and further likelihood of injury, the Authority concludes that: -
- i. The product under consideration in the present investigation is Toluene DiIsocyanate (TDI), having isomer content in the ratio of 80:20. The scope of the product is same as defined in the original investigation.
 - ii. The product produced by the domestic industry is a like article to the imported product.
 - iii. The applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules, and the application satisfies the requirements of standing under the Rules.
 - iv. The dumping margin for participating producers and exporters from subject countries are more than de minimis, and significant.
 - v. There is a continuation of dumping of the product under consideration in the POI of the review investigation, and the investigation has shown that the dumping of the product is likely to continue in event of expiry of duties .
 - vi. The imports from subject countries declined till 2022-23 but increased in period of investigation.
 - vii. The landed price of imports of subject goods from subject countries is below the cost of sales of the domestic industry and the domestic industry has sold at significant financial losses.
 - viii. The dumped imports have prevented the domestic industry from increasing its prices in line with the changes in the costs. The dumped imports have suppressed the prices of the domestic industry.
 - ix. The domestic industry has not claimed volume injury in the present investigation in the form of possible adverse effects of imports on production, sales, capacity utilization, market share of the domestic industry.
 - x. The market share of imports from the subject countries has declined till 2022-23 and recorded marginal increase in the period of investigation.

- xi. The market share of imports from the non-subject countries attracting duties have increased in 2021-2022, increased further in 2022-2023 and declined in period of investigation.
- xii. The domestic industry has suffered losses, loss before interest, cash loss and negative return on capital employed in the period of investigation.
- xiii. Average inventory of the domestic industry has increased over the injury period.
- xiv. The growth of the domestic industry during the period of investigation and preceding year has been negative on various price parameters compared to earlier years.
- xv. Producers in the subject countries are operating with significantly high idle capacities. The idle capacities for producers and exporters from subject countries are very significant, and more than Indian demand.
- xvi. Producers in the subject country have set up capacities which are far higher than domestic demand and are utilizing these capacities for export purposes.
- xvii. The imposition of duty has not had any adverse effect on the downstream industry. Therefore, continuation of duty will not be against public interest at large.

N. RECOMMENDATIONS

169. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury.
170. Having concluded that there is continuation of dumping and injury and likelihood of further injury if the anti-dumping measure are allowed to cease, the Authority is of the view that continued imposition of measures is necessary on imports of the product under consideration from the subject countries. The Authority considers it appropriate to recommend continuation of definitive antidumping duty as notified vide final finding F.No.6/43/2019- DGTR dated 28th January 2021.
171. Considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, anti-dumping duty equal to the amount indicated in Column (7) of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of the product under consideration, from the subject countries for a further period of five (5) years.

Duty table

SN	Heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	UOM	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29291020*	“Toluene Diisocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20”**	European Union	Any country including European Union	Covestro Deutschland AG	221.04	MT	US \$
2	-do-	-do-	-do-	-do-	BorsodChem Zrt	102.05	MT	US \$
3	-do-	-do-	-do-	-do-	Any producer other than	264.96	MT	US \$

					mentioned in S. No. 1 & 2 above			
4	- do-	-do-	Any country other than countries attracting anti- dumping duty	European Union	Any	264. 96	M T	US \$
5	- do-	-do-	Saudi Arabia	Any country including Saudi Arabia	Sadara Chemical Company	217. 55	M T	US \$
6	- do-	-do-	-do-	-do-	Any producer other than mentioned in S. No. 5 above	344. 33	M T	US \$
7	- do-	-do-	Any country other than countries attracting anti- dumping duty	Saudi Arabia	Any	344. 33	M T	US \$

* Customs classification is only indicative and not binding on the scope of the investigation.

** The product under consideration in the present investigation concerns TDI having isomer content in the ratio of (80:20). All other grades are beyond the scope of product under consideration.

O. FURTHER PROCEDURE

172. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/ Rules.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority